खण्ड-260, अंक-4
गुरूवार, 18 भाद्रपद, शक संवत् 1887
(9 सितम्बर, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

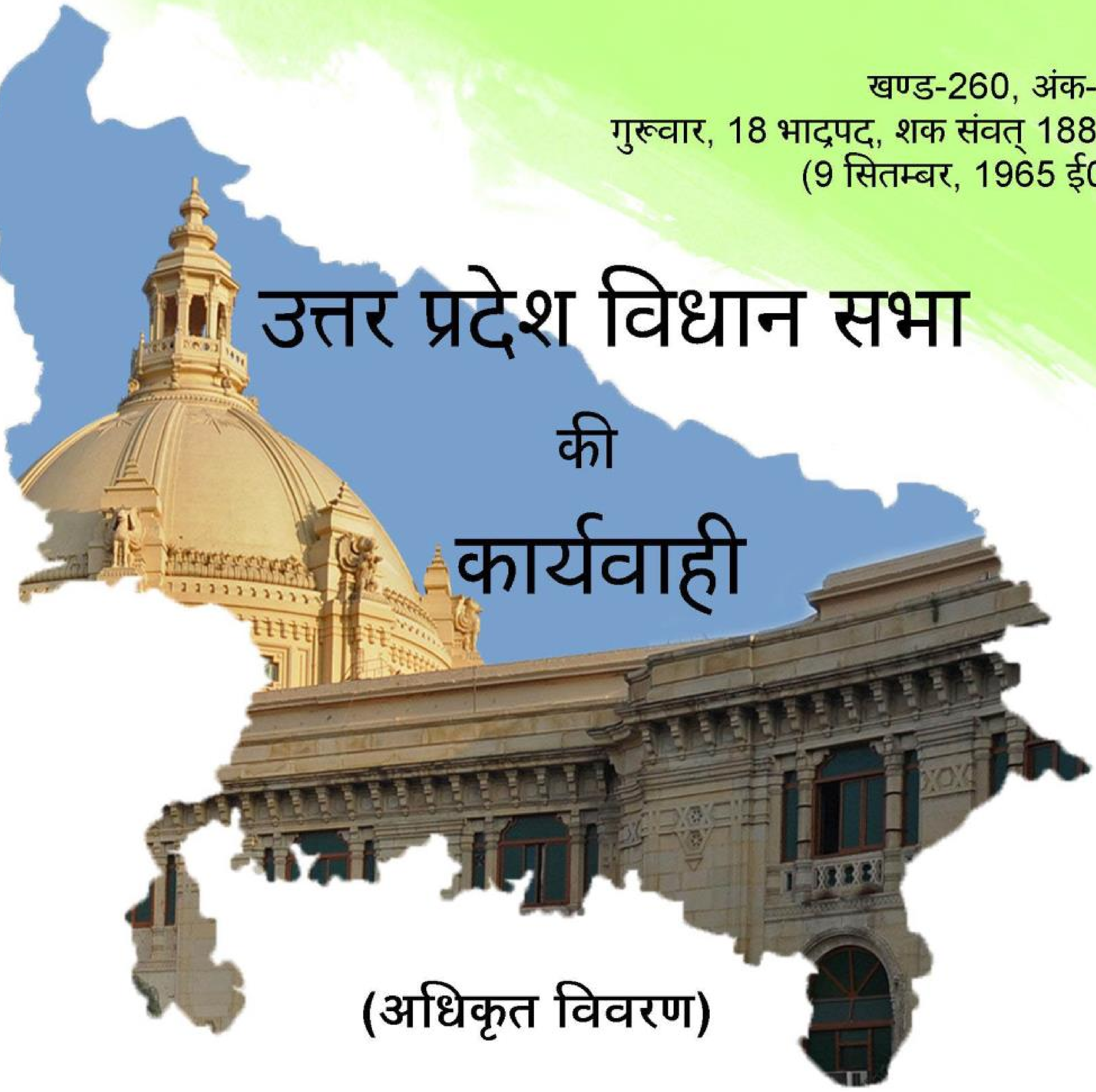

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 260 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ९ सितम्बर, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—४०३

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्या प्रसाद श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुरपाल, श्री
काशीनाथ मिश्र , श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम , श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री

गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ रत्न, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीवानारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री

नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खां, श्री
नेकराम शर्मा,श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल , श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री

मुहम्मद हुसेन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कंथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी अकबी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
वीरसेन, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह तथा गृह उपमंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ९ सितम्बर, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

फतेहपुर जिले को पिछड़े क्षेत्र में सम्मिलित करने की मांग

**१—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में जिला फतेहपुर को भी राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में शामिल करके उसे वही सहूलियतें देगी जो संलग्न पड़ोसी जिलों बांदा, हमीरपुर व इलाहाबाद को अब तक दे रही है ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में फतेहपुर जिले को राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में शामिल करने का सरकार का कोई विचार नहीं है । बांदा, हमीरपुर व इलाहाबाद जिलों को उनके पिछड़ेपन के कारण कोई विशेष सहायता नहीं दी जा रही है । राज्य योजना के अन्तर्गत इन जिलों की समस्याओं पर आधारित परियोजनाओं को शामिल किया गया है ।

**२—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि पिछड़े क्षेत्र घोषित करने के उसके क्या आधार हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

प्रदेशीय सरकार किसी जिले को पिछड़ा हुआ जिला घोषित नहीं करती है । पूर्वी जिले, पहाड़ी क्षेत्र तथा बुन्देलखंड राज्य के अन्य विकसित क्षेत्रों की अपेक्षा पिछड़े हुये तथा विशेष समस्याओं वाले क्षेत्र माने गये हैं । सामान्यतः इन क्षेत्रों को पिछड़ा हुआ मानने का आधार उनकी जन-संख्या, कृषि पर निर्भरता, रहन-सहन का निम्नस्तर, बाढ़ और अन्य दैवी आपदाओं की अधिकता आदि हैं ।

श्री दीपनारायणसिंह—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले को हम चाहे औद्योगिक दृष्टि से देखें या पढ़े लिखे होने की दृष्टि से देखें और कृषि पर कम भार होने की दृष्टि से देखें और फतेहपुर उससे ज्यादा उन्नत नहीं है और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी बांदा जिला जो उत्पादन ज्यादा करता है और उसकी पैदावार जमुना पार हो कर फतेहपुर में आती है और तभी फतेहपुर के लोग जिन्दा रहते हैं, तो वह बतायें कि फतेहपुर से भी कोई गया गुजरा जिला. . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप बहस कर रहे हैं. . . . . .

श्री दीपनारायणसिंह--

इन तमाम दृष्टियों से और जहां पर कोई अफसर जाने को तैयार नहीं है और जहां २५ आदमियों द्वारा संचालित राइस मिल्स के अलावा कोई कारखाना नहीं है ऐसे फतेहपुर जैसे पिछड़े जिले को क्यों नहीं शामिल किया जाता, तो इन पड़ोसी जिलों के मुकाबले में शामिल न करने का आधार क्या है ?

राजस्व मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

जिस जिले से श्री दीपनारायण सिंह जैसे काबिल आदमी आते हैं उसको हम पिछड़ा जिला नहीं मानते ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

क्या मंत्री जी पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ और बुन्देलखंड क्षेत्रों के अलग-अलग पिछड़े जिलों के नाम बतायेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

पूर्वी जिलों में देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, गोंडा, बहराइच, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद हैं और पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड के तीन जिले यानी उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ तथा टेहरी-गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल हैं और बुन्देलखंड क्षेत्र में हैं झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

फतेहपुर के पूर्व में जो इलाहाबाद का पिछड़ा जिला माना गया है और फतेहपुर के दक्षिण में जो हमीरपुर और बांदा जिले हैं उन दोनों के मुकाबले में फतेहपुर की स्थिति अच्छी नहीं है तो क्या उस को भी इन दूसरे जिलों में मिलने वाली सुविधायें सरकार प्रदान करेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और सरकार का प्लानिंग कमीशन कभी डिस्ट्रिक्ट-वाइज बैकवर्डनेस निर्धारित नहीं करता । यह तो रीजनवाइज होता है । पता नहीं कि पिछड़ेपन की क्या परिभाषा है । भारत सरकार ने, प्रदेशीय सरकार ने और प्लानिंग कमीशन ने कभी कोई घोषणा नहीं की है । सामान्यतः पिछड़े हुए क्षेत्रों को मानने का आधार उनकी आबादी, कृषि पर निर्भरता, आर्थिक और सामाजिक पहलू हैं । उनको देखकर, वे रीजन घोषित करते हैं लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं होता है । यह भी नहीं है कि उनमें ग्रान्ट अधिक दी जाय या योजना में वृद्धि की जाय । पिछली बार २४ जिले थे जिनमें पिछड़े होने की बात थी परन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना में पूरे प्रदेश के जिलों को लेकर किया गया है । किसी विशेष जिले की बात उसमें नहीं की गयी है ।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)--

पश्चिमी जिलों में कितने ही ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार सन् ५६ से बाढ़ आ रही है और वहां के मानव समाज की हालत बहुत बुरी हो गयी है, तो क्या उन जिलों को पिछड़ा हुआ मानकर उनकी सहायता करने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

जैसा मैंने अभी निवेदन किया पिछड़े हुए जिलों को कोई लाभ नहीं होने वाला है । हां, चौथी योजना जो अप्रैल से चलने वाली है उसमें सामान्य रूप से हर जिलों में प्लानिंग में काम होगा ।

श्री दीपनारायणसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी फिर से आंकड़े मंगवाकर जीवन स्तर के आधार पर, उत्पादन के आधार पर और उन्नति की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से और हर दृष्टि से. . . . .

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिये । आप तो बहस कर रहे हैं । प्रश्न यह होना चाहिये कि आंकड़े ये यहां के हैं और वहां के ये हैं और आपका यह सवाल है । आप ऐसा क्यों नहीं करते ?

श्री दीपनारायणसिंह--

श्रीमन्, यहां पर ८० प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, यहां पर कोई कारखाना नहीं है । इलाहाबाद में बहुत से कारखाने हैं । यहां पर पढ़ाई का स्तर भी बहुत नीचा है । पिछड़ेपन के कारण वहां पर फौजदारियां और कत्ल आमतौर पर होते हैं । कोई अफसर फतेहपुर और बांदा नहीं जाना चाहेगा, यह जमुना के उस पार है । प्रधान मंत्री इलाहाबाद के रहने वाले हैं । अगर यही हालत रही तो कुछ नहीं सुधार होने वाला है ।

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री रामचन्द्र विकल---

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि पिछड़े जिले रीजनवाइज बनाये गये हैं, तो क्या फतेहपुर इलाहाबाद डिवीजन में नहीं है ? अगर है, तो इसको क्यों बैकवर्ड नहीं माना गया है ? वहां पर परकैपिटा इनकम क्या है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय---

मान्यवर, मैंने यह कहा है कि रीजन के अनुसार होते हैं डिवीजन के आधार पर नहीं । फिर भी जब आपने सवाल किया है तो मैं निवेदन कर दूं कि फतेहपुर का पर-कैपिटा २०६ है जबकि पूर्वी जिलों का १४९ है ।

अनेक सदस्य---

बांदा जिले की क्या है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े हुए जिलों के नाम पर या पिछड़े हुए इलाकों में वे कुछ नहीं करने जा रहे हैं तो जो थर्ड फाइव ईयर प्लान में कुछ पिछड़े रीजन रखे थे और गवर्नमेंट ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहायता देने और जो सेन्ट्रल पटेल कमेटी थी उसने भी एश्योरेन्स दिया था कि वह ग्रान्ट दे रहे हैं तो क्या वे सब सहूलियतें सरकार विद्रड्रा करने जा रही है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय---

ऐसी बात नहीं है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

असलियत में यह है कि जोन्स को छांटने में और पिछड़े हुये जिलों को छांटने में सरकार ने कोई विशेष तवज्जह नहीं दी है, जो कागज में आ गया नक्शे में वह बना लिया गया, तो मैं

पूछना चाहता हूं कि जो बीच के जिले हैं और अवध के उन्हें आप छठा जोन बनाकर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हमारे हिस्से का पैसा हमारी प्रोग्रेस के लिये अलग निकालने के लिये तैयार हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

माननीय मुख्य मंत्री ने भी एक आदेश दिया है, और चीजों को तो जैसा मैंने बताया, रीजन की बैकवर्डनेस को देखकर.....

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, छठा जोन आप मानने के लिये तैयार हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

जी नहीं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मंत्री जी ने यह कहा--पता नहीं यह पिछड़े जिले कैसे हो गये, तो मैं जानना चाहता हूं कि पिछड़े जिले के संबंध में भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने पटेल कमीशन को बैठाया और ४ जिलों की जांच मुख्य रूप से की, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़ और जौनपुर । उसका आधार यह था कि फैजाबाद से ले कर जो १३ पूर्व के जिले आते हैं उनमें विकास के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट अलग से अनुदान प्रान्तीय सरकार को देगी जिसके माध्यन से उद्योग, सड़क, सिंचाई, पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था होगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब यह व्यवस्था भारत सरकार ने की और १३ करोड़ रुपया दिया तो वह रुपया इन जिलों में खर्च किया गया या नहीं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

इन चार जिलों की एक टाइप स्टडी थी । तो जनवरी, १९६४ में पहली बार रिपोर्ट आयी। उसके बाद पहली किस्त में ४ करोड़ रु० और फिर ४.५ करोड़ रु० की सहायता देने की बात थी । अब भारत सरकार ने बलिया और बस्ती को भी उसमें जोड़ने की बात की है । तो उनका जो कार्यक्रम है उसमें यह खर्चा उस प्लान से अलग किया जा रहा है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

मंत्री जी ने कहा कि पिछड़े जो क्षेत्र हैं उनको किसी प्रकार की विशेष सहायता नहीं दी जाती है, इसलिये कोई विशेष प्रकार की सुविधायें देने का प्रश्न नहीं उठता है । तो जब आप पिछड़े क्षेत्र को कोई विशेष सुविधा नहीं देते तो इसमें आप जोन क्यों कायम किये हुये हैं जिससे समस्त प्रदेश में भ्रम फैला हुआ है ।

श्री बंशीधर पाण्डेय--

यह इकोनोमिक पैरिटी लाने के लिये है । जिस बात को आप कहते हैं कि यह सारा नेशनल काउन्सिल आफ अप्लाइड एकानामिक रिसर्च करके देखती है कि कौन-सा क्षेत्र दबा हुआ है । तो वह योजना बनाते समय उन चीजों का ध्यान रखते हैं ताकि आगे चल कर परिटी आ जाय ।

श्री कृष्णसिंह (जिला उत्तर काशी)--

मंत्री जी ने कहा कि जितने पहाड़ी जिले हैं उनको पिछड़ा इलाका घोषित किया जायगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो सुविधाय उत्तर काशी या पिथौरागढ़ या चमोली जिले को बार्डर की हैसियत से मिली हुई हैं वह सुविधायें कायम रहेंगी और पिछड़ा घोषित होने के कारण अलग सुविधायें दी जायंगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

उत्तरकाशी या बार्डर के डिस्ट्रिक्ट को माननीय सदस्य जानते हैं, भारत सरकार से उनको एक स्पशल सहायता मिलती है तथा प्लान में जितनी चीजें हैं वह ऐडीशनल हैं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

श्री चतुर्भुज शर्मा की सुरक्षा

*१—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन) तथा श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—

क्या सरकार को सी०आई०डी० विभाग द्वारा यह सूचना है कि श्री चतुर्भुज शर्मा, भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री की हत्या करने के लिये कानपुर जिले में कोई योजना बनाई गई है ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

इस प्रकार की कुछ सूचना मिली थी ।

*२—श्री शिवसम्पत्ति शर्मा तथा श्री बसन्तलाल—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उपरोक्त सूचना के संबंध में सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है और यह बतलाने की भी कृपा करेंगे कि शर्मा जी की सुरक्षा का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इस संबंध में जांच की जा रही है और भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री की सुरक्षा के लिये उचित प्रबन्ध कर दिया गया है ।

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा—

क्या सरकार को यह सूचना है कि एक साल पहले माननीय शर्मा जी पर उसी दल ने जालौन कस्बे के पास सड़क को अवरुद्ध करके हमला करने की कोशिश की थी ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा—

क्या यह सत्य है कि कानपुर जिलाधीश ने इस तरह की रिपोर्ट दी है कि जिस आदमी ने सूचना दी है वह पागल है ? क्या माननीय मंत्री सिविल सर्जन द्वारा उस आदमी की जांच करा कर रिपोर्ट मंगायेंगे कि कलेक्टर ने जो रिपोर्ट दी है वह गलत है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वह पागल है । यह जरूर लिखा है कि हमको इस आदमी का ज्यादा विश्वास नहीं है और अभी उसकी छानबीन हो रही है ।

श्री कृष्ण चन्द (जिला झाँसी)—

क्या माननीय मंत्री उस रिपोर्ट को पढ़ने की कृपा करेंगे ताकि यह समझा जा सके कि इस प्रकार की शिकायतें अवश्य हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह जनहित में नहीं होगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

जिस प्रकार माननीय चन्द्रभानु गुप्त तथा कमलापति त्रिपाठी की सुरक्षा के लिये सरकार ने प्रबन्ध कर रखा है क्या उसी तरह से माननीय चतुर्भुज शर्मा की सुरक्षा के लिये प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह बात मैं उत्तर में कह चुका हूं कि हमने उचित प्रबन्ध कर दिया है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

उक्त षड़यंत्र की सूचना कब मिली, किसके द्वारा उसकी जांच हो रही है और कब तक उसकी जांच हो जायगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

२८ जुलाई को एक पत्र मिला था । उसकी जांच हो रही है । उचित प्रबन्ध किया जा चुका है लेकिन किस के द्वारा जांच हो रही है यह बतलाना जनहित में नहीं होगा ।

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह सूचना सही है कि वास्तव में शर्मा जी के पुत्र पर हमला करने का प्रबन्ध किया गया था लेकिन न पहचानने के कारण रामअधार शर्मा, वकील पर कचहरी में हमला किया गया, ऐसी स्थिति में उनके लड़के की सुरक्षा के लिये भी सरकार उचित प्रबन्ध करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह तो सवाल ही हाइपोथेटिकल है ।

[९ सितम्बर, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]
ए० एम० आई० ई० डिग्री होल्डर्स का प्रमोशन

*१—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सत्य है कि AMIE. Sec. B. की डिग्री केवल डिप्लोमा होल्डर्स ही प्राप्त करते हैं और वे ५० प्रतिशत कम अंक प्राप्त पर असफल घोषित कर दिये जाते हैं ? यदि हां, तो यह देखते हुये कि B. E. डिग्री होल्डर्स को कोई पुराना तजुर्बा न होने पर भी उन्हें सहायक इंजीनियर तुरन्त बना दिया जाता, उपरोक्त AMIE. Sec. B. डिग्री होल्डर्स को प्रमोशन न देने के कारण क्या हैं ?

*२—क्या डिप्लोमा होल्डर्स के लिये उत्तर प्रदेश सरकार १२०–२५० रु० के ग्रेड को परिवर्तित करेगी जैसा कि अन्य प्रदेशों में है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

प्राविधिक शिक्षा निदेशक से पर्याप्त सूचना प्राप्त नहीं हो पाई । तदुपरान्त इन्स्टीट्यूट आफ इन्जीनियर्स तथा सरकार के सभी इन्जीनियरिंग विभाग जहां सहायक इंजीनियर काम करते हैं, से सूचना मांगी गई है, जो अभी पूर्णतया प्राप्त नहीं हुई है और एकत्र की जा रही है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

श्रीमन्, जो लोग जी० टी० आई० से निकलते हैं वे लोग तीन साल का कोर्स करते हैं और इसके बाद ए० एम० आई० ई० का कोर्स करते हैं जिसमें ५० परसेंट से कम अंक पाने वाले लोग पास नहीं होते हैं, उनको सहायक इंजीनियर नहीं बनाया जाता है और जो लोग रुड़की वगैरह से इंजीनियरिंग पास कर के निकलते हैं जिनको कोई अनुभव नहीं होता उनको तुरन्त बना दिया जाता है। सिर्फ इतना-सा प्रश्न था। इसकी सूचना मांगने से मंत्री जी को क्या दिक्कत है और इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, इसमें लिखा है कि और प्रदेशों में जैसी सुविधायें दी जाती हैं इनको दी जायेंगी या नहीं। इस में मैंने अर्ज किया कि इंजीनियरों की भी राय लेनी है। उनसे पूछना है कि ए० एम० आई० ई० की डिग्री को वे ठीक समझते हैं या नहीं। जब यह सूचना आ जायगी तभी उत्तर पूर्ण होगा।

बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट के सुझाव

*३--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १२ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६ के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में आश्वासन समिति के प्रतिवेदन में पृष्ठ १८४ पर दिये गये बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट सन् १९५५ के तीन प्रकार के सुझावों में से वर्ग (ग) के जो सुझाव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन होने के कारण उन पर प्रदेशीय सरकार कार्यवाही नहीं कर पा रही थी उन पर क्या इन दस वर्षों में केन्द्रीय सरकार का कोई निर्णय प्रदेशीय सरकार को प्राप्त हुआ अथवा प्रदेशीय सरकार ने उन पर किये गये निर्णयों को केन्द्रीय सरकार से जानने की कोशिश की ? यदि हां, तो कितने और कौन कौन से सुझावों पर केन्द्रीय सरकार के क्या क्या निर्णय प्राप्त हुये और उन पर अब कमीशन की रिपोर्ट के दस वर्ष बाद प्रदेशीय सरकार कौन सी कार्यवाही कर रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट सन् १९६५ के तीन प्रकार के सुझावों में से वर्ग (ग) के सुझावों का संबंध पिछड़ी जातियों की सूची बनाने का था जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन था। केन्द्रीय सरकार का निर्णय राज्य सरकार को १४ अगस्त, १९६१ को प्राप्त हुआ। केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की वर्तमान सूची को छोड़कर अखिल भारतीय स्तर पर पिछड़ी जातियों की सूची न बनाई जाय। पिछड़ी जातियों के निर्धारण का प्रश्न राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया। राज्य सरकार ने विचार करने के पश्चात् पिछड़ी जातियों की वर्तमान सूची को ही कायम रखने का निर्णय लिया।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बतायेगी कि लिस्ट के अतिरिक्त सरकार ने कुछ और किया है जैसे बैकवर्ड कमीशन ने सुझाव दिया था कि नौकरियों में प्रथम श्रेणी में २५ प्रतिशत, दूसरी में ३३ प्रतिशत और तीसरी तथा चौथी में ४० प्रतिशत रिजर्वेशन इनके लिये होना चाहिये, इसके लिये सरकार ने क्या किया है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

श्रीमन्, अगर पिछड़ी जाति के व्यक्ति योग्य हैं और नौकरियों के लिये उपयुक्त हैं तो उनको सुविधा देने पर विचार किया गया।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पिछड़ी जाति का आधार जाति पर न रखकर आर्थिक आधार पर रखा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

भारतीय सरकार का आर्थिक आधार है किन्तु प्रदेशीय सरकार का आधार जाति का है।

श्री दीपनारायणसिंह--

क्या मंत्री जी इसको सोचते हुये कि अब तक इन १८ वर्षों में बैक वर्ड जाति की ५० परसेंट आबादी होते हुये गजटेड पोस्ट्स में उनका अनुपात ढाई परसेंट आया है, इस दृष्टि से बैकवर्ड कमीशन ने रिजर्वेशन का सुझाव दिया है और संविधान में सोशली बैकवर्ड लिखा है, इन चीजों को दृष्टि में रखते हुये अन्य सुझावों को लागू करने की कृपा करेंगे ताकि बैकवर्ड जाति अन्य जातियों के समकक्ष लाई जा सके ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)--

श्रीमन्, भारत सरकार ने जो हिन्दुस्तान के राज्यों को सलाह दी थी उसमें उन्होंने १४ अगस्त, १९६१ को लिखा है कि प्रान्तीय सरकार स्वतंत्र है कि किस आधार पर बैकवर्ड क्लास की लिस्ट बनायें। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने यह लिखा है कि जहां तक हो सके आर्थिक आधार ही माना जाय। जहां तक नौकरियों का प्रश्न है भारत सरकार ने प्रान्तीय सरकारों से कहा कि वह एक लिस्ट ड्रा करें और उसके मुताबिक कार्यवाही करें। जहां तक इस प्रदेश का प्रश्न है १९४७ से अब तक १८ साल हो रहे हैं। सितम्बर, १९५८ के पहले १४ जातियों को बैकवर्ड क्लास में नौकरियों में सुविधायें दी जाती थीं। उसके बाद से ५८ जातियों को, जो बैवकर्ड क्लास की लिस्ट में हैं सब को नौकरियों में सुविधायें दी जाती हैं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो बैकवर्ड जातियां बुद्धिस्ट हो गयी हैं क्या उनको अब भी वह प्रिविलेजेज हैं जो उनको पहले मिलते थे ?

डाक्टर सीताराम--

जो बुद्धिस्ट हो गये हैं उनको वैकवर्ड में नहीं सुविधायें मिलती हैं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि वर्ग 'ग' में क्या क्या सुझाव थे और प्रान्तीय सरकार ने अपनी स्वेच्छा से किन-किन सुझावों को कार्य रूप में परिणत किया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जो केन्द्रीय सरकार ने वर्ग 'ग' में सुझाव दिये थे उसने आर्थिक आधार रख कर दिये थे। जो जातियों की सूची बनाने के संबंध में उसने कमीशन की रिपोर्ट भेजी उसके साथ यह भी लिख दिया कि प्रदेशीय सरकार अपने विवेक पर सूची बनाने का निर्णय ले। इसलिये प्रादेशिक सरकार ने जातीय आधार पर अपनी १९५८ की सूची को बरकरार रखा और केन्द्रीय सरकार की सूची पर ध्यान देते हुये अपना निर्णय अन्तिम निर्णय कर लिया।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जैसा उन्होंने बताया बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पिछड़ी हुई जातियों को नौकरियों में रिजर्वेशन के आदेश नहीं हैं लेकिन सुविधायें दी जाती हैं तो वह क्या सुविधायें दी जाती हैं नौकरियों में ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो उन्होंने कहा कि नौकरी आदि में रखने की सुविधायें दी जाती हैं।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बजट के समय में जो घोषणा की थी कि जिलों में १८ फीसदी के बजाय ४५ फीसदी नौकरियां दी जायेंगीं, और उस पर सही रूप से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है उसको कार्यान्वित करने के लिये क्या प्रयास कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—

यह बैकवर्ड क्लास के बारे में सवाल है, न कि हरिजन जातियों के बारे में ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या मंत्री जी का ध्यान इस तरफ गया है कि बहुत से वर्ग ऐसे हैं जैसे माली, वह बैकवर्ड में शामिल हैं, लेकिन माली के नाम पर कुछ लोग ब्रेकेट में माली लिखकर सुविधायें ले लेते हैं, दूसरे गूजर काफी अमीर हैं और उनको बैकवर्ड में रखा हुआ है, यह उनकी मानहानि है, दूसरे यह कि जिन लोगों को असली सुविधायें मिलनी चाहिये उन्हें नहीं मिलतीं, इसलिये उनको लिस्ट से तुरन्त निकालने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अध्यक्ष महोदय, अगर आप आदेश दें तो मैं जाति की सूची जो मेरे पास है सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, सैनी जो हैं वह माली बनकर सारी सुविधायें ले रहे हैं, हालांकि उन दोनों में बड़ा भेद है, आपस में शादी-व्याह भी नहीं करते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बैकवर्ड की परिभाषा केन्द्रीय सरकार ने आर्थिक आधार पर बनाई थी, लेकिन प्रान्तीय सरकार ने जातीय आधार पर बनाई है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से अलग होने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

भारत सरकार की नीति से हम लोग अलग नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो भारत सरकार ने स्टेट को पत्र लिखा उसी के आधार पर यह लिस्ट बनाई गई है । भारत सरकार ने समस्त सूबों को यह सुझाव दिया था कि जहां तक हो यदि आर्थिक आधार मान लिया जाए तो अधिक अच्छा हो वरना वह स्टेट्स ही वह लिस्ट बनायें और उसके मुताबिक कार्य करें ।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण मंत्री को यह सूचना देता हूं कि सरकार की तरफ से जो प्रीफरेंस बैकवर्ड क्लासेज को दिया जाता है, उसकी कहीं भी अमल दरामद नहीं होती है, तो क्या आप मेरी इस सूचना को आधार मान कर अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को दुबारा हिदायत करेंगे कि वह बैकवर्ड क्लासेज को प्रीफिरेंस दें ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को कुछ भ्रम हो गया है अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में । मैं उनको यह फिर से बता देना चाहती हूं कि पिछड़ी हुई जातियों को सुविधायें केवल शैक्षिक आधार पर ही प्रदान की गयी हैं, जो भारत सरकार द्वारा

भी दी जाती हैं। छात्रवृत्तीय सहायता और पुस्तकीय सहायता और प्रदेशीय सरकार द्वारा जो सुविधायें दी जाती हैं जातीय आधार पर, लेकिन दोनों सरकारों द्वारा केवल शैक्षिक सहायता ही उन्हें दी जाती है।

सचिवालय उपभोक्ता भण्डार

*४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के हेतु सरकारी उपभोक्ता भंडार, सचिवालय भवन, लखनऊ खोला गया, परन्तु उक्त भंडार में निम्न वेतन भोगी सरकारी कर्मचारियों के हेतु उचित भाव पर जो कि रोज के सस्ते माल में आने वाली खाद्य वस्तुयें जैसे कड़ुवा तेल, मिट्टी का तेल, दालें सभी प्रकार की तथा सस्ते कपड़े इत्यादि उपलब्ध नहीं हो रहा है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

खाद्य वस्तुयें जैसे कड़वा तेल, सभी प्रकार की दालें इत्यादि तथा मिट्टी का तेल अभी इस भण्डार पर उपलब्ध नहीं हो रहा है। शेष अन्य आवश्यक वस्तुओं का उचित मूल्य पर बिक्री का प्रबन्ध किया जा रहा है। सस्ता कपड़ा बिक रहा है।

*५—श्री रघुवीर सहाय कैथवार (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इस भयंकर महंगाई को देखते हुये जो अब अपनी चरम सीमा पर आ गयी है सरकारी कर्मचारियों को ऊपर लिखी गई खाद्य वस्तुयें सन् १९५६-५७ के भाव की दर पर उपभोक्ता भंडार द्वारा दिलवाने की शीघ्र व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

शीघ्र ही इन भंडारों द्वारा गेहूं तथा अरहर की दाल इत्यादि भी उचित मूल्य पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बेचने की व्यवस्था की जा रही है। गोदामों तथा आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था होने पर अन्य सामग्रियों की बिक्री का भी प्रबन्ध किया जायगा।

हैन्डीक्राफ्ट्स शोकेस, गोरखपुर

*६—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि हैण्डीक्राफ्ट्स, गोरखपुर शो केस के कार्यालय और उसकी सेवाओं पर प्रकाश डालते हुये भूतपूर्व स्पेशल मैनेजर, श्री एम० वाई सिद्दीकी ने उस समय असि० डाइरेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज (हैण्डीक्राफ्ट्स), कानपुर अर्थात् श्री जे० आर० कुकरेती के पास कोई पत्र भेजा था जिसकी कापी सूचनार्थ जिला उद्योग अधिकारी, गोरखपुर तथा सब-जोनल अधिकारी, गोरखपुर को भी प्रेषित की थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उस की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां। उस पत्र की एक† प्रतिलिपि संलग्न है।

*७—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जिला उद्योग अधिकारी, गोरखपुर श्री टी० एन० भाटिया, डिप्टी डाइरेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज के सामने गोरखपुर शो-केस का कभी इन्सपेक्शन किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उस इंस्पेक्शन की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी तथा यह भी बतायेगी कि अब तक इसका पालन क्यों नहीं इंचार्ज द्वारा किया गया ?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी हां। निरीक्षण तालिका की एक प्रतिलिपि संलग्न है। शो-केस को ठीक प्रकार से चलाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन था। इस बीच में चूंकि रेलवे अधिकारियों ने माल को बिक्री करने की अनुमति नहीं दी, सरकार ने शो केसेज से सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी। अतः निरीक्षण तालिका पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, यह हैन्डीक्राफ्ट्स गोरखपुर के शो-केस का मामला बहुत पुराना है, उसकी जांच करने सिद्दीकी साहब गये और उन्होंने इस बात की सिफारिश की जो कि इस पत्र में साफ है कि जो श्री त्रिपाठी और चौकीदार वहां के कर्मचारी हैं, उन्हें रखा जाये निकाला न जाए, किन्तु फिर भी वे क्यों हटा दिये गये, यह मैं जानना चाहता हूं ?

डाक्टर सीताराम--

श्रीमन्, यह किसी की शिकायत के आधार पर नहीं था, यह सही है कि इंडस्ट्रीज अफसर गये और उन्होंने श्री त्रिपाठी और चौकीदार को वहां हाजिर नहीं पाया। २४ घंटे वहां पर चौकीदार का रहना मुमकिन नहीं है। यह तो पालिसी के आधार पर हटाये गये, जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर यह हुआ। अब तो चौकीदार को नियुक्त कर लिया गया है और त्रिपाठी जी को भी अन्य जगह लेने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--

क्या यह सही है कि जिस समय गोरखपुर में यह साहब भेजे गये थे इस समय सरकार ने आश्वासन दिया था कि अगर वह शो-केस हट भी जायगा तो भी आपको सर्विस से नहीं हटाया जायगा और परमानेन्ट काडर में जहां आपकी सीनियारिटी है उसको रखा जायगा ? यदि हां, तो सरकार ने उनको रखने के लिये अभी तक क्या प्रबन्ध किया है और उनकी सीनियारिटी को देखते हुये अब उनको कहां रखेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मुझे यह पता नहीं कि उस समय क्या आश्वासन दिया गया था या नहीं दिया गया था लेकिन यह सूचना मेरे पास है कि गवर्नमेंट ने यह ठीक पाया है कि जो सीनियर था उसको अलग नहीं करना चाहिये था और जूनियर को अलग करना चाहिये था। इसलिये यह आदेश हो गये हैं कि त्रिपाठी को वह जगह दे देनी चाहिये, यह गवर्नमेंट का निर्णय है।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, सरकार ने देर आयद दुरुस्त आयद यह निर्णय किया है कि त्रिपाठी को जगह देना चाहिये था लेकिन त्रिपाठी जी जो इतने दिनों तक नौकरी से बाहर रहे, तो क्या सरकार उनको क्षतिग्रस्त मुआवजा देगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जब उनका प्रार्थना-पत्र आयेगा तो विचार किया जायगा। इसमें सरकार की गलती नहीं है। त्रिपाठी ने कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कौंसिल से रिट दाखिल करने की आज्ञा के लिये कहा था, बाद में उन्होंने जून में रिट वापस ले लिया। उन्होंने यह भी दरख्वास्त दी थी कि उनकी जमानत वापस कर दी जाय।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि उसकी सरविसेज रिटेन की जायं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, मैंने यह निवेदन किया है कि गवर्नमेंट ने यह होल्ड किया है कि जो सीनियर हैं उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिये और जो जूनियर हैं उनको अलग हो जाना चाहिये।

थानेदार हथगांव के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*८--श्री रघुवीर सहाय कैथवार (अनुपस्थित)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के थाना हथगांव के थानेदार के विरुद्ध व्यभिचार, भ्रष्टाचार और जाल करने की शिकायत सितम्बर, अक्तूबर, १९६४ में उन्हें व जिलाधीश फतेहपुर को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्दसिंह--

थानेदार हथगांव के विरुद्ध इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिनांक ८-१०-६४ रजिस्ट्री द्वारा और २२-१०-६४ का प्रार्थना-पत्र दस्ती जिला मजिस्ट्रेट के बंगले पर दिया गया। आरोपों की जांच कराई गई और जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये।

हरपालपुर थाने की डकैती

*९--श्री श्यामलाल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रटपुरा, थाना हरपालपुर, जिला हरदोई में १० मार्च, सन् १९६३ को एक डकैती पड़ी? यदि हां, तो कितने की सम्पत्ति डकैत लूटकर ले गये, कितना माल बरामद हुआ और कितने डकैतों का चालान हुआ और कितनों को सजा हुई?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

१० मार्च, ६३ को उक्त ग्राम में डकैती की कोई घटना होने की सूचना नहीं है। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामलाल--

क्या इस तारीख के आसपास कोई ऐसी घटना हुई थी?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

२५/२६-२-६३ को ऐसी एक डकैती पड़ी थी।

श्री श्यामलाल--

तो अब आप कृपया मेरे प्रश्न में जो बातें पूछी गयी हैं उनका उत्तर दे दें।

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

१२ डकैतों का चालान हुआ जिनमें से २ छूट गये। इसमें ३,७७८ रुपये का सामान लूटा गया था।

श्री श्यामलाल--

मुझे पूरी सूचना है कि एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति के भाई भतीजे जो सफेदपोश डकैत थे, उन्होंने डकैती डाली और बाद में थानेदार से मिल करके इस तरह से मुकदमे को कमजोर करवा दिया। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करवायेंगे?

श्री अध्यक्ष--

अब तो अदालत ने बरी कर दिया।

श्री श्यामलाल---

वह तो ठीक है लेकिन थानेदार ने इन सफेदपोश डकैतों के प्रभाव में आकर मुकदमे को कमजोर कर दिया।

श्री अध्यक्ष---

लेकिन अदालत के निर्णय के ऊपर यहां प्रश्न तो अब नहीं हो सकता।

थारू और बोक्सा जातियां

*१०---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---

क्या सरकार को यह बात मालूम है कि प्रदेश के तराई अंचलों में बसने वाली थारू और बोक्सा जातियां उच्छिन्न होती जा रही हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जी नहीं।

*११---श्री झारखंडे राय---

यदि नहीं, तो इन जातियों को समूल विनाश से बचाने के लिये क्या कार्यवाही सरकार करने का विचार कर रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

प्रश्न नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय---

क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास क्या इस प्रकार की कोई सूचना है कि थारू और बोक्सा जातियां जो हमारे उत्तर अंचल में हैं उनकी कितनी आबादी पहले थी और इस समय उनकी क्या संख्या है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

यह संख्या तो पूरे तराई क्षेत्र की नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि आज से १० वर्ष पूर्व जो थारू और बोक्सा जाति के लोग बसते थे, उस क्षेत्रमें नानकसागर और शारदासागर के निर्माण से विस्थापित हुए लोग भी वहां आ गये और इस स्थान पर बस गये। बस जाने से वहां पर वह संख्या ज्यादा हो गई उनके मुकाबले में।

श्री झारखंडे राय---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जीविकोपार्जन के अभाव में, नाना प्रकार की बीमारी वहां हो जाने के कारण, माकूल दवा का इन्तजाम न होने के कारण, थारू और बोक्सा जाति की बहुत बड़ी संख्या हमारी बगल के नेपाल के उस अंचल में चली जा रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

यह तो गोरखपुर की सूचना है। उस साइड की सूचना नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य सूचना देंगे तो उसकी भी सूचना मंगा ली जायगी।

श्री झारखंडे राय---

थारू बोक्सा जाति गोरखपुर में कम है। हमारे नैनीताल और अल्मोड़ा साइड से जो हमारा प्रदेश मिला हुआ है उस तराई के हिस्से में तथा लखीमपुर में वह अधिक बसते हैं तो वहां की आपको सूचना है कि उनकी बहुत बड़ी संख्या जीविकोपार्जन के अभाव में नेपाल जा रही है। माननीय मंत्री जी फिर से इसकी जांच करा लेंगे कि क्या स्थिति है ?

डाक्टर सीताराम---

जैसा प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया उसकी जांच करा ली जायगी। पीलीभीत में बोक्सा और थारू जाति की कोई आबादी नहीं है। नैनीताल, गढ़वाल, खीरी, बहराइच, गोंडा और गोरखपुर में इनकी अधिक संख्या है। गढ़वाल में १८५ परिवार पाये जाते हैं। खीरी में उनकी १० हजार आबादी है। बहराइच में ४,६०८ परिवार हैं। गोंडा की सूचना नहीं है। जहां तक माइगरेशन का सवाल है यू० पी० के बाहर सिर्फ गोरखपुर जिले से नौतनवां को पार करते हैं। गढ़वाल से कुछ लोगों के जाने की इत्तला मिली है; और जिलों से बाहर जाने की इत्तला नहीं है। फिर भी इस प्रश्न को नोटिस मानकर इसकी जांच करा लेंगे।

श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि नानकसागर की स्कीम में वहां से जो ४, ५ गांव थे उनसे बोक्सा और थारू जाति के लोग हटाये गये तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से उनको क्या-क्या सुविधा दी गई?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

उनको कुटीर उद्योग, गृह निर्माण, वन, सहकारी समिति और पुनर्वासन में लगाया गया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या मंत्री जी कृपा करेंगे कि थारू और बोक्सा जाति के लोग नेपाल की सरहद पर जो गोरखपुर जिले से सटी हुई है और उधर पहाड़ी इलाके में जो दूसरी जगह से सटा हुआ है वहां पर खास तौर से पाये जाते हैं और चूंकि इनके भरण पोषण का कोई ठिकाना नहीं है इसलिये कभी कभी ये ऐसा काम करने लगते हैं जिनको रोकने की जरूरत है, तो उनके पुनर्वासन का विचार करके ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि इनको एक जगह बसा दिया जाय ताकि जो सुविधा उनको देना चाहते हैं वह दी जा सके?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

गोरखपुर की जो नैपाल सीमा है उनके पास ये बसे हुये हैं। इनका मुख्य पेशा खेती है। वे नैपाल आते-जाते रहते हैं और उनकी रिश्तेदारियां भी वहां हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कार्यवाही की रिपोर्ट यहां आती है जो कि उचित नहीं है तो गृह विभाग को उसकी सूचना दी जाती है और उस पर कार्यवाही होती है।

श्री ऊदल---

मुझे दो स्थानों की जानकारी है। पहले शारदा सागर में उनकी जमीन छीन ली गयी और उनका कम्पेन्सेशन अभी भी पड़ा हुआ है। दूसरे नानकसागर में उनको दस रुपया फी एकड़ कम्पेन्सेशन दे कर भगा दिया गया। तो क्या मंत्री जी इन दो स्थानों के लिये जांच करायेंगे कि उनमें से कितने थारू हिन्दुस्तान में हैं और कितने नैपाल चले गये?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

अध्यक्ष महोदय, इस विभाग द्वारा उनके पुनर्वास की योजना पूर्ववत् लागू है और निरन्तर प्रयास किया जाता है कि उनको बसा कर खेती बारी की पूरी सुविधा प्रदान की जाय। किन्तु भूमि वन विभाग अथवा ग्राम पंचायत के पास रहती है और निरन्तर कोशिश की जाती है कि उनसे भूमि मिलने पर इनको दिलायी जाय और प्रत्येक परिवार के लिये जो ४,००० रुपये की व्यवस्था है उसका उपयोग किया जाय। लेकिन ऐसा करने में भूमि न मिलना एक बड़ी कठिनाई है जिसके कारण इस रुपये का जितना उपयोग होना चाहिये, वह नहीं हो पाता।

श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि थारू जाति की गणना करने के लिये कुछ पहले केन्द्रीय सरकार का एक कमीशन आया था। मंत्री जी ने गोंडा जिले में उनकी संख्या नहीं बतायी। वहां थारू बहुत है और वे मेहनती तथा ईमानदार हैं। इस बात को देखते हुए कि उनकी हालत खराब है क्या सरकार उनके उत्थान की कोई व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

गोंडा जिले में इन जातियों के उत्थान के लिये ४५,००० रुपया कुटीर उद्योग के लिये मंजूर हुआ था जिसमें से १७,६५३ खर्च हुआ, गृह निर्माण के लिये; ४५,२५० रुपया मंजूर हुआ जिसमें से ५,२५० खर्च हुआ, कृषि उत्थान के लिये; ९१,०४० रुपया मंजूर हुआ था जिसमें से ४७,६६३ रुपया खर्च हुआ। सहकारी समितियों के लिये व्यय नहीं हो पाया किन्तु पुनर्वास के लिये ८०,००० रुपया मंजूर किया गया था जिसमें से ९,००० रुपया खर्च हुआ। इससे स्पष्ट हो जायगा कि इस जिले में सरकार इनके विकास के लिये उदासीन नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह---

इसका सही उत्तर १९५१ और १९६१ की जनगणना के आधार पर दिया जा सकता है। क्या मंत्री जी ने उसे देखा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

रुद्रपुर थाने में दुग्धेश्वरनाथ मन्दिर के निकट हत्या

*१२---श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि देवरिया जिले के रुद्रपुर थाने के नाथबाबा नामी स्थान पर ९ जून के गंगा दशहरे के मेले में किसी व्यक्ति का कत्ल हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस समय हथियारबन्द पुलिस तैनात न थी ? क्या दरोगा भी उस समय मौके पर न थे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

देवरिया जिले के रुद्रपुर थाने के अन्तर्गत दुग्धेश्वरनाथ मन्दिर के पास ९-६-६५ को गंगा दशहरे के मेले में कुछ व्यक्तियों ने एक आदमी पर हमला करके घातक चोटें पहुंचाईं जिसके फलस्वरूप उस आदमी की मृत्यु हो गई। मेले में हथियार बन्द पुलिस नहीं थी। दरोगा भी घटनास्थल पर नहीं थे। मेले में प्रतिवर्ष की भांति हेड कान्सटेबुल तथा अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई थी और वहां किसी दरोगा की ड्यूटी आवश्यक नहीं समझी गई थी।

श्री चन्द्रबली सिंह---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जैसा कि पिछले सालों में उस साल मेले में लूट-पाट होती आ रही है और इसकी सूचना लिखित रूप में अखबार द्वारा सरकार को है और शिवरात्रि के मेले में भी लूट-पाट हुई, तो इस मेले में हथियारबन्द पुलिस और दरोगा को मौके पर तैनात न करने का क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

हर वर्ष मेला लगा करता था। झगड़े का कोई अंदेशा नहीं था। यह तो व्यक्तिगत रूप से एक आदमी ने किसी लड़की को छेड़ दिया था कहा जाता है कि उससे उसकी दोस्ती थी। दूसरे लोगों को बुरा लगा और उस पर हमला कर दिया।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

७–८ साल से हर साल इस तरह की घटना होती है, बावजूद इसके अहतियाती कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

ऐसी सूचना मेरे पास तो है नहीं कि ७–८ वर्ष से झगड़ा होता था।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

९ तारीख को हजारों आदमियों ने देर तक, ३ घंटे तक मेले में लाठी मार कर कत्ल कर दिया और पिछले ७–८ वर्ष से दूकानदार लूटे जा रहे हैं और वाराणसी में अखबारों में हर साल न्यूज निकलती आ रही है और मेरे द्वारा और स्थानीय लोगों द्वारा भी सूचना दी जाती रही, इसके बावजूद थानेदार मौके पर नहीं रहा और हथियारबन्द पुलिस की तैनाती नहीं हुई जबकि उस थाने में पुलिस गयी हुई थी, तो क्या भविष्य में अहतियाती कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

रिपोर्ट जो उन्होंने लिखाई है, उन्होंने कहा है कि ३०–४० आदमी थे और दो आदमियों का नाम लिया---हजारों आदमी नहीं रहे जिन्होंने उसको मारा। वह ब्लाक की बिल्डिंग में घुस गया और वहां पीटा गया और मर गया। हम कब चाहते हैं कि ऐसी घटना हो।

कप्तानगंज थाने में श्री रामभवन यादव का कत्ल

*१३---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिला के कप्तानगंज थाने के सेमरा नामी स्थान पर सोशलिस्ट कार्यकर्ता, श्री राम भवन यादव का २७ मई, १९६५ को कत्ल हुआ है ? यदि हां, तो अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ने के सम्बन्ध में पुलिस की क्या रिपोर्ट है ? उस रपट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा की जाय ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जी हां, इस घटना की रिपोर्ट २८–५–६५ को थाना कप्तानगंज पर धारा १४८/३०२ भा० दं० विधान के अन्तर्गत दर्ज कराई गई थी। विवेचना के उपरान्त ५ अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग-पत्र न्यायालय को भेजा गया।

अभियुक्तों की जमानत के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३९६–३९७ पर)

श्री चन्द्रबली सिंह---

जैसा कि जमानत की रपट में पुलिस ने दिया है कि अभियुक्त ज्यादा जालिम हैं और गवाहों को भी आतंकित कर सकते हैं, ऐसी सूरत में जब वह बाहर आ गये हैं और सरकार को भी एसी सूचना है कि राम भवन के पिता और ४ वर्ष के बच्चे को कत्ल करने और गवाहों को कत्ल करने की कोशिश हो रही है तो उनके बचाव के सिलसिले में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जमानत तो अदालत स्वीकार करती है। पुलिस ने बयान हल्फी दिया अदालत के सामने कि इनकी जमानत खारिज की जाय। अब यह तो अदालत के ऊपर है कि वह उसको स्वीकार करे या नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

गत १० अगस्त को उनकी औरत और उनके पिता ने भी माननीय गृह मन्त्री को यह सूचित किया कि जो अभियुक्त जमानत पर रिहा हुए हैं वे उनके कत्ल की कोशिश कर रहे हैं। तो जब उनका परिवार खतरे में है, तो सरकार ने उन अभियुक्तों के खिलाफ १०७/१५१ आदि दफाओं के अन्तर्गत उनको चालान क्यों नहीं किया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

यह तो अदालत का मामला है। पुलिस तो प्रार्थना ही कर सकती है अदालत में, फैसला तो वही करती है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

एक मामला तो अदालत के सामने विचाराधीन है। किन्तु यह देखते हुए कि उनसे दूसरा अन्देशा है कि वे और किसी को कत्ल न कर दें, उनके खिलाफ क्या सरकार १०७/१५१ आदि की कार्यवाही चलाने के लिए तैयार हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

चूंकि मामला अदालत के सामने है, इस बीच कोई और कार्यवाही करना उचित न होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

उस मामले का इस मामले से श्रीमन्, क्या सम्बन्ध है ? मतलब यह है कि अगर दूसरे की जान खतरे में है, तो क्या उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होना चाहिए ? यहां ऐसा उत्तर दे दिया जाता है जिससे कि अभियुक्तों का हौसला बढ़ता है तो सरकार इनके खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं करती ?

(उत्तर के लिए मन्त्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री उग्रसेन--

उस व्यक्ति ने अपने कत्ल से एक हफ्ते पहले जब पुलिस कप्तान और थाने को इस आशय की सूचना दे दी थी कि उसकी जान को खतरा है, तो उसकी दरख्वास्त पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इस तरह की सूचना इस समय नहीं है कि उसने कोई ऐसी दरख्वास्त दी थी।

श्री उग्रसेन--

कोई दरख्वास्त कत्ल से पहले की थी या नहीं यह बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा तो कि सूचना नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, बावजूद इसके कि पुलिस द्वारा यह दरख्वास्त दी गयी कि अभियुक्तों को जमानत पर न छोड़ा जाय, अदालत ने उनको छोड़ दिया, किन्तु यह तो स्पष्ट है कि सरकार उनको खतरनाक आदमी समझती है, तो सरकार ने उस व्यक्ति के परिवार की रक्षा के लिए कोई प्रबन्ध किया है या नहीं, यदि नहीं, तो क्या उनकी सुरक्षा का सरकार प्रबन्ध करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

उनकी तरफ से यदि कोई इसके लिए प्रार्थना आयेगी तो उसका जरूर इन्तजाम किया जायगा ।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी को याद है कि अभी ५-७ दिन के अन्दर उनके पिता ने अपनी जमानत की रक्षा के लिए एक प्रार्थना-पत्र माननीय गृह मन्त्री को दिया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

मुझे याद नहीं है। अगर दिया होगा तो उस पर अवश्य कार्यवाही हुई होगी।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि कत्ल का मुकदमा विचाराधीन है और अभियुक्तों को जमानत पर छोड़े जाने के बाद उनको जान का खतरा है। ऐसी सूरत में जब सरकार को शिकायतें मिल चुकी हैं तो उनको डी० आई० आर० में क्यों नहीं बन्द किया जाता ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

डी० आई० आर० में तो मैंने कल पढ़ा कि डा० राममनोहर लोहिया को भी नहीं पकड़ा जा सका। ला ऐंड आर्डर के प्रश्न पर डी० आई० आर० का कोई सवाल नहीं है।

रामनवमी मेला, अयोध्या की दुर्घटना से सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों की गिरफ्तारी

*१४---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रामनवमी के मेले के अवसर पर अयोध्या पुल काण्ड के सिलसिले में क्या बस्ती के कुछ सिपाही तथा चीफ गिरफ्तार हुए हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं ? क्या उनकी तलाशी किसी अधिकारी ने ली है ? क्या उनके लिए बड़ी जमानत की दरख्वास्त पर पुलिस की रपट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यह सही है कि चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या के अवसर पर पीपा-पुल दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना छावनी के अन्तर्गत चौकी बाधानाला के हेड कांस्टेबुल एक कांस्टेबुल सहित गिरफ्तार हुए थे। उनके विरुद्ध एक व्यक्ति से कुछ सामान छीन लेने का आरोप लगाया गया था। उनकी तलाशी किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने मांगने पर स्वयं सम्पत्ति दे दी थी ।

उनकी जमानत की दरख्वास्त के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३९८ पर)

जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अलीगंज द्वारा बालकिशोर, सब-इस्पेक्टर के विरुद्ध अवक्षेप

*१५---श्री गनेशचन्द्र काछी---

क्या सरकार का ध्यान अदालत श्री एस० बी० कटियार, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अलीगंज, जिला एटा के फैसले जेर दफा ३८० ताजीरात हिन्द, स्टेट बनाम सियाराम, पुत्र बैजू व सोन पाल, पुत्र गंगू, निवासी मनिकपुरा, थाना जैथरा, तारीख ३ मई, १९६५ ई०, मुकदमा नम्बर ७९, सन्

नोट---तारांकित प्रश्न १४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

१९६५ की तरफ गया है जिसम उपरोक्त जुडीशियल मैजिस्ट्रेट ने लिखा है कि २८–२९ दिसम्बर, १९६४ की रात को सुधर सिंह, परशुराम व नत्थू सिंह व शिवदीन सिंह आदि ग्राम कपुरपूर, थाना जैथरा के घरों में बहुत बड़ी डकैती हुई पर श्री बाल किशोर, एस० आई०, थाना जैथवार ने डकैती की रिपोर्ट न लिखकर चोरी की लिखी और अपने फैसले की एक कापी एस० पी० को भेजते हुए लिखा है कि श्री बाल किशोर, एस० आई० का चाल-चलन शकपूर्ण है इनके खिलाफ उचित कार्यवाही की जावे ? यदि हां, तो श्री बाल किशोर थानेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह––

जी हां, जुडीशियल मजिस्ट्रेट ने श्री बाल किशोर सब-इन्स्पेक्टर के विरुद्ध इस आशय के अवक्षेप (strictures) पारित किये हैं जिन पर इस समय नियमानुसार पैरा ५०० पुलिस रेगुलेशन के अन्तर्गत जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध में सब-इन्स्पेक्टर ने अवक्षेपों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रार्थना-पत्र दिया है जो इस समय माननीय उच्च-न्यायालय के विचाराधीन है।

रायबरेली रेलवे स्टेशन पर चोरियां

*१६––श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली रेलवे स्टेशन में दिनांक १५ जून, १९६५ से १५ जुलाई, १९६५ तक कितनी चोरियां हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह––

इस अवधि में चोरी की घटना की केवल एक रिपोर्ट दर्ज हुई है।

*१७––श्री रतीपाल––

उपरोक्त चोरियों में किन-किन व्यक्तियों की रिपोर्ट हुई है और उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह––

उक्त घटना की रिपोर्ट हसरत, अजमत व सिद्दू नामक तीन लड़कों के विरुद्ध लिखाई गई। आवश्यक जांच के पश्चात् तीनों का चालान न्यायालय में कर दिया गया है जहां मामला विचाराधीन है।

*१८––श्री रतीपाल––

क्या यह सही है कि यह चोरियां जी० आर० पी० के सिपाहियों और स्टेशन मास्टर के आपसी झगड़े का ही परिणाम है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह––

उक्त चोरी की घटना से जी० आर० पी० स्टाफ व स्टेशन मास्टर के बीच अनबन का कोई सम्बन्ध नहीं है। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

न्यौली चीनी मिल को मवेशी शेड बनवाने के लिये आदेश

*१९––श्री वेदराम (जिला एटा)––

विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६४) के छठें गुरुवार के लिये निर्धारित श्री वेदराम द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर से सम्बन्धित क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि न्यौली चीनी मिल, जिला एटा को गन्ना आयुक्त द्वारा बैलगाड़ियों के ठहरने के लिये

समुचित व्यवस्था करने के वास्ते क्या-क्या आवश्यक निर्देश दिनांक ३१ मार्च, १९६४ को भेजे गये और उनमें से किन-किन की पूर्ति कर दी गई है ? जिनकी पूर्ति नहीं की गई इसका क्या कारण है ? जिनकी पूर्ति की गई उसका पूरा विवरण क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्राप्त सूचनानुसार गन्ना आयुक्त द्वारा न्योली शुगर फैक्टरी को यह निदेश दिये गये थे कि वह उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ के नियम ४० (घ) के प्राविधान के अनुसार मवेशियों के खड़े होने के लिये छाजन (शेड) की व्यवस्था करें। इसमें बैलों के खड़े होने के लिये एक टिन शेड लगभग ९० × १५ फुट की नाप का है इसके अतिरिक्त फैक्टरी कार्यालय के पीछे ८६ × ९० फुट नाप का एक बरामदा भी है जिसमें वर्षा तथा धूप से बचने के लिये गाड़ीवान तथा बैलों की ठहरने की व्यवस्था है।

गुड़ खान्डसारी उद्योग समिति, गंगारामवाला, बिजनौर को ऋण

*२०—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गुड़ खाँडसारी उद्योग समिति, गंगारामवाला, जिला बिजनौर को १९६० से अब तक कितनी धन राशि ऋण और अनुदान के रूप में दी गई हैं और कितना ऋण अब तक वसूल हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गुड़ खान्डसारी उद्योग समिति, गंगारामवाला, जिला बिजनौर को १९६० से अब तक ऋण तथा अनुदान के रूप में दी गई धनराशियों तथा वसूल हुए ऋण का विवरण नीचे दिया है :

वर्ष		धनराशियां
		रु०
१९६०–६१	ऋण	४,८४०
	अनुदान	१,१९०
१९६२–६३	ऋण	५,०००
	अनुदान	२,०००

१९६०/६१ में दिये गये उपरोक्त ऋण में से वसूल की गई धनराशि रु० ५३७.८८ पैसा है।

१९६२–६३ के ऋण की अभी अदायगी नहीं हुई। जो ऋण अब तक वसूल नहीं हुआ इसके कारणों की जांच की जा रही है।

*२१—श्री श्रीराम—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि गंगारामवाला फार्म पर जो पावर चलाया जाता है उसके संचालकों ने एक्साइज ड्यूटी अदा की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गंगाराम वाला फार्म पर पावर झनार नहीं चलाया जाता है। अतः इक्साइज ड्यूटी के अदा करने का प्रश्न नहीं उठता।

यू० पी० हैण्डी क्राफट्स शोरूम, भोपाल में चोरी

*२२—श्री ऊदल तथा श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफट्स शो रूम, भोपाल में अभी हाल में ही कोई चोरी हो गई है ? यदि हां, तो इस चोरी में कितनी क्षति हुई है तथा अब तक क्या कार्यवाही इस संबंध में की गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, इस चोरी में ८१३ रु० ६९ पैसे की हानि हुई है। चोरी की रिपोर्ट पुलिस को की गई जो मामले की जांच कर रही है।

सिनेमाओं को लाइसेन्स

*२३—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में १९६३–६४ व १९६४–६५ व १९६५–६६ में अब तक किसको नये सिनेमाओं के लाइसेन्स दिये हैं ? आगरा के भारत एनेक्सी सिनेमा को नया लाइसेंस देने का क्या आधार है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

राज्य में वर्ष १९६३–६४, १९६४–६५ व १९६५–६६ में जो नये सिनेमाओं के लाइसेन्स दिये गये हैं उनकी सूची संलग्न है।

आगरा के भारत एनेक्सी सिनेमा को अभी तक कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३९९ पर)

यू० पी० हैन्डी क्राफ्ट्स शो केस, मसूरी

*२४—श्री रघुवीरराम तथा श्री ऊदल—

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफट्स द्वारा मंसूरी में शो केस कब खोला गया तथा तभी से प्रति वर्ष मई, जून, सितम्बर, अक्तूबर के महीने में कुल मिलाकर कितने रुपये की बिक्री होती रही और शेष महीनों की कुल बिक्री प्रति वर्ष अलग-अलग क्या रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफट्स द्वारा मंसूरी शो केस जून, १९५९ में खोला गया था तथा प्रति वर्ष मई, जून, सितम्बर, अक्तूबर और शेष महीनों में कुल मिलाकर बिक्री प्रति वर्ष अलग अलग निम्नलिखित है—

सन्			मई, जून, सितम्बर और अक्तूबर की बिक्री	शेष महीनों की बिक्री
			रु० पैसे	रु० पैसे
१९५९–६०	..	..	७८६७.९६	८३४७.७९
१९६०–६१	..	..	१६४५१.७८	८९०३.५६
१९६१–६२	..	..	११५१९.७१	१०५१९.७१
१९६२–६३	..	..	७३०६.७७	९६६४.६४
१९६३–६४	..	..	७८७०.९४	६३३२.८३
१९६४–६५	..	..	६१५५.०५	३७३३.५५
			५७१७२.२१	४७५०२.०८

*२५—श्री रघुवीरराम तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार पिछले वर्ष की बिक्री को ध्यान में रख कर यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष वहां पर बिक्री क्यों नहीं की गई तथा बिक्री की औसत हानि क्या रही तथा उस हानि की जिम्मेदारी क्या स्पेशल मैनेजर की नहीं है ? यदि है, तो यह नुकसान स्पैशल मैनेजर से क्यों न वसूल किया जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चूंकि मंसूरी शो केस का खर्चा वहां के औसतन मुनाफे से अधिक था, इसलिये सरकार ने इस शो केस को बन्द करने के आदेश दिये थे। अतएव इस वर्ष वहां पर बिक्री नहीं की गई। प्रश्न नहीं उठता।

*२६—श्री रघुवीरराम तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त शो केस में कितने रुपये के मूल्य का सामान कब से चौकीदार की जिम्मेदारी पर पड़ा हुआ है तथा किसी अप्रिय घटना के घट जाने पर क्षतिग्रस्त नुकसान माल की जिम्मेदारी किस कर्मचारी पर निश्चित की जायगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उक्त शो कैस में ४०७७रु० ८० पैसे का माल २७—१—६४ से चौकीदार की जिम्मेदारी पर पड़ा है तथा उसके नुकसान की जिम्मेदारी चौकीदार की होगी।

उन्नाव जिले में उद्योगों की स्थापना

*२७—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत किन्हीं राजकीय वृहत मध्यम अथवा लघु उद्योगों की स्थापना हुई ? यदि हां, तो कौन-कौन से ? यदि नहीं, तो क्या सरकार चतुर्थ योजना के अन्तर्गत किसी राजकीय उद्योग की स्थापना करने की इस जिले में कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले कारखानों के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। परन्तु हम कारखानों की स्थिति (location) का चुनाव प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सिफारिश तथा सभी प्रकार की सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जायगा।

*२८—श्री श्रीराम तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव में जिस औद्योगिक आस्थान की स्थापना हुई है उसमें कितने यूनिट हैं और वह किन्हें किस उद्योग के लिये एलाट किये गये हैं और क्या उनमें से किसी में कार्य आरम्भ हो गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उन्नाव में एक लघु औद्योगिक आस्थान है और उसके १० यूनिट हैं जिनमें से चार "सी" टाइप और ६ "डी" टाइप यूनिट हैं चारों "सी" टाइप यूनिटों का आवन्टन हो चुका है जो निम्न उद्योगपतियों को उनके आगे दिये गये उद्योगों के लिये दिये हैं :

१—श्री संगत सिंह जौहर, उन्नाव	..	पेन्ट तथा वारनिश।
२—श्री बैजनाथ सेठ, कानपुर	..	वाटर टेप।
३—श्री आर० एन० कपूर, कानपुर	..	हास्पिटल औजार व कृषि यंत्र।
४—श्री सबीर अहमद, कानपुर	..	लकड़ी व लोहे के फर्नीचर, आदि।

६ "डी" टाइप यूनिटों में से अभी केवल ५ का आवन्टन हुआ है और एक यूनिट रिक्त है, वह पार्टियां जिन्हें यूनिटें दी गई हैं निम्न हैं--

१--श्री शिवदत्त राम बाजपेयी, उन्नाव .. कृषि यंत्र ।

२--श्री मोहम्मद इकबाल, कानपुर .. कन्डयूट पाइपव सोप्ट ।

३--श्री ओम प्रकाश, कानपुर .. रबड़ का सामान ।

४--श्री हामिद सईद, कानपुर .. लेदर बोर्ड व लेदर इंधासिंग ।

५--श्री शमशाद अहमद, उन्नाव .. गिलासों की डिजाइन व रंगाई ।

अभी केवल शमशाद अहमद जिनकी "डी" टाइप यूनिट नं० ५ है, में काम शुरू हो गया है ।

*२९--श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)--

[स्थगित किया गया ।]

पटेल जांच समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

*३०--श्री रघुनाथ (जिला बलिया) तथा श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

क्या नियोजन मंत्री राज्य के जिन चार पूर्वी जिलों में पटेल कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू की जा रही हैं, उनका पूर्ण विवरण निम्न आधार पर सदन को देने की कृपा करेंगे--

(१) पटेल कमीशन की सिफारिशें इन जिलों में कब से लागू की जा रही हैं ?

(२) किन किन मदों पर कितना-कितना रुपया अलग-अलग जिलों में व्यय करने का प्राविधान किया गया है ?

(३) कौन-कौन बड़े उद्योग खोलने की योजनायें हैं ?

(४) अलग-अलग जिलों के लिये जो योजनायें बनाई गई हैं, उनको कब तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी --

(१) पटेल जांच समिति की सिफारिशें देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर तथा गाजीपुर जिलों में १९६४-६५ से लागू की गई हैं ।

(२) इस वर्ष जो जिलेवार प्राविधान किये गये हैं उसकी सूचना एकत्रित की जा रही है । चारों जिलों के लिए सम्मिलित रूप से जितने धन की स्वीकृति नियोजन विभाग द्वारा १९६५-६६ के लिये दी गई है उसका विवरण संलग्न है ।

(३) सरकार द्वारा लघु उद्योग कार्यक्रम मे निम्नलिखित परियोजनायें हैं :--

(क) बहु उद्देशीय मैकेनिकल वर्कशाप तथा टेंटिंग यूनिट की स्थापना,

(ख) पाइलट वर्कशाप सेंटर, आजमगढ़ का विस्तार,

(ग) सामान्य सुविधा केंद्र (जूता निर्माण) देवरिया ।

बड़े उद्योगों में शाहगंज (जौनपुर) में एक सहकारी कताई मिल खोलने का लाइसेंस दिया जा चुका है ।

चौथी योजना के लिये अभी कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं किया गया है ।

निजी क्षेत्र में लघु तथा ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिये प्रोत्साहन देने हेतु तीसरी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं :

(क) ऋण तथा अनुदान ।

(ख) प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम,
(पुनस्संगठन एवं प्रसार),
(ग) खंड प्रसार अधिकारियों (उद्योग) के लिये योजना,
(घ) नये औद्योगिक आस्थानों की योजना,
(च) हस्त शिल्प सहकारी समितियों का विकास,
(छ) ग्राम उद्योगों के लिये सहकारी कर्मचारी वर्ग,
(ज) हस्त करघा समितियों को कार्य शील पूंजी के लिये ऋण,
(ज) हस्त करघा समितियों को कार्य शील पूंजी के लिये ऋण ।

(४) इस समय यह कहना कठिन है कि रिपोर्ट में दिये गये भौतिक लक्ष्य किस वर्ष में पूरे हो सकेंगे क्योंकि यह साधनों की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४०० पर)

*३१—श्री रघुनाथ तथा श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या नियोजन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पटेल कमीशन की सिफारिशों को राज्य के अन्य पूर्वी जिलों में भी लागू कराने के लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार या नियोजन आयोग से कोई बातचीत किया है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां । योजना आयोग पटेल जांच समिति की सिफारिशों को वर्तमान वित्तीय वर्ष १९६५–६६ से बलिया तथा बस्ती जिलों में भी लागू करने के लिये अतिरिक्त धन देने को राजी हो गया है ।

बिजनौर जिले में बस लूटने की घटना

*३२—श्री रक्षपाल सिंह तथा श्री श्रीराम—

क्या सरकार को इसकी जिम्मेदारी है कि बिजनौर जिले के कीरतपुर के पास मई, १९६५ के अंतिम सप्ताह में कुछ लोगों द्वारा रोक कर यात्री बस लूट ली गई ? यदि हां, तो कितनी हानि हुई तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २२–४–६५ को श्री नसीर अहमद निवासी मु० कलालान, नजीबाबाद, जिला बिजनौर ने थाना कीरतपुर पर इस आशय की एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब वे रात को अन्य यात्रियों के साथ बिजनौर से नजीबाबाद की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में २०–२२ व्यक्तियों ने जो लाठी लिये थे बस रोक कर उन्हें मारा पीटा और एक व्यक्ति ने उनकी जेब से २७ रु० निकाल लिये । इस रिपोर्ट पर एक मुकदमा धारा ३९५ भा०दं० विधान का कायम हुआ । जांच से बस लूटने का मामला सही नहीं पाया गया और केवल साधारण आपसी मारपीट का पाया गया । अतः जांच समाप्त करके अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई ।

पलिया थाने में गुप्तचरी के सन्देह में गिरफ्तारी

*३३—श्री रामचरन शाह (जिला खीरी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खीरी जिले के थाना पलिया में गत २ वर्षों में गुप्तचरी के संदेह में कुल कितने आदमी पकड़े गये तथा उनमें से प्राथमिक पूछताछ के बाद कितने लोग छोड़ दिये गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जिला खीरी में थाना पलिया के अन्तर्गत दो वर्षों में गुप्तचरी के संदेह में दो व्यक्तियों को रोककर पुलिस द्वारा पूछतांछ की गई किन्तु कोई संदेह जनक बात न मिलने पर उन्हें जाने दिया गया ।

*३४--श्री रामलखन (जिला वाराणसी)--

[स्थगित किया गया ।]

उर्दू में कार्य की सुविधा

*३५--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिले 'उर्दू क्षेत्र' में शामिल हैं, जहां विशिष्ट सरकारी आदेश राजभाषा 'हिन्दी' के साथ 'उर्दू' में निकालने के आदेश दिये दिये हैं ? क्या यह सही है कि १९६१ के पश्चात् उर्दू क्षेत्र में और जिले बढ़ा दिये गये ? यदि हां, तो कौन-कौन और किस आधार पर ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इस प्रदेश में कोई "उर्दू क्षेत्र" नहीं है और न ऐसा निर्दिष्ट ही किया गया है, अलबत्ता ऐसे जिलों में, जहां उर्दू बोलने वाले लोगों की संख्या जिले की कुल जनसंख्या का १५ प्रतिशत तथा उससे अधिक है, महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, नोटिसों, विज्ञप्तियों, आदि का सारांश, उर्दू में प्रकाशित किया जाता है इस प्रयोजन के लिये पहले रामपुर, बिजनौर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के जिलों तथा लखनऊ नगर को चुना गया था ।

१९६१ की जन गणना के अनुसार मेरठ, पीलीभीत और लखनऊ के जिलों में भी उर्दू बोलने वालों की आबादी १५ प्रतिशत या उससे अधिक है । इसलिये इन तीनों ज़िलों में भी वही सुविधायें दे दी गयी हैं ।

*३६--श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)--

[३१ अगस्त, १९६५ को उत्तर दिया गया ।]

कानपुर स्थित एच० बी० टी० आई० के विरुद्ध आरोपों की जांच

*३७--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार कृपया यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर स्थित एच० बी० टी० आई० में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायती पत्र श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी, सदस्य, विधानसभा द्वारा अग्रसारित मुख्य मंत्री को मार्च, अथवा अप्रैल, १९६५ में मिला ? यदि हां, तो उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां, श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अग्रसारित कुछ "प्रेस-कटिंग्स" सरकार को अप्रैल, १९६५ में प्राप्त हुई जिनमें कानपुर स्थित एच० बी० टी० आई० के निदेशक तथा वहां के प्रबन्धक पर कुछ आरोप लगाये गये थे । सरकार द्वारा जांच करने पर वे आरोप निराधार पाये गये ।

यू० पी० हैंडीक्राफ्ट्स में बकाया की वसूली तथा डिस्पोजल कमेटी

*३८--श्री चन्द्रजीत यादव--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के कितने कर्मचारी सन् १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष से बकाया धनराशि को वसूल करवाने का काम कर रहे हैं, उनके क्या नाम हैं तथा इस सेक्शन का कितना बकाया अब तक वसूल किया गया है और कितना अब भी वसूल करने के लिये बाकी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४०१ पर)

*३९--श्री चन्द्रजीत यादव--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि गवर्नमेंट यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स का जो सामान वर्त्तमान मूल्य पर नहीं बिक रहा है उसे कम दाम पर बेच देने का प्रबन्ध करने के लिये कोई 'डिसपोजल कमेटी' गठित की गई है ? यदि हां, तो इसके सदस्य कौन कौन हैं और इस कमेटी की अब तक क्या प्रगति है और कमेटी कहां कहां गई थी, उसका कुल कितना खर्चा अलग-अलग सदस्यों को कहां-कहां के फंड से देना पड़ा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां । इसके सदस्य निम्नलिखित हैं :--

१--उप सचिव, उद्योग विभाग, चेयरमैन,

२--उप सचिव, वित्त विभाग-सदस्य,

३--संयुक्त निदेशक (उद्योग निदेशक का प्रतिनिधि),

४--स्पेशल मैनेजर-कन्वीनर ।

३१ मार्च, १९६४ तक कमेटी की संस्तुति पर सरकार ने ६,३२,५६१ रु० ४० पैसे के मूल्य के माल की निकासी के आदेश दे दिये थे । चालू वित्तीय वर्ष में कमेटी ने लखनऊ, इलाहाबाद तथा हैदराबाद स्थित शो रूम्स के खराब माल का निरीक्षण किया और ५७,९९१ रु० ९९ पैसे के मूल्य के माल की निकासी के लिये अपनी संस्तुति दे दी है । इस कमेटी की मीटिंग इलाहाबाद व हैदराबाद में क्रमशः ११ व १२ जून, १९६५ और ९-११ जुलाई, १९६५ को हुई । इस कमेटी के सदस्यों को कुल ८५८ रु० ८ पैसे देने पड़े हैं उप सचिव, उद्योग तथा संयुक्त निदेशक का अभी तक हैदराबाद का टी० ए० बिल नहीं बना है उप सचिव, उद्योग तथा उप सचिव, वित्त विभाग का टी० ए० का खर्चा सचिवालय के बजट से दिया जाता है, संयुक्त निदेशक के टी० ए० का खर्चा उद्योग विभाग के (क) निदेशन के बजट से होता है और स्पेशल मैनेजर के टी० ए० का खर्चा गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के बजट से होता है ।

हैन्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मिश्रपुर को सहायता

*४०--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

क्या मुख्य मंत्री कृपा करके बातयेंगे कि आजमगढ़ जिले के हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, मिश्रपुर, पो० महाराजगंज को सन् १९५५ से १९६३ तक कितना रिबेट, ऋण तथा सहायता मिली है, और उसमें कितना ऋण सरकार को वापस मिल चुका है तथा कितना बाकी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

समिति को १९५५ से १९६३ तक निम्नलिखित सहायता दी गई :--

	रु०
ऋण	६३,४३७-७५
अन्य सहायता	१२,१९८-७३
कपड़े की बिक्री में प्रोत्साहन के लिये रिबेट (सितम्बर, ६२ तक)	५५,९२४-२६

ऋण में रु० १९,२६०-८७ वापस हो चुका है तथा रु० ४४,१७६-८८ बाकी है।

*४१--श्री उमाशंकर---

क्या मंत्री को पता है कि जो रिबेट उक्त सोसाइटी को दिया गया है, उसका वितरण सदस्यों में किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

रिबेट मुनाफा या आर्थिक सहायता के रूप में नहीं दिया जाता। समिति कम मूल्य पर कपड़ा बेच कर जो नुकसान उठाती है उसे पूरा करने के लिये रिबेट दिया जाता है। अतः उसे सदस्यों में वितरण करने का प्रश्न नहीं उठता।

तरुण भारत के सम्पादक को धमकी

*४२--श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

क्या यह सत्य है कि लखनऊ से प्रकाशित हिन्दी "दैनिक तरुण भारत" के सम्पादक को सरकारी लिफाफा में जून अथवा जुलाई, १९६५ को इस आशय का धमकीभरा पत्र मिला है कि तरुण भारत द्वारा पाकिस्तान का विरोध किये जाने के कारण सम्पादक की हत्या कर दी जायगी तथा भवन नष्ट किया जायगा ? यदि हां, तो इस संबंध में जांच कराकर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा क्या करने का विचार है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

जी हां, तरुण भारत के सम्पादक को एक धमकी भरा पत्र लिफाफे में जिस पर १५ पैसे का सर्विस टिकट लगा हुआ था तथा उत्तर प्रदेश सरकार यू० पी० जी० एस० लिखा हुआ था, प्राप्त हुआ था जिसकी प्रति उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को अपने प्रार्थना पत्र के साथ भेजी। उक्त पत्र में इस बात का उल्लेख है कि यदि तरुण भारत में मुसलमानों के विरुद्ध समाचारों का प्रकाशन किया गया तो सम्पादक के प्राण जाने की सम्भावना है तथा प्रेस के भवन को भी खतरा है। स्थानीय जिला पुलिस द्वारा इस विषय में जांच हो रही है। सम्पादक के एवं प्रेस भवन के रक्षार्थ पुलिस का प्रबन्ध कर दिया गया है।

लखनऊ में कीट्स इंजीनियरिंग वर्क्स पर मुकदमा

*४३--श्री यादवेन्द्रदत्त--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में लखनऊ नगर में कीट्स इंजीनियरिंग वर्क्स नामक अस्त्र-शस्त्र बनाने का जो एक बड़ा कारखाना पकड़ा गया था तथा बहुत से हथियार भी बरामद हुये थे उस संबंध में उसके मालिकों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? तथा जांच के परिमाण स्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

कीट्स इन्जीनियरिंग वर्क्स नामक अस्त्र-शस्त्र बनाने का कारखाना दिनांक २६, मार्च, १९६४ ई० को लखनऊ नगर म पकड़ा गया। इस कारखाने के मालिकों के ऊपर धारा

२५/२६ शस्त्र ऐक्ट, ४१, भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत, थाना कैसरबाग, लखनऊ में अभियोग अंकित किया गया। अभियोग श्रीमान सिटी मैजिस्ट्रेट महोदय, लखनऊ के न्यायालय में विचाराधीन है।

जांच के परिणामस्वरूप यह मालूम हुआ कि अभियुक्तों में से कोई भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है और न इस बात की पुष्टि हो सकी कि इस अस्त्र शस्त्र के निर्माण के पीछे किस प्रकार से किसी शत्रु देश का हाथ है।

बस्ती जिले में अपराध

*४४—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, १९६४ तथा जनवरी, फरवरी, १९६५ के चोरी डकैती, कत्ल तथा राहजनी की कितनी घटनायें किस-किस थाने में घटीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्द सिंह—

बस्ती जिले में अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, १९६४ जनवरी, फरवरी, १९६५ में हुई तथा चोरी, डकैती, कत्ल और राहजनी की घटनाओं तथा उन पर की गई कार्यवाही की सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४०१—४०४ पर)

चीनापीक का नाम बदलने का सुझाव

*४५—श्री विपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि नैनीताल में एक पर्वत तथा उसकी चोटी का नाम क्रमशः चाइना पर्वत एवं चाइनापीक है जिससे पर्यटकों में काफी भ्रम पैदा होता है? यदि हां, तो क्या सरकार उनके नामों को बदल कर किन्हीं महापुरुषों के नाम पर अथवा अन्य जो उचित समझा जाय उसके आधार पर नामकरण करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पर्वत तथा उसकी चोटी का नाम चीना पीक है। नाम बदलने पर सरकार स्वयं विचार कर रही है।

यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स के अन्तर्गत योजनायें

*४६—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स से, वित्तीय वर्ष के अन्त में एकाउन्टेन्ट जनरल, यू० पी० इलाहाबाद, को कोई एनुअल इस्टेब्लिशमेन्ट रिटर्न भेजा जाता है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां।

*४७—श्री बसंतसिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि गवर्नमेन्टस यू० पी० हैण्डीक्राफ्ट्स में वित्तीय वर्ष, १९५३-५४ से आज तक कितनी और कई स्कीमें शामिल की गई हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

गवर्नमेन्ट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स में वित्तीय वर्ष १९५३-५४ से ५ स्कीमें शामिल की गई हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं--

१--एक्सपोर्ट ट्रेड डिवीजन, नई दिल्ली

२--अन्तःप्रदेशीय सेल्स तथा इक्जीबीशन एवं पब्लिसिटी योजना

३--इलाहाबाद तथा सारनाथ में ट्राली चलाने की योजना

४--ताजमहल, आगरा का शो रूप

५--एक्सपोर्ट डिवीजन के विस्तार की योजना ।

हरिजन कर्मचारियों की पदोन्नति

*४८--श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई निर्देश भारत सरकार का प्राप्त हुआ है जिसमें हरिजन सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति के लिये भी स्थान सुरक्षित करने का आदेश है ? यदि हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने कि कृपा करेंगे तथा उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं । भारत सरकार को एक रिजोल्यूशन ८ नवम्बर, १९६३ को प्राप्त हुआ था । उस पर शासन का निर्णय वर्तमान नीति कायम रखने का हुआ ।

हाथ कुटे चावल

*४९--श्री बालोजी अग्रवाल--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६२-६३, १९६३-६४ तथा १९६४-६५ में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की हाथ धान कुटाई योजना के अन्तर्गत हाथकुटे चावल का उत्तर प्रदेश में कितना-कितना उत्पादन हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की हाथ धान कुटाई योजना के अन्तर्गत वर्ष ६२-६३ में ४५,५२९ क्विन्टल, ६३-६४ में १७,०२७ क्विन्टल तथा ६४-६५ में १९,८४३ क्विन्टल हाथ कुटे चावल का उत्पादन हुआ ।

*५०-५१--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

[स्थगित किये गये ।]

पुलिस विभाग में सर्किल इन्स्पेक्टरों का वेतन

*५२--श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पुलिस विभाग के सर्किल इंसपेक्टरों की तनख्वाह महंगाई तथा भत्ते क्या मिलते हैं और यह पे स्केल कब निर्धारित किया गया था और कब दुहराया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

पुलिस विभाग के सर्किल इन्सपेक्टर की तनख्वाह महंगाई तथा भत्ता निम्न प्रकार है :

(क) वेतन क्रम रु० २००–१०–२५०–१५–२६५ द० रो० १५–३४०–द० रो० १५–४००।

(ख) एडहाक बढ़ौती ५ रुपये मासिक (यदि नियम के अन्दर मिलता है।)

(ग) महंगाई रु० ५७.५० इसमें रु० १२.५० पै० इंटरिम रिलीफ शामिल है।

(घ) मकान का किराया रु० ३७.५० पै० अगर सरकारी मासिक क्वार्टर की व्यवस्था न दी जाय।)

उपरोक्त वेतन-क्रम १९४७ में निर्धारित किया गया था और तब से वही जारी है।

*५३––श्री कमलासिंह यादव––

क्या सरकार पुलिस विभाग के सर्किल इन्पेक्टर तथा प्रासिक्युशन ब्रांच के अधिकारियों का पे स्केल रिवाइज करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह––

वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पुलिस कर्मचारियों के वेतन को रिवाइज करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

आजमगढ़ जिले में बुनकरों को सहायता

*५४––श्री ब्रजबिहारी (जिला आजमगढ़)––

क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले के पश्चिमी भाग में स्थित अतरौलिया क्षेत्र में बुनकरों के अनेकानेक प्रमुख केन्द्र जैसे नरिपोप, मोलमपुर, भीमाकोल, सरइया आदि स्थित है जहां के बुनकरों का एक मात्र रोजगार वस्त्रोत्पादन ही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––

जी हां।

*५५––श्री ब्रजबिहारी––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त क्षेत्र के उक्त बुनकरों को सरकार की तरफ से क्या-क्या सहायता दी जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––

करघा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता ऋण तथा अनुदान स्वरूप केवल बुनकर समितियों को ही दी जाती है। अतः इस क्षेत्र को चुनकर समितियों को भी यह सहायता दी जा रही है। व्यक्तिगत रूप से बुनकरों को कोई सहायता नहीं दी जाती है।

योजना आयोग

*५६––श्री कृष्णानन्द राय––

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेगें कि १९ जुलाई, १९६५ को उन्होंने प्रदेश की चतुर्थ योजना का कोई प्रारूप योजना आयोग के सम्मुख उपस्थित किया, जिससे आयोग ने अपनी असहमति प्रकट की और प्रस्तावित प्रदेश की योजना की लागत में कटौती करने का सुझाव दिया?

श्रीमती सुचेता कृपालानी––

१९ जुलाई, १९६५ को राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत की गई चौथी पंचवर्षीय योजना पर योजना आयोग से बातचीत हुई। इस बातचीत में जो योजना हमने बनाई है उस पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ ?

*५७—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को उपरोक्त बैठक में केवल किसानों एवं मांगों के सम्बन्धित सेवाओं की दरों में वृद्धि करने का सुझाव दिया या बिक्री एवं अन्य करों के अलावा की वसूली और कर संगठन को सुदृढ़ करने का भी सुझाव दिया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने केवल किसानों एवं मांगों से सम्बन्धित सेवाओं की दरों में वृद्धि करने का सुझाव नहीं दिया। योजना आयोग के सभी सदस्यों की यह सलाह थी कि हमें हर प्रकार से अपने साधन बढ़ाने चाहिये ताकि हम बड़ी से बड़ी योजना बना पायें।

बार्डर सिक्योरिटी फोर्स

*५८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश के सरहदी जिलों हेतु कोई बार्डर पुलिस की योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो उसके गठन का क्या स्वरूप होगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बार्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाने की योजना भारत सरकार से सम्बन्ध रखती है। इस के संगठन के स्वरूप के बारे में सूचना प्राप्त नहीं है।

*५९—श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

[स्थगित किया गया।]

पासी सम्मेलन, जरवल रोड से पारित प्रस्ताव

*६०—श्रीमती गेंदादेवी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले के जरवल रोड नामक स्थान में दिनांक २९ मार्च सन् १९६५ ई० को हुए उत्तर प्रदेशीय भूतपूर्व अपराधशील एवं पासी जाति सम्मेलन जिसका उद्घाटन श्री, सहकारिता मंत्री, मालगांव बनारसी दास जी ने किया है, उसमें पारित १८ प्रस्ताव मुख्य मन्त्री जी, समाज कल्याण मन्त्री जी, सभा सचिव, हरिजन कल्याण तथा हरिजन कल्याण संचालक की सेवा में उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये हैं ? यदि हां, तो उनमें क्या मांग की गई है ? और अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। सम्मेलन में की गई मांगों तथा उस पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी "ठ" आगे पृष्ठ ४०५-४०६ पर)

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गडौरा के स्थानान्तरण का विरोध

*६१—श्रीमती विजयलक्ष्मी सुमन (जिला उत्तरकाशी)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि क्या यह सूचना सही है कि सीमान्त जिला चमोली में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गडौरा के लिये पक्के मकानात गडौरा नहीं अपितु एक दूसरे स्थान होलमुन्डी में बनाने का प्रस्ताव किया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां।

*६२—श्रीमती विजयलक्ष्मी सुमन—

क्या मुख्य मंत्री की जानकारी में यह बात है कि उक्त राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को जनता द्वारा स्थापित और कई वर्षों तक जनता के हित द्वारा संचालित पूर्व माध्यमिक विद्यालय

का प्रदेशीयकरण और उच्चीयकरण कर खोला गया था और क्या जनता इस विद्यालय को दूसरी जगह हटाने का विरोध कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जिला परामर्श दात्री समिति, चमोली की संस्तुति पर अंतरिम जिला परिषदीय जूनियर हाई स्कूल, गडौरा का प्रान्तीयकरण तथा उच्चीकरण सन् १९६४ में किया गया । उक्त समिति की संस्तुति पर ही इस विद्यालय के लिये पक्के भवनों के निर्माण हेमकुन्डी तोक पर करने का निश्चय किया गया । उक्त स्थान, पीपलकोटी और गडौरा के लगभग मध्य स्थान में है । केवल गडौरा निवासियों को ही इस स्थान में भवन निर्माण में विरोध है ।

*६३--श्रीमती विनय लक्ष्मी सुमन--

क्या यह बात भी है कि जब मुख्य मंत्री पिछले दिनों चमोली जिले में थीं तब उक्त जनता ने उनके सम्मुख अपना विरोध जाहिर किया था और मुख्य मन्त्री ने उन्हें अश्वासन दिया था कि इस विद्यालय को अन्यत्र नहीं हटाया जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मुख्य मंत्री जी के दौरे पर गडौरा के निवासियों ने प्रार्थना-पत्र दिया था, परन्तु मुख्य मंत्री द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया ।

ग्राम कोडरस बुजुर्ग का गोली कान्ड

*६४--श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय तथा श्री रतीपाल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली, थाना कोतवाली, के अन्तर्गत ग्राम कोडरसबुजुर्ग में मई या जून, १९६५ में गोली कान्ड हुआ है ? यदि हां, तो इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को कब प्राप्त हुई ? उक्त गोली कान्ड का क्या कारण है और इस मामले में पुलिस अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

ग्राम कोडरसबुजुर्ग में दिनांक २९-५-६५ को गोलीकांड हुआ था । जिसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को उसी दिन मिल गई थी । इस कांड का कारण ग्राम लालपुर चौहान और ग्राम कोडरसबुजुर्ग के कुछ लोगों में आपसी रंजिश बताया गया है । सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरन्त घटना की जांच आरम्भ कर दी । इस घटना के सम्बन्ध में १४ व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं और बाकी १२ व्यक्ति हाजिर अदालत हुए हैं । जांच अभी जारी है ।

बड़ा गांव व फूलपुर थाने की इमारतें

*६५--श्री ऊदल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पुलिस स्टेशन बड़ागांव व फूलपुर, जिला वाराणसी में बिजली लगाने की व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गयी जबकि दोनों स्थानों में यानी बड़ागांव में ५-६ वर्ष से तथा फूलपुर में सन् १९६४ से बिजली आ चुकी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

कथित थानों में बिजली लगवाने की योजना है । धनाभाव के कारण अब तक इन थानों को बिजली लगवाना सम्भव नहीं हो सका है ।

*६६--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना फूलपुर व बड़ागांव, जिला वाराणसी की मारतें काफी पुरानी हैं, तो क्या सरकार इन्हें बनवाने पर विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

पुलिस स्टेशन बड़ागांव, जिला वाराणसी का निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो चुका है। पुलिस थाना फूलपुर की वर्तमान इमारत ठीक दशा में है। अतः उसके लिये भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*६७--श्री सुखलाल--

[हटा दिया गया।]

'बहेलिया' में प्रकाशित कोंचथाने में पुलिस की ज्यादती

*६८--श्री हिम्मतसिंह--

क्या सरकार का ध्यान थाना उरई (जालौन) नगर से प्रकाशित दैनिक "बहेलिया" के १५ मई, १९६५ के अंक के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित उस मुख्य समाचार की ओर गया है, जिसमें कौंच पुलिस द्वारा ग्रामीण मामा भान्जे को पिटाई किये जाने का उल्लेख है? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है और पुलिस के अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोबिन्दसिंह--

दैनिक "बहेलिया" उरई के १५ मई, १९६५ के अंक के प्रथम पृष्ठ पर इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ था। वास्तविक घटना का विवरण संलग्न है। इस सम्बन्ध में पुलिस का कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४०७ पर)

गन्ना विकास समिति, शामली पर किसानों का बकाया

*६९--श्री हिम्मतसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अपर दोआब चीनी मिल, शामली की गन्ना विकास समिति पर काश्तकारों का वर्ष १९४७-४८ का कितना रुपया बकाया है? उक्त धन अब तक काश्तकारों को न देने का क्या कारण है तथा कब तक दे दिया जायेगा?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्राप्त सूचनानुसार गन्ना विकास समिति, शामली पर निर्दिष्ट वर्ष में २९ काश्तकारों का गन्ने की जाली पर्चियों के कारण जो रु० ७१७९.७२ गन्ने की कीमत के मद में बकाया निकलता था उसका भुगतान समिति के संचालक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा पर्चियों के जाली होने के कारण रोक दिया गया था और इसके भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले में अपराधों में वृद्धि

*७०--श्री उग्रसेन--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में १ जनवरी, सन् १९६५ से अब तक किस-किस महीने में कुल कितनी चोरियां, डकैतियां, राहजनी एवं कत्ल हुए और अपराध वृद्धि के क्या कारण हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह--

अपराधों के आंकड़े संलग्न तालिका में दिये हुए हैं केवल चोरी और कत्ल के मामलों में कुछ वृद्धि हुई है। वृद्धि के विशेष कारण हैं भूमि सम्बन्धी झगड़े तथा समाज में सामान्य रूप से अपराधों का बढ़ना।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४०८ पर)

गाजियाबाद थाना में नकली दरोगा के विरुद्ध रिपोर्ट

*७१--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

क्या गृह मंत्री को इसकी जानकारी है कि दिनांक २२ सितम्बर, १९६४ को अथवा उसके आस-पास पुलिस स्टेशन गाजियाबाद में मक्खन लाल द्वारा सूचना लिखाई गई कि पुलिस के दरोगा की वर्दी पहन कर एक आदमी ने उनको तथा लड़के को बुरी तरह पीटा और अपने को पुलिस का दरोगा बताया ? । यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा नकली दरोगा कौन था ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां, इस आशय की रिपोर्ट २२-१२-६४ को श्री मक्खन लाल निवासी बजरिया गाजियाबाद ने थाना गाजियाबाद पर अपने लड़के के साले श्री राम तथा रमेश नाम के एक दरोगा के विरुद्ध दर्ज कराई थी । वास्तव म यह पुलिस के दरोगा श्री रूपचन्द थाना जी० आर० पी०, अलीगढ़ थे, जो श्रीराम के साथ जा रहे थे । रास्ते में पुरुषोत्तम और श्रीराम से झगड़ा हुआ जिसमें जी० आर० पी० के दरोगा के विरुद्ध दुर्व्यवहार का संदेह तो पाया गया परन्तु मारने-पीटने की शिकायत सही नहीं पाई गई फिर भी दरोगा को चेतावनी दे दी गई है । श्री मक्खन लाल के लड़के पुरुषोत्तम व उसके साले श्री राम का चालान धारा १६० भा० दं० विधान क अन्तर्गत करके अभियोग पत्र न्यायालय को भेज दिया गया है ।

*७२--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

[६ठवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ९१ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया ।]

*७४--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

[हटा दिया गया ।]

जहानाबाद थाने में कथित बम विस्फोट तथा इलाहाबाद में पुलिस कर्मचारियों की आवास व्यवस्था

*७४--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला फतेहपुर के थाना जहानाबाद ग्राम बकेबर में दिनांक ११/१२ जुलाई, १९६५ को बम फटने से कई आदमी मरे तथा घायल हुए ? यदि हां, तो यह घटना क्या थी तथा इसमें कितने आदमी पकड़े गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

ग्राम बकेवर, थाना जहानाबाद, जिला फतेहपुर, में दिनांक ११-१२ जुलाई, १९६५ को बम फटने की कोई दुर्घटना नहीं हुई है ।

*७५--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के पुलिस की चौकियों पर जो स्थान अल्प-वेतन पुलिस वालों को रहने हेतु बने थे उनको तोड़ कर केवल थानेदारों के रहने के लिये बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो अल्प-वेतन पुलिस वालों को जो रहने की सुविधा थी उनके रहने का कोई स्थान बनवाने का प्रबन्ध कर रही है ? यदि हां, तो कहां कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इलाहाबाद की पुलिस चौकियों पर जो स्थान अल्पवेतन पुलिस वालों के रहने हेतु बने थे उन को तोड़ कर थानेदारों क रहने के लिये नहीं बनाये जा रहे हैं । अस्थायी रूप से चौकी

कटरा में दो थानेदारों को ४ सिपाहियों के क्वार्टर दे दिये गये हैं। प्रत्येक दो क्वार्टरों के बीच पर्दा की दीवाल अस्थायी रूप से हटा दी गई है।

*७६—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

[६ ठवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

पुलिस सब-इन्स्पेक्टरों को वर्दी

*७७—श्री रक्षपालसिंह—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग के सब-इन्स्पेक्टर को वर्दी हेतु कितना रुपया कितने समय के लिये दिया जाता है? क्या यह धन वर्तमान मंहगाई को देखते हुए अपर्याप्त नहीं है, यदि हां, तो क्या सरकार उसमें आवश्यक वृद्धि करने की कृपा करेगी?

श्री हरगोविन्दसिंह—

पुलिस विभाग के सब-इंस्पेक्टरों को वर्दी बनवाने हेतु प्रत्येक पांचवें वर्ष १५० रु० दिया जाता है। पुलिस सब इंस्पेक्टरों तथा इंस्पेक्टरों की वर्दी भत्ता में हेर फेर तथा वर्दी भत्ता बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

अमहेरा थाने के लिये भवन

*७८—श्री श्रीराम—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिले में अमहेरा थाने लिये गत वित्तीय वर्षों से तीन बजट के लगभग अस्सी हजार रुपया बजट में रक्खा जाता है, तो क्या कारण है कि यह थाना प्रत्येक वर्ष बनाने से रह जाता है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

थाना अमहेरा, जिला बिजनौर के भवन निर्माण की अनुमानित लागत ८०,००० (अस्सी हजार) रुपये हैं। वित्तीय वर्ष १९६२–६३, १९६३–६४, १९६४–६५ में क्रमशः ८,००० रु०, १०० रु०, १०० रु० बजट में रखे गये थे। अक्तूबर, १९६२ में संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण यह कार्य स्थगित कर दिया गया था। इसी कारण इस थाने का भवन निर्माण कार्य सम्भव नहीं हो सका।

थाना कोतवाली एटा के अन्तर्गत अपराध

*७९—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा, थाना कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत १९६३–६४, १९६४–६५ में कितनी चोरी हुई और कितनी डकैती हुई, जितनी राहजनी तथा कितने कत्ल हुये और कितने लड़के चुराये गये? इनमें से कितने केसों में चालान किये गये?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

[देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ४०९ पर।]

बस्ती जिले में अपराध तथा थानों की इमारतें

*८०—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अन्तर्गत कप्तानगंज थाने १९६५ में अब तक कितनी चोरी, कितनी डकैती, कितने कत्ल हुये और कितने केसेज में चार्जशीट लगे और कितने अदालत से छूट गये तथा कितनों में सजा हुई?

श्री हरगोविन्दसिंह--

बस्ती जिले के कप्तानगंज थाने के अन्तर्गत १-१-१९६५ से ३१-७-१९६५ तक चोरी की ११ घटनायें हुयीं जिनमें से ३ से संबंधित मुकदमों में चार्जशीट न्यायालय भेजी गई। इनमें से दो मुकदमों में अपराधी दंडित हुए और एक मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। कत्ल की केवल एक घटना हुई जिससे संबंधित मामला न्यायालय भेजा गया जहां वह अभी विचाराधीन है। डकैती की कोई घटना होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई।

*८१--श्री रणबहादुरसिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में थाना छावनी, परसरामपुर, दुधारा, थाने के भवनों की हालत इतनी खराब है कि वहां की पुलिस बाहर अपनी व्यवस्था कर के सोते हैं? यदि हां, तो सरकार को उस की व्यवस्था करने में क्या कठिनाई है?

श्री हरगोविन्दसिंह--

थाना छावनी व थाना परसरामपुर के बैरक संतोषजनक स्थिति में नहीं है परन्तु इन थानों के कर्मचारी अब भी इनमें रह रहे हैं, इनके नव निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। थाना दुधारा की बैरक ठीक दशा में है और उसमें पुलिस कर्मचारीगण रहते हैं।

*८२-८४--श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)--

[३०-८-१९६५ को उत्तर दिया गया।]

"सहारनपुर में काला धन"

*८५--श्री ब्रह्मदत्त मायर तथा श्री चन्द्रबली सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहारनपुर से 'आजाद वीकली' नामक अखबार में दिनांक १४ मार्च, १९६५ के अंक में सहारनपुर में काले धन की जांच शीर्षक से कोई समाचार निकला था? यदि हां, तो उस की पूरी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखते हुए बताया जाय कि उस पर कौन सी कार्यवाही अमल में लाई गई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

गोंडा जिले में पुलिस सब-इंसपेक्टर

१--श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में इस समय कौन-कौन पुलिस सब इन्स्पेक्टर किस-किस पुलिस स्टेशन पर हैं और किन तारीखों से इन स्टेशनों पर हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह--

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४१०-४११ पर।)

कागज और घड़ी के कारखाने खोलने के लिये सुझाव

२--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--

क्या मुख्य मन्त्री को मालूम है कि प्रदेश के फारेस्ट यूटीलाइजेशन बोर्ड की पिछली मीटिंग में प्रदेश के मुख्य अरण्यपाल ने कहा है कि प्रदेश के पास एक कागज का कारखाना लगाने के

लिये पर्याप्त कच्चा माल है? यदि हां, तो क्या उद्योग मंत्री कोशिश करेंगे कि प्रस्तावित कारखाना मुनि की रेती (टिहरी-गढ़वाल) में खोला जाय?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वन उपयोग सलाहकार समिति की देहरादून में हुई दिनांक २० व २१ जुलाई, १९६५ की बैठक में मुख्य अरण्यपाल ने यह कहा था कि इस समय साधारण कागज तथा पट्ठा बनाने के योग्य मोटी घास उपलब्ध है परन्तु अभी तक किसी भी व्यवसायी ने इसका प्रयोग करने की इच्छा प्रकट नहीं की है। उन्होंने यह भी बताया था कि वन विभाग की योजना कार्यान्वित हो जाने पर १९७१ तक एक कागज के कारखाने के लिये पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध हो जायगा। १९८० तक और अधिक कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध होगा।

अभी केवल मोटी घास उपलब्ध है। इस पर आधारित कागज का कारखाना खोलने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

३--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया भारत सरकार के उद्योग मन्त्री से आग्रह करेंगे कि स्विस सहायता और सहयोग से खुलने वाले घड़ीसाजी के चार कारखानों में २-१ भागीरथी और अलकनन्दा के तट पर किसी सुविधाजनक स्थानों में खुलें?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

स्विस सहयोग से खुलने वाले घड़ी के कारखाने की रूपरेखा अभी निश्चित नहीं है। उपयुक्त समय पर आवश्यकतानुसार भारत सरकार को इस संबंध में लिखा जायगा।

श्री ए० एल० दियास, सचिव, भारत सरकार का रानीखेत में ठहरना

४--श्री हरिनाथ तिवारी तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार के खाद्य विभाग के कोई वरिष्ठ अधिकारी, सन् १९६५ में कुछ समय तक रानीखेत में, उत्तर प्रदेश सरकार के अतिथि के रूप में रहे? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि (अ) उक्त अधिकारी कौन थे, (ब) रानीखेत में उन्होंने आवास क्यों किया, (स) उनके आतिथ्य में सरकार का अनुमानतः कितना धन व्यय हुआ, (द) कितने दिन तक ठहरे, (ध) उनके साथ क्या राज्य सरकार के भी कोई अधिकारी रानीखेत रहे थे? यदि हां, तो कौन तथा क्यों? (फ) उनका अतिथि सत्कार सरकार द्वारा कराये जाने का क्या प्रयोजन था?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां।

(अ) श्री ए० एल० दियास, सचिव, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

(ब) सार्वजनिक हित में युद्धनीतिक क्षेत्रों में खाद्य सामग्री पहुंचाये जाने के बारे में अध्ययन करने के लिये।

(स) रुपया १३४-३० पैसे। यह भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने पूर्ण रूप से आतिथ्य स्वीकार नहीं किया था।

(द) ११ दिन।

(ध) जी नहीं।

(फ) यह इस विषय के नियमों के मुताबिक था।

विधायकों द्वारा सुरक्षा कोष के लिये धन व सेनानियों के लिये खून देने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

दो सूचनायें मैं आदरणीय सदन को देना चाहता हूं ।

एक माननीय मुमताज मुहम्मज खां की है कि मैं भारतीय सेना के उन वीर जवानों के लिये जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिये अपना खून दिया है, उनके लिये मैं अपने खून देने को पेश करता हूं ।

दूसरी सूचना माननीया राजेन्द्रकिशोरी की है कि--पाकिस्तान से हो रहे संघर्ष में रत भारतीय सैनिकों के हेतु सुरक्षा कोष में मैं अपनी एक मास की तनख्वाह देना चाहती हूं । यह मेरे प्रतिमाह के वेतन से केवल सौ रुपये की दर से काटकर सीधे सुरक्षा कोष में भेज देने के लिये सम्यक व्यवस्था हेतु आदेश देने की कृपा करें ।

आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक और सूचना है कि--आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिए पांच सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्राप्त नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म-परीक्षा नियत समय पर की गई और नाम-निर्देशन-पत्र (सूची-संलग्न) सब ठीक पाये गये । चूंकि उक्त सिनेट में निर्वाचन किये जाने के लिये सदस्यों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन प्राप्त हुए हैं (पांच हमें चुनने हैं और नाम, आये हैं १५) अतः यदि अतिरिक्त नाम १० सितम्बर, १९६५ के सांयकाल पांच बजे तक वापिस नहीं किये गये तो १३ सितम्बर, १९६५ को विधान भवन, कमरा नं० ५० में १२ बजे से ४ बजे तक निर्वाचन होगा ।

†मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमागत)†

*श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, दो दिन से इस सदन में अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है । श्रीमन्, इस सदन के विरोधी दल का यह अधिकार है अथवा किसी भी सदस्य का यह अधिकार है कि लोकतन्त्रात्मक पद्धति में जो सरकार बनती है उस सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित करे । बहुधा तो अविश्वास का प्रस्ताव इस विचार से उपस्थित किया जाता है कि सरकार बदल दी जाय और कभी-कभी इस विचार से उपस्थित किया जाता है कि अगर सरकार नहीं भी बदलती है तो अपनी शिकवा शिकायत, सरकार की नीति की आलोचना, विभिन्न प्रश्नों के द्वारा उसके ध्यान का आकर्षण, यह लक्ष्य लेकर भी पेश किया जाता है । हमारे विरोधी दलों ने मिल कर के जो प्रस्ताव पेश किया है वह इसी इरादे से किया कि अपनी जो शिकायतें हैं, जो कठिनाइयां हैं या सरकार की नीति के सम्बन्ध में जो उन का मतभेद है उसे व्यक्त करें, उनका अधिकार है और उन्होंने किया । दो दिनों में इस पर विवाद भी हो चुका और मैं यह मानता हूं, मान्यवर, कि सदन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके राष्ट्र प्रेम में देश भक्ति में किसी प्रकार का सन्देह किया जाय । यदि किया जाय तो बड़ा भारी अपराध होगा और अपने ही देश के प्रति एक अविश्वास का प्रदर्शन होगा । मैं यह भी मानता हूं कि चाहे इधर के लोग हों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†८ सितम्बर, १९६५ की कार्यवाही से ।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

चाहे उधर के लोग हों कोई किसी से रंच मात्र भी देशभक्ति में राष्ट्रप्रेम में, देश की स्वाधीनता की आकांक्षा में, देश के सम्मान और गौरव की रक्षा में किसी से कोई कम नहीं है । प्रत्येक एक दूसरे से आगे ही है और इसमें प्रतियोगिता देश के लिये सौभाग्य की बात है। देश-भक्ति में प्रतियोगिता हो तो यह राष्ट्र के हित की बात है और यह हमें मान कर चलना है, हम मानते हैं इस बात को केवल जाब्ते से नहीं, आन्तरिक हृदय से कि हमारी मातृभूमि की गोद का कोई भी सन्तान माता के सम्मान का प्रश्न उपस्थित होने पर कभी किसी दूसरे से पीछे नहीं रहेगा। इस बात को स्वीकार करते हुए मैं आपकी आज्ञा से बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हर काम के लिये एक उपयुक्त अवसर होना चाहिए। कहावत कही जाती है कि बेवक्त की शहनाई बुरी लगती है। हमारे देश में जो परिस्थिति आज उत्पन्न हो गई है, उसका हम सब को पूरा-पूरा ज्ञान है। इस विषय में कोई अधिक व्याख्या करना अपने मित्रों की दृष्टि, बुद्धि और विचारशीलता पर व्यर्थ का आघात करना होगा। सब को पूरी उसकी अनुभूति है कि देश के सम्मुख क्या समस्या आज उपस्थित हो गई है।

यह सौभाग्य की बात है कि इस देश की केन्द्रीय सरकार ने और हमारे देश के नेता, हमारे प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर ने आज वह कदम उठाया है जो राष्ट्र के हृदय और उसकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह मानी हुई बात है कि भारतवर्ष शान्ति का इच्छुक है, जगत में शान्ति की व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, चाहता है विश्व की शान्ति, चाहता है दुनिया के परदे से युद्ध का नामोनिशान मिटा देना सिद्धान्त है सह-अस्तित्व और वह मानता रहा है, उसकी नीति रही है, उसकी सांस्कृतिक परम्परा रही है, उसके मन की रुचि, अभिरुचि रही है, इस देश की प्रवृत्ति रही है कि दुनिया का इन्सान एक है। हमारी सांस्कृतिकता का आधार यह रहा है ——एकत्वमनुपश्यत्—सारा संसार जड़ और चेतन एक है, हम एकात्मता के साथ दुनिया में अपना जीवनयापन करें। इसी परम्परा के अनुसार हमारे देश की संस्कृति की धारा गंगा की तरह से प्रवाहित रही है सहस्राब्दियों से और हम इसी में विश्वास करते रहे हैं। हमारे राजनीतिक संघर्ष की भी भित्तियां यही रही हैं। इतने बड़े संसार के सब से बड़े साम्राज्य से युद्ध लिया, टक्कर ली, सैकड़ों वर्ष इस देश ने युद्ध किया स्वाधीनता का और देश की स्वाधीनता प्राप्त की तो प्राप्त की एक ऐसे महर्षि का अनुगमन करके जिसने लकड़ी भी नहीं उठायी पर जब खड़ा हुआ तो देश खड़ा हुआ, जब चला तो राष्ट्र उसके पीछे चला और दुनियां की सब से बड़ी मजबूत शक्तिशालिनी शक्ति जो पैर से लेकर सिर तक आयुधों से लैस थी उसका यहां से विखंडीकरण हुआ, उसका विलयन हुआ ऐसे देश की कभी यह ख्वाहिश नहीं हो सकती कि वह किसी देश से दुश्मनी करे। परन्तु भारत स्वाभिमानी देश रहा है। यदि कोई राजनीतिक गुन्डई का सहारा ले कर के हमारी मातृभूमि की धरती पर पैर रखने की चेष्टा करे तो राष्ट्र का सम्मान भी इस बात की मांग करता है कि अपनी पूरी शक्ति से उसको चोट हम दें कि उसके दिमाग से यह गुन्डई का नशा हमेशा के लिये उतर जाय। और इस बुनियाद पर हमारे देश ने शस्त्र उठाया है। पाकिस्तान की जनता से हमारी कोई बुराई नहीं है, हमने तो स्वीकार किया था कि हम शान्ति के साथ रह सकें, गलत रहा हो या सही रहा हो भावना उसके पीछे यही रही है कि हमारे देश के निवासी शान्ति के साथ रह सकें, इसलिये किसी समय इस राष्ट्र ने राष्ट्र का विखंडीकरण भी स्वीकार किया और दो हिस्सों में यह देश बंटा। कभी भी हमारी यह इच्छा नहीं हो सकती कि कोई भी देश और विशेषकर हमारा पड़ोसी किसी प्रकार की परेशानी में पड़े। यह हमारी कामना नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि सब भलमनसाहत का बर्ताव करें क्योंकि हम भलेमानुष हैं। अगर कोई देश भलमनसाहत को छोड़कर अपनी शक्ति और बल के अहंकार में अपनी पाखंडपूर्ण राजनीति का सहारा ले कर हमारी मातृ-भूमि की ओर आंख उठा कर देखेगा तो उसकी दोनों आंखों को निकाल कर धरती पर फेंक देने का साहस हम रखते हैं। आज इस दृष्टि को ले कर यह देश आगे बढ़ा है। आज समय है कि हम अपनी देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम का और एकता का परिचय दें। एक दूसरे की कमजोरियां

और दुर्बलताओं को सहनशीलता और उदारता के साथ स्वीकार करते हुये भी परस्पर एक दूसरे से हम एक हो जावें। इस अवसर पर इस सदन में जो भी आवाज उठती है वह करोड़ों नर नारियों के ऊपर जो बाहर हैं, अपना असर डालती है।

आप यह कभी न समझें कि जो कुछ आप यहां कह रहे हैं या जो कुछ दृश्य उपस्थित कर रहे हैं उसका कोई असर बाहर नहीं पड़ता है। हम सब जनता के बीच में काम करने वाले इस प्रकार की बातों का काफी अनुभव रखते हैं। भले ही उसके पीछे जो यहां कहा या किया जा रहा है, हमारी भावना बुरी न हो, केवल यह सब एक शिकवा-शिकायत हो, और इस इच्छा से हो कि हम अपनी कमजोरियां दूर करें और युद्ध सम्बन्धी अपने प्रयत्नों को अधिक बल दें, मैं यह मान कर चलता हूं--न बुद्धि भेदम जनमेत अज्ञानाम् कर्म सांगनाम। यह कृष्ण ने गीता में कहा है। साधारण जन-समाज में बुद्धि-भेद उत्पन्न करना कभी-कभी वास्तविक दुर्बलता का कारण हो जाता है। हमारी यह जो बातें हो रही हैं उनसे दुर्बलता प्रकट होती है। जो हमारा लक्ष्य है उसके प्राप्त करने में कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है। इसीलिये मैंने कहा कि अच्छी बात भी अगर बेवक्त कही जाय तो वह अच्छी नहीं लगती है। आज यह राष्ट्र विलासिता का अवसर नहीं है। यदि हम यह कहें कि हम सब इधर के बैठने वाले दूध के धोये हैं तो यह अहंकार की बात होगी। राष्ट्र की इस विषम परिस्थिति में हमें अपना रथ आगे बढ़ाना है और हमारे नेताओं को उसी तरह से रथ का सारथी बनना है। जैसे अर्जुन के रथ के सारथी कृष्ण बने थे। मैं मानता हूं कि आपके मन में ऐसी ही बात है। मैं समझता हूं कि दो दिन के वादविवाद में इस प्रस्ताव पर बहुत सी बातें कह दी गई हैं। कल ही यहां एक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, वह कोई बहुत अच्छा नहीं मालूम होता। बाहर उस पर बड़ी टीका टिप्पणी थी। मैं समझता हूं कि आप अपनी बातें कह चुके हैं। आपके हृदय में जो दुख, पीड़ा या शिकायत रही हो, वह प्रकट हो गई। आज आपके विवाद का अन्तिम दिन है। मैं आप सबसे बहुत विनम्र निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश भी खतरे से खाली नहीं है। देश के कोने-कोने में युद्ध की अग्नि भड़कती दिखाई देती है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस अवसर पर एकत्व का परिचय दें। आपसे मेरा निवेदन है कि अब इतनी बात हो जाने के बाद, उचित यह होगा कि इस समय अविश्वास का प्रस्ताव वापिस ले लिया जाय और हम सब ऐसा वातावरण उत्पन्न करें जो इस प्रदेश की ७ करोड़ जनता का पथ-प्रदर्शन कर सके, उनके हृदय में शक्ति और बल का सृजन कर सकें। मुझे आशा है कि मेरे मित्र अपनी उदारता और दूर-दर्शिता का परिचय देंगे।

मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मुझे इतनी बात अपने विरोधी दलों के नेताओं से और सब भाइयों से निवेदन करनी है और मुझे पूर्ण आशा है कि वे मेरी प्रार्थना पर उदारता से विचार करेंगे जो कि उनसे अपेक्षित है।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं बड़ी गम्भीर मुद्रा में एवं स्नेह के वातावरण में अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। विरोधी दल अपना कर्तव्य समझता है मैं एक ही जुमला कहूंगा। शेर है कि मुझे तामीर नशेमन का मुखालिफ न समझें, सिर्फ बदले हुये हालात डरता है, तेरे वादये फर्दा का सानी है तेरी पिछली इनायत से जी डरता है। केवल इन्हीं उसूलों को अपने मस्तिष्क में रख कर विरोधी दल ने अपने सामने अपने विचार व्यक्त किये। आप विरोधी दलों को कुछ भी समझे यह मानी हुई बात है और बिलकुल स्पष्ट है कि उस समय सारे विरोधी दलों ने यह निश्चय किया कि यह हमारा कर्तव्य है कि इस समय हम आपको सच्ची स्थिति का ज्ञान करावें। यह अकेला कांग्रेस का ही युद्ध नहीं है, वरन् यह सारे राष्ट्र का युद्ध है। कोई इस से अलग नहीं हो सकता। पर, क्या हमें यह अधिकार नहीं है कि आपके अवगुणों को हम आपके सामने रखें? हमें पूर्ण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

अधिकार है कि इस युद्ध के समय विशेष तौर से हम आपकी बुराइयों को बतावें ताकि आप उनसे आगाह हो सकें। इस से आपके और हम सबके हाथ मजबूत होंगे इस युद्ध को जीतने में। आप हमारी आलोचनाओं पर विचार कीजिये और सोचिये कि कहां तक आप देश को इस संकट के समय आगे ले जा सकते हैं। हमारा अभिप्राय केवल आपको सचेत करने का है। मैं इस अवसर पर राष्ट्रपति से मिला और उनको यहां की स्थिति से अवगत कराया। मानव प्रकृति है कि यदि हृदय की बात न कही जाय तो उसका उत्तम प्रभाव नहीं हो सकता। आप हमें विरोधी दल का भले ही समझें। राष्ट्र का खंडन हुआ। राष्ट्र ने उसे स्वीकार किया। किसने वह स्वीकार किया, और किसने वह स्वीकार नहीं किया यह दूर की बात है। पर एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप हमसे चाहते हैं, विरोधी दल इस युद्ध में आपके हाथ मजबूत करेगा और वह आपके साथ रहेगा। जिस किसी चीज की इच्छा आप विरोधी दल से करेंगे, हम तन, मन और धन से आपके साथ रहेंगे। हम सब कुछ इस मातृ-भूमि के चरणों में अर्पित करेंगे। आप कदापि यह न समझें कि आपके मुकाबले में विरोधी दल नम्बर २ पर रहेगा।

एक बात फिर कहूंगा कि हमने जो आलोचनायें की हैं, चाहे वह गृह मंत्री हों या असंतुष्ट गुट के हों, उन पर आप ध्यान दें। आप चाहे हमसे बिलकुल सहयोग न लें मगर जो कर्तव्य हमें प्रेरित करता है हम वह करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके प्रेम के कारण नहीं बल्कि देश के प्रेम के कारण हम सर्वस्व देने के लिये तैयार हैं। एक बार मालवीय जी मेज पर खड़े हो कर भाषण दे रहे थे, मैं जब विद्यार्थी ही था। मैं भी रो पड़ा। महात्मा गांधी ने छोड़ दिया था। यह स्वभाव है छोटे बच्चे के हृदय पर असर जल्दी पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस देश पर इस समय संकट है। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ाई की यह गंगा बह रही है, उसमें जो भी चाहे आचमन करे। लड़ाई के बाद जब हमारे ग्रान्ड संस आयेंगे वह इतिहास को पढ़ेंगे तो कहेंगे कि एक बार जब स्वतंत्रता संग्राम चला था तो किस-किस ने योग दान दिया था। इस समय भी लड़ाई चल रही है और इसमें भी जो योगदान देंगे, उनका नाम भी इतिहास में लिखा जायगा। आज हमें अपना इतिहास स्वयं बनाना है। मुझे प्रसन्नता है कि आज परिस्थिति बदल गई है। गाजियाबाद, मेरठ में लोगों का बहुत उत्साह बढ़ा हुआ है। लोगों में बड़ा विश्वास है। परमात्मा हमारे हाथ में विजय रखे। जो लोग साहसी होते हैं विजय उनके पास मुस्कराती हुई आती है। हमें विश्वास है कि वह विजय अवश्य हमारे पास आयेगी। इस संकट के रूप में हमारे राष्ट्र को एक बहुत बड़ी भारी विभूति मिली है। भारत माता अपने पुत्रों की ओर देख रही है, यही समय है जब हम अपना जौहर दिखा सकते हैं। आज तक भारत की आजादी के लिये हमें खून बहाने का मौका नहीं मिला था अतः राष्ट्र को जिस बल के साथ खड़ा होना चाहिये था उस बल के साथ खड़ा नहीं हुआ था। आज वह समय आया है। इस संकट के समय में हमें आज अपने नौजवानों को साहस देने की आवश्यकता है। सचमुच इस अवसर पर मैं अपने अविश्वास के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपने विचार कल ही प्रकट कर दिये थे कि अपने देश में जो इस वक्त आफत आई हुई है वह भारत सरकार की गलत नीति की वजह से आयी हुई है। हम जो इधर इस दल में बैठे हुये हैं आप को याद होगा कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रारम्भ होने से देश को आजादी मिलने तक कांग्रेस के अच्छे-अच्छे नेताओं ने आगे चलकर सदा राष्ट्र हित के कार्य करते रहे हैं। आज तक के जितने कार्य हैं वे सब राष्ट्र हित के ही रहे हैं। हम इस सरकार के विरोधी हैं और चाहते हैं कि जितनी जल्दी इस सरकार का खात्मा हो उतना ही अच्छा है। लेकिन जहां राष्ट्र की बात आती है वहां इस सरकार के निकम्मी रहते हुये भी हम चाहते हैं कि देश की रक्षा हो, भारत माता की आजादी अखंड रहे, उसकी अखंडता पर किसी प्रकार की आंच न आने पाये उसके लिये हम सब पार्टी के लोग सारे देश की जनता के साथ हैं और पिछले दिनों में भी इस पार्टी ने एक बार नहीं अनेक बार इसी भावना का परिचय दिया है। १६ जुलाई,

१९६५ को भी हमने एक प्रस्ताव पास करके सरकार से कहा कि तुम एक काम करो कि अगर तुम हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में मेल नहीं करा सकते हो तो बर्बर पाकिस्तान के साथ युद्ध करो। आप को याद होगा कि जब देश का बटवारा हुआ था तो गांधी जी ने क्या कहा था कि यह कृत्रिम बटवारा नहीं होना चाहिये, लेकिन लोगों ने उस समय गांधी जी की बात को नहीं माना। आज मैं इधर और उधर के बैठने वालों सब लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आज वक्त है, भारत सरकार को पाकिस्तान पर कब्जा करके पाकिस्तान और भारत न म की कोई चीज नहीं रहने देना चाहिये, हिन्दुस्तान नाम की चीज रहे। जब मैं यह कहता हूं तो निश्चित रूप से कहता हूं कि जिस भारत माता के ४८ करोड़ सपूत हों, जिनके रग-रग में हिन्दुस्तान की परम्परायें भरी पड़ी हों, उन ४८ करोड़ पर १० करोड़ आबादी वाले तानाशाह बन कर लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयत्न करें और दोषारोपण हम पर करें। ऐसी अवस्था, जब तक एक भी भारतीय रहेगा नहीं आने वाली है। यह बात सही है कि ऐसे गाढ़े वक्त में हम सब को मिल कर काम करना चाहिये, इस से कोई इंकार नहीं कर सकता। देश का प्रत्येक प्राणी भी इस बात को सोचता है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि इधर के बैठने वालो में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राष्ट्र के हित की बात न सोचता हो। लेकिन श्रीमन्, मेरा एक निवेदन सरकार से तथा आगे की बेंचों पर बैठने वाले माननीय सदस्यों से है--बस्ती में एक साथी की हत्या कर दी गई। इलाहाबाद में माननीय रणबहादुरसिंह ने कहा था कि आपकी पार्टी के एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्त्ता श्री राम भवन यादव को गोली मार दी गयी है। देश के लिये बलिदान तथा तन मन धन की जहां आप सबसे अपेक्षा करते हैं वहां सत्ताधारी दल का भी यह कर्तव्य है कि हमारी पार्टी ने जो बातें कहीं हैं उनको वे जरा पढ़ें और समझें कि हमारी पार्टी चाहती क्या है। सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी नीति वक्तव्य में बतलाया है कि संकट कालीन स्थिति में हम क्या करेंगे। उससे एक लाइन भी पढ़ कर मैं सुना देना चाहता हूं। "यदि समाज के सभी वर्गों द्वारा तथा स्वयं भी समान बलिदान और सादगी के सिद्धान्त को अपने अपनाने की हम सरकार से इच्छा करते हैं तो वैसी ही इच्छा सारा देश भी करता है।" इसके बाद भी यदि माननीय हरगोविन्दसिंह की पुलिस हम पर गोली मारे, मजदूरों पर गोली मारे और माननीय नवलकिशोर जी न्यायिक जांच की मांग करें तो उसे अस्वीकार कर दिया जाय, मैं साफ कहना चाहता हूं कि इससे जनता का मनोबल ऊंचा नहीं होगा।

प्रशासन क्या है? प्रशासन के काम के प्रति जनता में विश्वास होना चाहिये। प्रशासन के जरिये जनता को न्याय मिलना चाहिये, उसे सारा सामान मिलना चाहिये वरना प्रशासन में जनता का विश्वास नहीं हो सकता। इसलिये मैं अपील करता हूं कि प्रशासन सुन्दर और ठीक होगा तभी देश का मनोबल ऊंचा होगा और हमारी पार्टी तो इस पक्ष में रही है कि देश के काम के सामने सरकार भले ही निकम्मी हो लेकिन देश हित को आगे चलना चाहिये और इस लिये मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

*श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैं चन्द वाकयात अर्ज करना चाहता हूं। दो दिन नो-कान्फिडेन्स प्रस्ताव के ऊपर बहस हुई और बहुत सी बातें कहीं गयीं। मैं समझता हूं कि जो कुछ कहा गया, उसके पीछे जनता का सब दुख व दर्द था। महंगाई है, मुसीबतें हैं, तमाम किस्म की कठिनाइयां हैं, इसलिये जो कुछ कहा गया उसको रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक देना चाहिये। आप को बड़ी गम्भीरता से देखना चाहिये, समझना चाहिये। और खासतौर पर जब कि इतना गम्भीर संकट हमारे राष्ट्र के सामने है, उन प्रश्नों को जो हमारी तरफ से उठाये गये हैं, सरकार का कर्तव्य है कि उन प्रश्नों को देखे, समझे और उनका हल निकाले। लेकिन बावजूद इन सब चीजों के आज हिन्दुस्तान का गरीब कहता है कि हम आधी रोटी खायेंगे लेकिन अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे तथा अपने मुल्क से आक्रमणकारियों को निकाल बाहर करेंगे। ऐसे संकट के मौके पर हमारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जेड० ए० अहमद]

कर्तव्य है कि आज हम अपने आप को जो जनता का लीडर कहते हैं, इस बात को साबित कर दें कि हम सही माने में वह हैं और देश के सामने जो गम्भीर संकट है और अगर कोई आक्रमणकारी हमारी नेशनल इन्टीग्रीटी को धमकी देता है तो हम सब खड़े हो कर सिपाही बन कर मैदानमें जायेंगे और अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे तथा अपना झंडा बुलन्द करेंगे । ऐसा वातावरण बनाया जायगा, ऐसा दिमाग बनाया जायगा और ऐसा काम किया जायगा जिससे कि हमारे सिपाही आगे बढ़ सकें । आज हम गर्व के साथ इस बात को महसूस करते हैं कि हिन्दुस्तान एक ऐसा राष्ट्र है, हिन्दुस्तान की ऐसी कौम है जिसने इस बात का सबूत दिया है कि वह एक जिन्दा और जीती जागती कौम है जिसके ऊपर कोई आक्रमणकारी चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान का सहयोगी चीन हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे दूसरी और साम्राज्यवादी शक्तियां हों जिन्होंने तमाम शस्त्र-अस्त्र, टैंक्स तथा एयरोप्लेन्स पाकिस्तान को दिया है, आज हमें उनको इसका मुहतोड़ जवाब दे कर बतला देना है कि हमारा मुल्क हिन्दुस्तान किसी से कम शक्तिशाली नहीं है । हम सरकार को बधाई देते हैं कि उसने मजबूती के साथ कदम उठाया है । हमें गौरव है, हमें फख्र है कि हमारे बहादुर सिपाही आज देश के मोर्चे पर खून बहा रहे हैं, हम बधाई देते हैं उनको और कश्मीर की जनता और वहां की सरकार को जिन्होंने अपनी शानदार तरीके से हिफाजत की है और जिन्होंने पाकिस्तान को दिखा दिया है कि देश एक है, कौम एक है, हमारा खून एक है हमारी हड्डियां एक हैं और हम सब मिलकर किसी भी आक्रमणकारी का मुकाबला कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मैं इस राय का हूं कि जल्द से जल्द हम सब को मैदान में जाना चाहिये, हम यहां क्या कर रहे हैं ? यहां हम यह बहस कर रहे हैं, हम सब को अब जगह-जगह पर अपने-अपने क्षेत्रों में जाना है, देखना है कि क्या वहां परेशानियां हैं क्या कठिनाइयां हैं, देखें कि कोई ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं करता, कहीं गल्ला गायब, कहीं दवा गायब, कहीं चोर बाजारी हो रही है । कहीं छुतरे बाज आ गये हैं यह सब हमें देखना है, उनको घेर कर पकड़वाना है और जनता की मुसीबतों को दूर करके उसका मनोबल उठाना है । मुझे दुःख होता है जब मैं एक दिन के लिये यहां आता हूं कि सब यहीं बहस में पड़ें । अरे हम चलें, अब मैदान में बैठने का वक्त नहीं है । अगर हमें लड़ाई को सही तौर पर लड़ना है और मैं बताना चाहता हूं कि यह वह लड़ाई है कि यह २ दिन में तय होने वाली नहीं है और अय्यूब यह समझ लें कि पाकिस्तान की हरकतों की अब हद हो चुकी है, आज यहां घुसपैठ, कल वहां घुसपैठ और फिर कहते हैं कि सीज फायर लाइन की पाबन्दी की जाय, पाबन्दी हमने की और बहुत बरदास्त किया लेकिन अब हम इस तरह से सीज फायर लाइन को मानने वाले नहीं हैं जब तक हमें गारन्टी न मिल जाय कि उसकी पाबन्दी हमेशा की जायगी । बार-बार हमारी तरफ से दस बार पाकिस्तान से नो वार पैक्ट की बात की गई, आफर किया गया लेकिन उसको मंजूर न हुआ । हम किसी देश पर कब्जा नहीं चाहते, आक्रमण नहीं चाहते, हम सबको जिन्दा रखना चाहते हैं लेकिन साथ ही हम अपने इलाके की हिफाजत चाहते हैं । अब चाहे सेक्रेटरी यू० एन० ओ० आ जायं या कोई आये हम अन्तिम निर्णय चाहते हैं । आज तक वह सब कुछ जानकर समझ कर पाकिस्तान को एग्रेसर करार न दे सके, तमाम हथियार एक तरफ मगरिबी मुल्कों ने दिये और बगुला भगत की तरह कहा जाय कि समझौता किया जाय । अब की बार जब तक हमें पूरा विश्वास नहीं मिल जायगा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आयेगा तब तक हमें अब कोई नहीं बहका सकता है और देश अपने मजबूत कदमों के साथ डटा रहेगा और एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा । हमें एक लम्बे संघर्ष के लिये तैयार होना है और अभी आज जो कुछ यहां पंडित कमलापति जी ने कहा, मैं उसका स्वागत करता हूं और वाकई यह वह समय है जब हम सबको इस बात का परिचय देना चाहिये कि देश एक है, बटा नहीं है, किसी से कमजोर नहीं है और दुनिया देखे कि यहां कोई तू-तू मैं-मैं नहीं है और वह मिल कर एक लोहे की दीवार की तरह खड़ा है और आज मैं चाहता हूं

कि यह अविश्वास का प्रस्ताव वापस लिया जाय और हम सब और यहां की जनता का हर नफर सिपाही बनकर कमर बांध कर देश की रक्षा के लिये अपना खून बहाने में आगे बढ़े ।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, मैं ने अपने विचार कल ही व्यक्त कर दिये थे और मुझे बड़ा संतोष है कि आज उस बात को माना गया, मुझे खुशी है कि आज इधर के और उधर के बैठने वाले एक दूसरे की ओर सहयोग और सद्भावना का हाथ बढ़ाने में सफलीभूत हुये । मेरा विचार है कि देश पिछली बार आजादी पाया था लेकिन उसकी आजादी बहुत आसानी से मिली थी और आजादी के बाद हम एक आलस्य और सरलता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिसके कारण राष्ट्र का निर्माण जैसा होना चाहिये था और राष्ट्र को जिन कठिनाइयों के लिये तैयार रहना चाहिये था उनके लिये वह नहीं हुआ था । आज वास्तव में राष्ट्र को बनाने का अवसर आया है परख का समय आज आया है और यदि इस अवसर पर हम एक हो कर नहीं आये और कर्तव्य की भावना से हमने अपने को प्रेरित किया तो हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत एक समुन्नत राष्ट्र के रूप में इस युद्ध के बाद सामने आयेगा । मैं निवेदन करूंगा कि हमारी जो भावनायें हैं जो विचार हैं उनको चैनेलाइज करने के लिये, उनको दिशा देने के लिये एक कमेटी बनानी चाहिये जो समय-समय पर हमें बताती रहे कि वास्तव में हमें क्षेत्रों में जाकर करना क्या है । क्या हमें आज सिपाहियों की भर्ती पर बल देना है, क्या खून देने वालों की आवश्यकता है, जनता को इकट्ठा करके क्या समझाना है, कैसे छतरीबाजों को गिरफ्तार कराना है, क्या सड़कों, पुलों की हिफाजत के लिये करना है, क्या-क्या प्रबन्ध करने हैं । इस प्रकार से यह भी संभव है कि क्षेत्र के लिये अलग-अलग हिदायतें हों, जो हमारे पश्चिमी जिले हैं उनके लिये अलग से हों और जो हमारे पूर्वी जिले हैं, उनके लिये अलग से हों । वर्तमान परिस्थिति इस प्रकार की है कि इसमें एक लिए जो कमेटी के रूप में या जो भी कुछ उसका नाम रक्खा जाय, बनायी जाय और जो एम० एल० ए० जिस क्षेत्र के हों उस क्षेत्र के सम्बन्ध में विशेष रूप से और सामान्य हिदायतें हर क्षेत्र की कि हमें उनमें अपनी फौजी सहायता के लिये क्या करना है दी जायं । आज आवश्यकता इस बात की है कि जो भी कार्य हो, जो भी सहायता हो, उसकी ठीक दिशा दी जाय और उसे ठीक दिशा देकर ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं ।

अन्त में मैं अपनी और अपने दल की ओर से विश्वास दिलाता हूं कि हम कोई भी भेदभाव नहीं समझते हैं । आज हम अपने पक्ष और विरोधी पक्ष की बात भूल गये हैं । मैं आज केवल पाकिस्तान को ही विरोधी पक्ष मानता हूं । आज सारा देश एक पक्ष है ।

इन शब्दों के साथ मैं उस अविश्वास के प्रस्ताव को वापस लेने के हक में हूं ।

*श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---

श्रीमन, आज माननीया मुख्य मंत्री और प्रान्त के कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट, माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने जो अपील की है, उसका मैं स्वागत करता हूं । अविश्वास का प्रस्ताव लाना कोई खुशी की चीज नहीं थी हमारे लिये, लेकिन मैं समझता था और मैं सोचता था कि पाकिस्तान से जो हमारी लड़ाई है वह लम्बी लड़ाई होगी । वह मुसीबत भारी होगी, तरह तरह की मुसीबतों को सहना पड़ेगा और जो भी हालत होगी उसका मुकाबला करना पड़ेगा । उसके लिये और अपने जवानों की रक्षा के लिये हमें कारखानों में और खेती का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा । हम समझते थे, हमें कुछ कमियां नजर आती थी, हमें कुछ ऐसा महसूस होता था कि टोटल वारफेयर करने जा रहे हैं, हमने इस सरकार में कुछ ढील महसूस की थी इसलिये हम इस अविश्वास के प्रस्ताव को लाये थे । लेकिन माननीया मुख्य मंत्री और माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भगवान सहाय]

कमलापति त्रिपाठी जी की अपील ने सारी बात बदल दी। उन्होंने जो उस अपील में फरमाया है, उससे पोजीशन बिल्कुल बदल गयी है। इस सम्बन्ध में चूंकि सभी माननीय सदस्यों ने अपने खयालात जाहिर कर दिये हैं, कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन कर दूं। लड़ाई की इस गम्भीर परिस्थिति को देखते हुये और इसका निपटारा करने के लिये यह बहुत जरूरी है कि हमारा शासन स्वच्छ रहे और जनता सन्तुष्ट रहे। इन दोनों चीजों के बिना हम कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीया मुख्य मंत्री जी को एक ऐतिहासिक घटना की याद दिलाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह संकेत उनके लिये काफी होगा। यह ऐतिहासिक घटना जो है वह इस प्रकार से है कि जब पहली फर्स्ट वर्ल्ड वार में पराजित रूस ने अपनी सोवियत यूनियन फार्म की तो उसके विरुद्ध ब्रिटेन-रिया एलाइड नेशन्स के १४ राष्ट्र फौजें लेकर घुस आये। वहां के कारखाने बरबाद थे और उजड़े हुये थे लेकिन फिर भी उन्होंने भूखे नंगे रह कर १४ के १४ राष्ट्रों की फौजों का मुकाबला किया। तो कांग्रेस कमेटी, जिनके हाथ में आज शासन की बाग डोर है, उनको यह संकेत करके मैं यह प्रस्ताव वापस लेता हूं।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)---

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव वापिस लिया है यह राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा परिचायक है और इस प्रकार के हमारे सुदृढ़ और संगठित मतैक्य के आधार पर शत्रु को यह साहस नहीं हो सकेगा कि हमारे प्रदेश और देश के किसी भी भाग पर बुरी नजर से देख सके। और इस आधार पर जबकि हम एक साथ होकर आगे बढ़ रहे हैं यह भी निश्चित बात है कि हमारी मातृभूमि का सम्मान बढ़ेगा और उसकी हम रक्षा कर सकेंगे। इस अवसर पर यह उचित है कि हर व्यक्ति जाकर जनता के मनोबल को ऊंचा करे। माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम अपनी तमाम बुराइयों को न देखें बल्कि यह देखें कि किस तरह से एक साथ हो सकते हैं। इन धारणाओं को देखते हुए मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखेंगे, जिस प्रकार से आज हम अपने देश और प्रदेश की रक्षा के लिये एक हो कर आगे बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से हम अपने प्रशासन को ठीक चला करके एक ऐसा परिचय देंगे जिससे जनता का और मनोबल ऊंचा उठे और जनता को उचित संरक्षण दे सकेंगे। जो प्रस्ताव वापस हुआ है मैं इसका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हम सभी इसी प्रकार से देश की रक्षा के लिये सदैव आगे बढ़ते रहेंगे।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

(मुख्य मंत्री के खड़े होने पर) अध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्री के बोलने से पहले दो मिनट मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

नेता सदन जब खड़ी हों तो सब को बैठ जाना चाहिये, आदर और साधारण शिष्टाचार इस बात का तकाजा करता है।

श्री रामचन्द्र विकल---

मैं भी कुछ अपनी भावनायें प्रकट करना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

आप कृपया बैठ जायं। जब लीडर खड़ा हो तो आपको बैठ जाना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामचन्द्र विकल--

अध्यक्ष महोदय, आप मुझे मौका देंगे बोलने के लिये ?

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं ।

*श्रीमती सुचेता कृपालानी--

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है । मैं बहुत आभारी हूं माननीय कमलापति त्रिपाठी जी के प्रति और मेरे सामने जो मेरे माननीय सदस्यगण बैठे हुए हैं उनके प्रति। मैं विरोधी दल यह शब्द आज इस्तेमाल नहीं करना चाहती। आज जो भानु प्रताप सिंह जी ने अभी कहा है मैं उसको मानती हूं, बिल्कुल उनसे सहमत हूं कि आज हमारे सामने केवल एक विरोधी दल है और वह है पाकिस्तान । पाकिस्तान के सामने हम सब एक होकर लड़ेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

विरोधी दल नहीं, दुश्मन है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मैं यह मन्जूर करती हूं । जो दुश्मन है उसके सामने एक होकर लड़ेंगे क्योंकि भारतवर्ष के सामने इतना भारी संकट पहले कभी नहीं आया । जैसा आप लोग सब महसूस करते हैं, हम लोगों ने बहुत सी चीजें देखी हैं, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, बहुत तकलीफें और दुख सहे हैं, लेकिन ऐसी भयानक लड़ाई का हमको सामना नहीं करना पड़ा। इसीलिये सारे देश को हमको तैयार करना होगा। हम जब दिल्ली में थे माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने बार-बार समझाया, चव्हाण साहब ने समझाया कि जहां हम जा रहे हैं एक बड़ी भयानक परिस्थिति में जा रहे हैं । इस समय अगर सब लोग कटिबद्ध न हुए तो हम लोग संभल नहीं पायेंगे । इसलिये यह उचित था जो आपने इस प्रस्ताव को वापस लिया ।

डाक्टर अहमद साहब ने जो बात बतायी या अन्य नेताओं ने जो बात बतायी, मैं उसको नत मस्तक ग्रहण करती हूं कि लोगों के दिल में असंतोष न हो या लोगों के मन में यह खयाल न हो कि हमसे सहयोग मांगा जा रहा है लेकिन सरकार हमारे संतोष के लिये कुछ नहीं कर रही है। इसलिये जनता को संतुष्ट रखना सर्व प्रथम कर्त्तव्य है और यह संतोष स्वच्छ प्रशासन से ही हो सकता है । मेरे दिल में कभी नहीं था कि आप लोगों को न बुलाऊं। मैं चाहती थी बुलाना और ४ तारीख को दिल्ली जाने से पहले मैंने जानना चाहा लेकिन मुझे मालूम हुआ कि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी नहीं हैं। इसीलिये मैंने यही फैसला किया कि दिल्ली से वापस आने पर वहां की सारी परिस्थिति समझ कर सब को बुलाऊंगी और कल मैंने इसीलिये सब की मीटिंग बुलायी । जिन बातों की तरफ, जिन गवर्नमेंट के कामों म खामी की तरफ आप सबने ध्यान दिलाया है, हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ठीक से चले। लेकिन इतनी बड़ी, विस्तृत गवर्नमेंट है, कुछ पुरानी खराबियां हैं जिनको हम संभाल नहीं पाते हैं, उतना तजुर्बा भी नहीं है किन्तु मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती कि अब जो भी खराबियां हैं उनको हम और आप सब मिल कर दूर करेंगे । जो हमारे सामने बैठे हैं, उनका धर्म है कि हमको गलतियां बतलायें और हमारा धर्म है कि जो गलतियां बताई जायं उन्हें नम्रता से सुनने के बाद उनको सुधारने का हम प्रयत्न करें। इस मनोवृत्ति को लेकर हम अपना काम आगे बढ़ायेंगे । हम और अधिक दिन बैठे नहीं रहेंगे । जैसा डाक्टर अहमद साहब ने कहा हम भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी ऐसी प्रोग्राम बन जाय ताकि जगह-जगह हम पहुंचे और लोगों को अच्छी तरह से संगठित कर सकें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

मैं बहुत आभारी हूं कल जन-संघ पार्टी की तरफ से दुबे जी ने ४० हजार स्वयं सेवकों की सेवायें देने को कहा और मुझे उम्मीद है कि सब लोगों की तरफ से ऐसे स्वयं सेवक तैयार होंगे।

एक बात मैं और कह दूं। दो, तीन सज्जनों ने बार-बार कहा और उस बात के लिये मुझे लज्जा है और बार-बार उन्होंने इसी बात पर ध्यान दिलाया कि कांग्रेस पार्टी में फूट है। सही बात है कि जो राज्य चलाने वाली पार्टी है उसमें अगर फूट है तो देश बहुत ज्यादा खतरे में होता है। मुझे यह खुशी है बतलाने में कि आज कमलापति जी ने एक्जीक्यूटिव कमेटी को बुलाया था और सब लोगों ने एक राय होकर सोचा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का संगठन मजबूत किया जाय, किस तरह से उत्तर प्रदेश का कांग्रेसी संगठन हमारी पूरी जिम्मेदारी उठाये। कमलापति जी ने आश्वासन दिया है कि वह कांग्रेस की तरफ से एक लाख वालेंटियर हमारे हाथ में देंगे जिनसे हम कोई भी काम ले सकते हैं।

मैं चाहती हूं कि ऐसा मनोभावना को लेकर काम हो ताकि हम सब एक हों, सारे प्रदेश और सारे देश के हमारे सामने एक ही काम हो, एक ही लक्ष्य हो कि कैसे हम पाकिस्तान के सामने खड़े हो सकें, कैसे हमारी सेना कामयाब हो। मैं यह भी बतला देना चाहती हूं कि हमारी लड़ाई आक्रमण की लड़ाई नहीं है। बार-बार मैं मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी लड़ाई डिफेन्स की है, सुरक्षा की है। अगर पाकिस्तान हमारे खिलाफ न लड़ता, समझौते न तोड़ता तो हम यह लड़ाई न लड़ते। हम शान्ति के रास्ते पर चलना चाहते हैं लेकिन शान्तिप्रिय होने के यह मतलब नहीं है कि हम अन्याय और बेइंसाफी को बर्दाश्त करते चले जाय। हमारा देश हमको प्रिय है, देश का एक-एक कण प्रिय है और जो कुछ करना है वह करके रहेंगे जो त्याग करना है वह करके रहेंगे और एक सूत्र में बंध कर उत्तर प्रदेश के लोग सारी जिम्मेदारी उठायेंगे और हम प्राइम मिनिस्टर तथा अपने रक्षा मंत्री का पूरी तरह से हाथ मजबूत करेंगे। हम यह दिखायेंगे कि हम मजाक बर्दाश्त करने वाले नहीं है और हम यह देखेंगे कि हमारी टेरीटोरियल इंटेग्रिटी किसी तरह से भी टूट नहीं सकती। देश का एक-एक बच्चा, एक-एक स्त्री और एक-एक मर्द खड़ा होगा देश को बचाने के लिये।

मैं फिर आप सब को धन्यवाद देती हूं कि आपने जिस तरह से आज हमारी शक्ति बढ़ाई है, मुझे हिम्मत दिलाई है क्योंकि एक बहिन को भाइयों की हिम्मत चाहिये, उस सब सहारे की बदौलत ही हम आगे बढ़ सकेंगे।

श्री रामचन्द्र विकल---

मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय विकल जी, ऐसे अवसर पर कोई खड़े होने की अब आवश्यकता नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल---

यह कोई बात नहीं है कि नेता जी बोल चुके हों तो हमें न बोलने दें। मेरी भी कुछ भावनायें हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैं निवेदन कर दूं कि यह संसदीय शिष्टाचार बतलाता है कि जब किसी पार्टी के नेता बोल चुके हैं तो उस पार्टी के अन्य सदस्य न बोलें। माननीय नेता सदन बोल चुके हैं, आप कृपा करके बैठें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अध्यक्ष महोदय, जिस वातावरण की अपेक्षा माननीय मुख्य मंत्री ने की है, उस वातावरण को ज्यादा मदद और बल तभी मिलेगा जब कि वह माननीय हर गोविन्द सिंह जी को अपने मंत्रिमंडल से निकाल दें ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह प्रस्ताव कि यह सदन वर्तमान मंत्रि परिषद् में अपना अविश्वास प्रगट करता है, वापस लिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

१९६०-६१ की अतिरिक्त अनुदानों पर मतदान-अनुदान संख्या २---भू-राजस्व

श्री अध्यक्ष---

अब वित्तीय वर्ष १९६०-६१ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर सामान्य विवाद तथा मतदान होगा ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक चीज निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक यह सदन चल रहा है तब तक कम से कम दिन में दो मर्तबा सदन को यह इत्तला मिलनी चाहिये कि सीमा पर किस ढंग से लड़ाई हो रही है ।

श्री अध्यक्ष---

यह तो वैसे भी हो सकता था ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

श्रीमन्, वित्तीय वर्ष ६०-६१ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को सर्व सम्मति से स्वीकार हुई मान ली जायं ।

राजमाल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव से करता हूं कि अनुदान संख्या २-भू-राजस्व के अन्तर्गत ३,४३,९३५ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६०-६१ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि .....

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, विवाद नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष---

नियम यह है कि आप आखिर में बहस कर लीजिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

अध्यक्ष जी, नियम तो दोनों हैं । अगर हर मद को लेते हैं तो विचार करने की सुविधा होनी चाहिये और सारे मदों को साथ लें लें तो साधारण बहस करायें ।

श्री अध्यक्ष--

दो तरीके हैं। मेरा खयाल यह था कि सब मांगों के बाद जब विनियोग विधेयक आये तब माननीय सदस्य बोल लें। आखिर में आप लोग बोल लें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २---भू-राजस्व के अन्तर्गत ३,४३,९३५ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६०-६१ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६-निबंधन

वित्त उप-मंत्री (श्री जयराम वर्मा)---

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६-निबंधन के अन्तर्गत ११,४७८ रुपये मांग वित्तीय वर्ष, १९६०-६१ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(इस समय १२ बजकर ५४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रार्थना है कि १९६०-६१ के अतिरिक्त अनुदान इस समय कैसे आ सकेंगे। वे आज पेश किये जा रहे हैं। यह नहीं हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--

इनमें तो समय लग ही जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६---निबन्धन के अन्तर्गत ११,४७८ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६०-६१ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १०---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य

विद्युत उप मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०-राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अन्तर्गत ३८,५६,०४० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६०-६१ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०---राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अन्तर्गत ३८,५६,०४० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६०-६१ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६—न्याय प्रशासन

श्री जयराम वर्मा—

उपाध्य महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिपारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत २,११,५९० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६०—६१ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत २,११,५९० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६०—६१ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३३—खाद्य तथा रसद संगठन

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिपारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३—खाद्य तथा रसद संगठन के अन्तर्गत ६१,४९२ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६०—६१ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३—खाद्य तथा रसद संगठन के अन्तर्गत ६१,४९२ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६०—६१ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४७—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई के निर्माण-कार्यों का सम्पादन

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिपारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई के निर्माण-कार्यों का सम्पादन के अन्तर्गत ३,७९,३८,८३५ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६०—६१ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७—राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई के निर्माण-कार्यों का सम्पादन के अन्तर्गत ३,७९,३८,८३५ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६०—६१ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५०—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिपारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर परिव्यय के अन्तर्गत २,०९,६७,९९५ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०—६१ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर परिव्यय के अन्तर्गत २,०९,६७,९९५ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६०-६१ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५१---विद्युत योजनाओं पर पूंजी परिव्यय

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१---विद्युत योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २६,७०,२१७ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६०-६१ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१---विद्युत योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २६,७०,२१७ रुपये की मांग वित्तीय वर्ष, १९६०-६१ से सम्बद्ध अतिरिक्त अनुदानों के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०--६१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६५

श्री जयराम वर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६५ को पुरस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, अभी यह तो मिला ही नहीं और यह पुरःस्थापित हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

मिल गया होगा, देख लीजिये, अपने पीजन होल में देख लीजिये, वहां होगा ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

बंट गया है, सब लोगों को मिल गया होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

नहीं श्रीमन्, अभी हमें किसी को नहीं मिला है, अभी यह बंटा ही नहीं है, प्रिजनहोल में नहीं है। हम लोगों को अभी न तो अतिरिक्त अनुदान का बजट मिला है और न विनियोग विधेयक मिला है। बिना विनियोग लेखा हम लोगों को मिले हम कैसे इस पर यहां विचार कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यदि नहीं मिला है, तो मिल जायेगा।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

लेकिन यहां पर मिले बिना विचार कैसे हो सकता है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अगर नहीं बंटा है तो अभी मिला जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उपाध्यक्ष जी, आप शांतिप्रपन्न शर्मा जी से कापी मांग लीजिये, अगर बंटा है तो उनके पास कापी होगी उसे भेज दें मेरे पास, मैं देखूं।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अभी आपके पास आ रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

लेकिन गलत बात क्यों कही जाती है यहां पर, बंटा नहीं और कह दिया कि बंटा है। आपके पास भी कापी नहीं है, इसके मतलब हैं कि बंटा नहीं है।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

पांडेय जी को ही मिलने का प्रश्न नहीं है, सभी को मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी मिल जाएगा, तब तक हम इन्तजार कर रहे हैं, मिल जाये, तब आगे कार्य होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जब अतिरिक्त अनुदान आज पेश होगा और विनियोग विधेयक पहले बंट जाए, यह कभी हुआ है? यह कभी परिपाटी रही है?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें किसी की गलती नहीं है, उनका ख्याल था कि बंट गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उपाध्यक्ष जी, ऐसी परिपाटी सदन में रही है कि हर मद पर विचार होता है। ऐसा हो सकता है कि यह छपा ही न हो।

(विधेयक की प्रतियां बांटी गयीं)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय सदन से क्षमा चाहूंगा कि वास्तव में यह गलतफहमी में बात हो गयी और इसलिए यह कह दिया गया। मुझे आशा है कि हाउस इसके लिये माफ करेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, गलती तो होती है लेकिन गलती होने पर जिद नहीं करना चाहिये और उसे स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री जयराम वर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ की बढ़तियों का विनियोग) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय ।

माननीय सदस्यों से सन् ६०-६१ के संबंध में जिन अतिरिक्त अनुदानों की मांग की जा रही है और जिन सेवाओं के लिये अभी माननीय सदन ने स्वीकृति प्रदान की है उन सेवाओं के लिये धनराशियां संचित निधि से व्यय करने के लिए यह विधेयक लाया गया है । उसी पर विचार करने के लिए माननीय सदस्यों से प्रार्थना की गयी है । यह प्रार्थना है कि माननीय सदन इसी दृष्टि से इस पर भी विचार और अपनी स्वीकृति कृपया प्रदान करे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

उपाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं और यह इसलिये कि सरकार की यह आदत पड़ गयी है कि खर्चा कर लेने के बाद सदन की स्वीकृति के लिये इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत कर दिया जाय । इस में लिखा हुआ है कि ६०-६१ में यह खर्चा हुआ और आज ४ साल के बाद इसको सदन के सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है । यदि इस तरह की परिपाटी सरकार को चलाने की इजाजत दे दी जाय तो प्रदेश की संचित निधि पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा । कुल अतिरिक्त व्यय १६ करोड़ रु० से अधिक का है और उसमें से ९ करोड़ से अधिक संचित निधि का है । मैं इस प्रकार की नीति एवं आचरण का घोर विरोध करता हूं । सरकार यदि इस प्रकार से काम करेगी तो इस प्रदेश में बहुत बड़ा काम नहीं हो सकेगा और साथ ही साथ गरीबी भी अधिक बढ़ेगी । इससे कोई काम होने वाला नहीं है । यदि सरकार खर्चा स्वास्थ्य पर करती, हरिजन कल्याण पर करती, नदियों के कटाव पर करती, अपाहिजों के लिए रोजी रोटी का प्रबन्ध करती तो हम समझते कि सरकार ने प्रदेश के हित में काम किया है और सरकार को इस अनियमितता पर माफ किया जाता है किन्तु खर्चा कहां पर किया गया है । खर्चा किया गया है सामान्य प्रशासन पर, न्याय प्रशासन पर, नियोजन पर । हम सब सामान्य प्रशासन की निन्दा करते हैं और उसी मद पर इतना रुपया खर्चा किया गया है । जहां नियोजन की निन्दा करते हैं और यह देखते हैं कि उसका आधा रुपया अधिकारियों के वेतन पर खर्च होता है इस मद में भी रुपया कम करके स्वीकार करने को कहा जा रहा है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि हमारा जो संचित निधि है उससे इस प्रकार खर्च करना सही माने में जनता के फायदे के लिये नहीं है । सरकार खर्चे को मंजूर करने की बात करती है लेकिन जो शिक्षा में गिरावट है, जो खेती या दूसरी चीजों में गिरावट है उसमें ध्यान दिया जाता तो यह ठीक बात कही जा सकती थी । मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें अभी जो वेतन समिति की सिफारिश को पूरा करने के लिए १६ करोड़ रुपया देने की बात है वह शामिल नहीं किया गया है । उस वेतन समिति की रिपोर्ट से छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी तक कोई संतुष्ट नहीं है । उनको सही रूप से मदद देने की बात इसमें नहीं देखी गई है । मंत्री के लिए छूट है उनके लिये कोई बंधन नहीं है । सरकार के अस्पतालों में सरकार ने खुद मंजूर किया है कि सैकड़ों अस्पताल ऐसे हैं जहां पर डाक्टर नहीं है । डाक्टर के अभाव में वहां रोगियों की क्या हालत होती होगी सरकार इसको महसूस करने में असमर्थ है । अगर सरकार उसको समझती तो स्वास्थ्य के लिये दवाइयों को बढ़ाती और हम भी समझते हैं कि सही खर्च हुआ है । तब बात समझ में आती । लेकिन स्वास्थ्य की इकाई को बढ़ाने के लिए पैसा खर्च नहीं हुआ है । आज हजारों की तादाद में आप देखते होंगे कि तपेदिक के ऐसे मरीज हैं जिनको अस्पताल में दवा नहीं मिलती है । सरकार के पास निवेदन करते हैं कि हमको दवा के लिये रुपया दिया जाय तो मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है ।

जब लाखों की तादाद में लोग तपेदिक से प्रदेश में मरें, हमारी माता बहनें लाखों की तादाद में प्रसव बीमारी में मर जायं, लाखों परिवारों में उपवास होता हो, लाखों रोजी बिना बेकार हों तब सामान्य प्रशासन प्लानिंग विभाग के लिये छूट दी जाय कि जितना चाहें खर्च करें। उचित नहीं है। नियोजन विभाग में हम को कटौती करना चाहिये और ऐसे कामों को रोकने के लिये ऐसे विधेयक का विरोध करना चाहिये। अगर सरकार सही मानों में देश को समाजवाद के सांचे में ढालना चाहती है जिसमें किसी व्यक्ति को सरकार के विरुद्ध शिकायत करने की इच्छा न रहे और उनकी इच्छायें प्रशासन द्वारा पूरी हो जायं तो उस के लिए आपको काम भी वैसे ही करना चाहिये। लेकिन सरकार अब ऐसे स्थान पर पहुंच चुकी है कि जहां से वह देश की प्रगति अब कर नहीं सकती। आपस की पार्टीबन्दी हर जगह है, लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर प्रदेश में चौकीदार को पांच रुपया तनख्वाह मिलती है और यहां के चीफ सेक्रेटरी महोदय तथा मंत्रीगण दस-दस हजार रुपया मासिक खर्च कर सकते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस देश और प्रदेश में प्रत्येक को समान अवसर आगे बढने के लिए मिल सकता है। कैसे एक चौकीदार का लड़का कमिश्नर और कलेक्टर हो सकता है? कैसे वह विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर सकता है? जब आमदनी में जमीन आसमान का अन्तर है, पौने तीन आने और पौने तीन सौ का फर्क है इस देश में समाजवाद के अनुकूल वातावरण बनने वाला नहीं है। इसलिये सरकार और समाज का कर्त्तव्य है कि इस देश में सच्चा समाजवाद लाने के लिये आमदनी में एक और दस का अनुपात रखे और जब तक यह नहीं होगा तब तक सरकार हजारों बजट बनायें, समाजवाद स्थापित नहीं हो सकता।

श्रीमन्, एक भाषा का सवाल है। उत्तर प्रदेश हिन्दी भाषा भाषी प्रदेश है। हमने १९४७ में ही निश्चय कर लिया था कि यहां की राजभाषा हिन्दी होगी। मैं सुचेता जी का आदर करता हूं। वह चाहती हैं कि यहां हिन्दी ही चले, लेकिन व्यवहार में बात वह नहीं है। उनका पत्र व्यवहार अंग्रेजी में ही चलता है। मेरे पास कितने ही पत्र हैं जिनमें उन्होंने अंग्रेजी में दस्तखत किया है। तमाम मंत्री, उपमंत्री, चीफ सेक्रेटरी तथा कलेक्टर तक सारा पत्रव्यवहार अंग्रेजी में करते हैं। मैं आजमगढ़ की बात बतलाऊं। मैं एक ब्लाक में बैठा हुआ था। हिन्दी में किसी का प्रार्थनापत्र था। आर्डर उस पर अंग्रेजी में दिया गया। वहां पता लगाया तो मालूम हुआ कि एग्रीकल्चर अफसर महोदय का सारा पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में होता है। तो हमारे कथन और हमारी करनी में एकरूपता नहीं है। और अगर यह एकरूपता न रहे तो कहने में कोई सार नहीं रहता। हमारा सारा काम राजभाषा हिन्दी में होना चाहिये और सख्ती के साथ इस पर अमल किया जाना चाहिये। गांधी जी की बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि जो आदमी जिस बात को कहे उसे पहले वह अपने तईं व्यवहार में लाये। इसीलिये सरकार फेल हुई है और इसीलिये आज अपने प्रदेश में अकाल है, मंहगाई है, भ्रष्टाचार है, और प्रशासन में तमाम बुराई है और यह सब इसलिये है कि सरकार जो चाहती है उसे वह व्यवहार में बरतती नहीं। आज की नाजुक स्थिति में जब कि पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया है हमको बहुत सावधान रहना चाहिये। चीन की बुलेटिन आज रेडियो में सुनी कि हिन्दुस्तान की सेना चीन की सीमा में घुस कर आक्रमण करना चाहती है। ऐसी संकट बेला में सरकार को हर एक नागरिक को संतुष्ट करने की बात सोचनी चाहिये। इस देश में राष्ट्र हित की बात करने वाले लोग ज्यादा हैं और इस प्रदेश में भी आबादी ज्यादातर ऐसे लोगों की है जो राष्ट्रहित की बात करते हैं लेकिन राष्ट्रहित चाहने वाले भी जेलखानों में बन्द कर दिये जाते हैं और गोली लाठियों तथा अश्रुगैस का प्रयोग किया जाता है और उम्मीद की जाती है कि आप बरदाश्त करते जाओ और देशहित के लिये कुर्बान होते जाओ। यह तो कोई आदर्शवादी ही कर सकता है। लेकिन सरकार के लिये भी कोई आदर्श होना चाहिये। उनके व्यवहारों और वचनों का जब पालन नहीं होता है तो जनता में कानून और सरकार के प्रति अविश्वास होता है। मान लीजिये राष्ट्रविरोधी लोग हैं, आज सुना

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

है हजरतगंज में पाकिस्तान के बाहर के लोग पकड़े गये और मोटर साइकिल पर बैठे जा रहे थे। तो मोटर साइकिल पाकिस्तान से नहीं आयी। इसी शहर और प्रदेश के लोगों ने दिया होगा। तो क्यों दिये हैं, कौन दिये हैं, इन सारी चीजों पर सूक्ष्म विवेचन और आत्म-चिन्तन करना चाहिये और जो कमियां सरकार और देश के लोगों में हों उनको दूर करना चाहिये। संयुक्त सोशलिस्टदल के लोग अगर कमियां बताते हैं तो सजा पा जाते हैं। हमारी सरकार को आज डा० लोहिया को बन्द करने में हिचक नहीं है। लेकिन गांधी जी ने कहा था जब कि डा० लोहिया एक लेक्चर देने गये और अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया सुल्तानपुर की किसान कांफ्रेंस में कि "आज डा० लोहिया नहीं कैद हैं बल्कि देश की आत्मा कैद है" और आज यह सरकार उनको गिरफ्तार करने में हिचकती नहीं है। अगर सरकार भावात्मक एकता चाहती है तो सरकार को वैसा ही कदम भी उठाना चाहिये। आज हजारों की तादाद में अच्छे से अच्छे राजनीतिक कार्यकर्त्ता जेल में हैं जिनपर गलत पुलिस मुकदमे चला रही है।

हमने बार-बार मांग की है कि अगर पुलिस मंत्री को नहीं हटाया गया तो यह शासन स्वच्छ नहीं हो सकता। माननीय उपाध्यक्ष जी आप कबूल कर रहे हैं, हमारी बातों को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन राममूर्ति जी, बंशीधर पांडेय जी सुनने को तैयार नहीं हैं। श्रीमन्, आधी गड़बड़ी तो हरगोबिन्द सिंह, गृह मंत्री के कारण है। अगर यह आधी गड़बड़ी हटा दें तब तो बहुत अच्छा है। आपने पढ़ा होगा जो घटना किशोरी रमण अग्रवाल के घर के पास घटित हुई। उन्होंने कहा कि भैया जी निरपराध हैं। विधान परिषद् में भी यह प्रश्न आया, क्या हुआ? बस्ती में एक हमारे भाई का कत्ल हुआ, अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ दिया गया। उसके परिवार वालों को उन अभियुक्तों से अपनी जान माल का खतरा हुआ माननीय गृह मंत्री जी से कहा कि उस पर १०७ का मुकदमा चलाओ, मंत्री जी कहते हैं हम नहीं चला सकते। तो यह तो हालत है इनकी, जहां चाहते हैं, जहां इनकी इच्छा होती है वहां तो यह सब तरह की कार्यवाही करते हैं, जहां नहीं चाहते वहां यह देते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। जौनपुर के एक बी०डी०ओ० पर झूठा मुकदमा इनकी पुलिस ने चला दिया। उसकी स्त्री को बच्चा हुआ था। वह जमानत के लिये अदालत में गया। किन्तु दफा ८७।८८ की कार्यवाही कर उसके घर में बच्चे के जो बिस्तर वगैरह थे उन तक को पुलिस ने छीन लिया। जब जमानत की दरख्वास्त स्वीकार करते हुए जज ने लिखा है कि यह राजपत्रित अधिकारी हैं, इनसे यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि भाग जायेंगे और जमानत नहीं देंगे। इनकी पुलिस ऐसे घृणित तथा लज्जाजनक काम करती है कि उनको देख कर बड़ा दुख होता है। श्री रामायण राय जी, जो कांग्रेस पार्टी के सचेतक हैं, उनके घर के पास एक व्यक्ति जेलखाने में था, पुलिस ने उसके खिलाफ डकैती का मुकदमा चला दिया। मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में लिखा कि यह व्यक्ति उस वक्त जेलखाने में था जिस वक्त की डकैती का मुकदमा उस पर दर्ज किया गया है। अनेकों ऐसे केसेज हैं। गोरखपुर के किसानों का एक लाख ४४ हजार रुपया मुआवजे का बकाया था, उनको नौकरी का जो आश्वासन दिया गया उसके लिये वे कारखाने पर गये, मगर पुलिस ने उन पर गोली चला दी। यह सब क्या है? यह वही मसल है "जबरा मारे और रोवन न दे।" श्रीमन्, अगर सही माने में सरकार प्रदेश के लिये कुछ करना चाहती है, तो पहले प्रशासन को ठीक करें। पुलिस प्रशासन में तब्दीली करनी होगी। एक मंत्री जिससे करोड़ों लोग परेशान हों, अगर सरकार भी उनको हटाने के लिये तैयार नहीं है तो मुख्य मंत्री की इतनी भी क्या हिम्मत नहीं है कि उनसे वह विभाग ही छीन लें और उन्हें कोई दूसरा विभाग दे दें? एक वरिष्ठ मंत्री से मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं। यह तो जवाहरलाल नेहरू ने हरगोबिन्दसिंह को मंत्री बना दिया। जब जाने लगे तो गुप्ता जी ने गृह मंत्री का चार्ज इन्हें दे दिया। अब श्रीमन्, इस तरह की बातों को खत्म करना चाहिये। देश को बनाना है। पाकिस्तानियों को खदेड़ना है तो सरकार को सच्चे व्यवहार से तथा अपने काम से आगे आना चाहिये तभी जनजागृति हो सकेगी और करोड़ों लाखों लोग उनके आह्वान पर आगे बढ़ सकेंगे। यह बात सही है कि हम सरकार से निराश हैं.

और हम कहते हैं कि सरकार निकम्मी है, सरकार के जरिये समाजवाद आने वाला नहीं। देश में नई स्फूर्ति और नया जागरण आ नहीं सकता। लेकिन जब देश को बचाने का सवाल आता है तो हमें कहना पड़ता है कि हरगोविन्द सिंह को हटाइये। श्री राममूर्ति नहीं हटा सकते हैं तो अपने विभाग को बदल दीजिये। श्रीमन् प्रदेश में दो विभाग बड़े महत्वपूर्ण हैं एक राजस्व विभाग (अदालतों और पुलिस का) इन दोनों विभागों का जनता से सीधा संबंध है। अदालतों में जा करके जनता अपने कानूनों को देखती है अपने फैसले को देखती है और सही माने में देखती है कि सरकार जो कानून बनाती है उसका पालन कहां तक अधिकारियों द्वारा होता है। वहां पर दोनों जगहों से जनता निराश चली आती है। वहां पर घूसखोरी देखती है, पक्षपात देखती है, गुंडापरस्ती देखती है। आप देखेंगे दुनिया में जब जब क्रांतियां हुई हैं वे इसी कारण हुई हैं कि जनता की रायों की तब तब उपेक्षा हुई है। जनता की जो शिकायतें हैं उसकी पूर्ति नहीं की गई हैं और जनता का सरकार के साथ विद्रोह हुआ है। श्रीमन्, ऐसे गाढे वक्त में जब कि मंहगाई अपने प्रदेश में छाई हुई है, मैं खाद्य मंत्री से निवेदन करूंगा, पारसाल भी इन्हों ने आश्वासन दिया था और इस साल भी दिया कि इस प्रदेश में हम किसी को भूखों नहीं मरने देंगे, यह बात सही है कि यह आदर्श वाक्य है और सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिये, आपने बतलाया कि हमने गल्ला एकत्र नहीं किया और सदन को आश्वासन दिया कि हम जल्दी राज्य व्यापार करेंगे और व्यापारियों के हाथों, लाखों मन गल्ला नहीं जाने देंगे लोगों को भूखों नहीं मरने देंगे लेकिन फिर भी सरकार ने कोताही की। मुझे तकलीफ होती है कि जब हमारी पार्टी के लोग या विरोधी दल के और लोग गल्ला गोदामों पर जखीरे वाजों के घरों पर हमला करके गल्ले को ले करके गरीब पब्लिक को देना चाहते हैं तो आप ३५० का मुकदमा चला करके जेल में बन्द कर देते हैं और कहते हैं कि आपने कानून को तोड़ा है। एक तरफ हजारों और लाखों घरों में एक जून खाने को नहीं मिलता है, लोग उपवास करते हैं और उसमें मुट्ठी भर आदमी अपनी खत्तियों में गल्ला डाले बैठे हैं और सरकार उन लोगों की रक्षा पुलिस के जरिये जेलखाने के जरिये करे तो इसका असर क्या होगा। इससे प्रशासन ढीला होगा और आपके पुलिस कर्मचारी ढीले पड़ेंगे और शांति का वातावरण न रहकर वह अशांति में परिणत हो जायेगा। इस आपत्ति के काल में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सरकारी कर्मचारियों और लाल फीताशाही के संबंध में मैं कहना चाहता हूं। कोई दरख्वास्त मैं मा० उपाध्यक्ष के यहां देदूं तो आप तो मुझे बुला लेंगे, आपका चपरासी दौड़ता हुआ आयेगा और मैं आपके पास चला जाऊंगा। लेकिन सरकार की हालत यह है कि मंत्रिगण के पास हजारों दरख्वास्तें आती है विरोधी दल के सैकड़ों विधायक दरख्वास्त देते हैं मंत्रियों के पास लेकिन १३ साल का मेरा अनुभव यह है कि इन सारे मंत्रियों में से शायद एक दो मंत्री भले ही निकल जायं जो चिट्ठियों का जवाब देते हैं, उस पर कार्य करने की बात तो दूर है। ऐसा होता क्यों है? चिट्ठी जाती है, मंत्री का पी० ए० चिट्ठी लेता है, उसके बाद सेक्रेटरी के पास भेजता है। वहां से कलेक्टर के यहां जाती है और श्रीमन्, उसका फैसला साल भर के अन्दर तो फिर होता नहीं है। गरीब की कोई सुनवाई इस तरह से हो नहीं पाती है। इसलिये ऐसे गाढे वक्त में जो इतना लम्बा लालफीता शाही का राज है उसको जरा सा द्रुतगामी कीजिये। हमने अखबारों में पढा, पश्चिमी बंगाल की सरकार ने क्या किया? उन्होंने साढे नौ बजे से चार बजे तक दफ्तरों का टाइम कर दिया, आधा घंटा टाइम बढ़ा दिया। तो आप जब आपत्ति काल की बात करते हैं तो इन सारी चीजों की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

इस वक्त अपने प्रदेश में कुछ शक्तियां ऐसी हैं, बाहर की हैं, अपने देश की नहीं हैं, छतरी से जो सैनिक उतारे जाते हैं, इस प्रदेश की सरकार को और उनके जरिये मैं जनता से कहना चाहता हूं कि इस वक्त हिन्दुओं और मुसलमानों को बड़ा सतर्क रहना चाहिये, हो सकता है कोई मंदिर में कोई काम कर दे, कोई मस्जिद में कोई काम कर दे, इस तरह के काम ऐसे वक्त में किये जा सकते हैं, इसलिये सबसे पहला कर्त्तव्य हमारा यह होना चाहिये कि इस

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

प्रकार के कामों और अफवाहों को रोक सकें, ऐसे काम न हों, या कोई कर दे तो आग बुझाने में सतर्कता बरतें अन्यथा पाकिस्तान जिस साम्प्रदायिकता को उभाड़ना चाहता है उससे हम बचेंगे नहीं । इसलिए प्रदेश की जनता को बड़ी सावधानी के साथ कार्य करने की जरूरत है ।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार से यह कहूंगा कि वह किफायतशारी करे । आपने देखा होगा कि विधान भवन का नीचे का धरातल पहले सीमेंट का बना हुआ था । उसको उखाड़कर फिर उस पर हजारों रुपया खर्च किया गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बिगड़ रहा था, आने जाने में किसको तकलीफ हो रही थी, आज तो उस पर पांव फिसलता है, तब तो पांच भी नहीं फिसलता था, और देखिये यह हमारे सामने जो लट्ठे लगे हैं, यह शायद ६०-६१ में लग गये थे । ढाई लाख रुपया इस पर खर्च हुआ लेकिन आज तक यह चालू नहीं हो पाया । हमने कहा इसको हटवा तो दो, लेकिन वह ढाई लाख रुपया ठेकेदार को देने में तकलीफ नहीं हुई, इसको हटा लेने में तकलीफ महसूस होती है । यदि इस प्रकार से ऐसे मौके पर उस भूखी और नंगी जनता का पैसा बहाया गया तो यह उचित नहीं है । लड़ाई के नाम पर जनता से जो पैसा सरकार लेती है वह लड़ाई में ही खर्च होना चाहिये । जो उसका दुरुपयोग करते हैं पार्टी का ख्याल छोड़कर उनको राष्ट्रद्रोही मानकर जेल में बन्द कर देना चाहिये । मैं पूछना चाहता हूं कि आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट के खिलाफ सरकार ने क्या किया । मैं पूछना चहता हूं कि बनारस के कांग्रेस दल के जो बहुत बड़े नेता हैं उनके खिलाफ सरकार ने क्या किया ? हजारों रुपया लड़ाई के नाम पर लिया गया और मोटरों और कपड़ों में खर्च कर दिया गया । लड़ाई के नाम पर पैसा लेकर अगर सरकार इस प्रकार से खर्च करेगी तो जनता की भावना टूटेगी । मैं एक कांग्रेसी की बात बता रहा हूं । उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने में यह रुपया न जाय बल्कि प्रधान मंत्री के खजाने में यह दिया जाय । क्या बात है, एक दो नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं कि इस प्रकार से जो रुपया दिया गया उसका बहुत ही खराब खर्च हुआ मैं पूछता हूं कि अगर इस प्रकार के विचार जनता में रहें तो उनका मनोबल बढ़ेगा या घटेगा । इसलिये ऐसे आपत्तिकाल में सरकार अपने को दर्पण में देखे । पहले अपने मुंह को चिकना कर लीजिये और प्रदेश की जनता के कष्टों को दूर करने का प्रयत्न कीजिये । इस ओर का बैठने वाला हर एक सदस्य देश के लिये अपने सर को भारत माता के चरणों पर देने के लिये तैयार है लेकिन मैं यही कह कर बैठना चाहता हूं कि सरकार प्रशासन की कमियों को दूर करे और अपने व्यवहार में अच्छाई लायें तभी देश को गांधी जी के रास्ते पर ले चलने में सफल होंगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रक्षपाल सिंह, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इसके लिए केवल २ घंटे का समय रखा है, इसलिये आप समय का ख्याल रखें । इसके अतिरिक्त जो इसका स्कोप है, उसी तक अपने को सीमित रखें ।

*श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने ठीक ही संकेत किया कि बहुत इधर-उधर की बातें न कहना ही ठीक है । मैं अपने को इस विधेयक तक ही सीमित रखूंगा । श्रीमन्, मैं इस विनियोग विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, यह सरकार की निष्क्रियता और अफीमचीपन की प्रतीक है । यह जो पैसा मांगा जा रहा है वह साढे पांच साल पहले का मांगा जा रहा है । दूसरी योजना के अन्त का है । तीसरी योजना से पहले का है । यह उस समय का है जब हम ऐसे लोग इस विधान सभा के सदस्य नहीं थे और मंत्रिमंडल तो तब से तीसरा काम कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहा है। इतना पुराना पैसा उपमंत्री जी मांग रहे हैं। इससे दो बातों का पता चलता है कि सरकार मार्च के महीने में पैसा लेती है, उसके बाद जुलाई अगस्त में सप्लीमेंटरी बजट आ जाता है, दिसम्बर में फिर सरकार पूरक बजट ले आती है। जो काम एक वर्ष में पूरा करने के लिये पैसा लिया जाता है उसको कई सालों में पूरा किया जाता है और उसमें बराबर पैसा बढाया जाता रहता है। इसमें भी अच्छी खासी रकम मांगी गयी है १६ करोड़ रुपये की। इसमें से ९ करोड़ रुपया ऋण को कम करने के लिये मांगा गया है। जो ऋण हमें वापस मिलना चाहिये था उसको छोड़ा जा रहा है, मालूम नहीं कौन से कारण उसके हैं, मेरे पास इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

परन्तु श्रीमन, ५ साल पहले दिया गया ऋण बाद में छोड़ देना, उसमें कमी कर देना या उसे माफ कर देना ठीक नहीं है। इसमें ९ करोड़ रुपये की कमी की गयी है। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य पर और सिंचाई संबंधी कार्य पर २ करोड़ रुपया की मांग है जो खर्च किया गया है। इस संबंध में आपसे मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों विषय ऐसे हैं जिन पर खर्च करने की आवश्यकता पड़ सकती है और हो सकता है कि उन पर इतना अधिक रुपया बाद में खर्च किया गया हो। परन्तु इतना महत्वपूर्ण विषय सिंचाई का है जिसको सरकार हमेशा प्राथमिकता देती रही है लेकिन इस बजट से यह पता लगता है कि सिंचाई संबंधी जो कार्य सन १९६०-६१ में पूरे हो जाने चाहिये थे वे ५ साल तक नहीं हुए, ५ साल के बाद पूरे हुए, इससे आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना अधिक रुपया खर्च हुआ होगा। निर्माण संबंधी काम का जहां तक संबंध है, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे बिल्डिंग्स का निर्माण हो, वह इसके पहले ही हो जाना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो पुराना खर्च है, आगे के लिये नहीं मांग रहे हैं।

श्री रक्षपाल सिंह---

वह तो ठीक है लेकिन इसका अन्दाजा कैसे लग सकता है कि पहले अगर निर्माण कार्य हो गया रहता तो कितनी रकम लगती और बाद में कितना अधिक खर्चा बढ़ गया है। यह सरकारी नीति है कि इस प्रकार के रुपये को यह सदन हमेशा पास करता है और पास कर भी देना चाहिये क्योंकि सरकार तो पहले ही उस रुपये को खर्च कर चुकी होती है। किन्तु फिर भी इस प्रकार का बजट पास कराने के बाद भी जिस काम को एक या दो साल में पूरा हो जाना चाहिये अगर वह १० साल में पूरा हो तो इस बात का कोई सही अन्दाज नहीं लगा सकता कि एस्टीमेंट के बाद जो रुपया खर्च हुआ है उसमें कितना अनुचित है और कितना उचित है। क्योंकि ५ साल पहले बने हुए एस्टीमेंट आंकड़े में इस बात की आशंका हो सकती है कि बाद में बढ़े हुए खर्च में न मालूम कितना सही है। तो सरकार को चाहिये कि एक दो साल के अन्दर ही जिस काम के लिये रुपया दिया जाय उसे खर्च करके पूरा कर दे। इतने पुराने खर्च को सदन के सामने लाने की जो परम्परा है, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है और सरकार को ऐसा एस्टीमेंट लाना नहीं चाहिये।

यहां पर बहुत चर्चा की गयी लेकिन मैं औरों के बारे में कुछ न कह कर केवल एक बात कहूंगा सुरक्षा के संबंध में। अभी थोड़े दिन पहले अकाल पड़ चुका है, कई जिलों में वर्षा न होने की वजह से तमाम फसलें मारी गयीं। उन तमाम गांवों में सस्ते गल्ले की दूकान खोलने का प्रश्न है, सरकार को चाहिये कि उसके बारे में वह चिन्ता करे वरना प्रत्येक नागरिक के जीवन पर इसका अनुचित प्रभाव हो सकता है। खासकर कानपुर जैसे स्थानों में जहां हजारों की संख्या में मजदूर बेकार रहें और वहां हड़तालें चलती रहें तो यह उचित नहीं है।

किसान वर्ग के ऊपर भी आपको खयाल करना आवश्यक है ताकि वे सेना में भर्ती होकर दुश्मन से लड़ सकें। क्योंकि इस बात की सम्भावना हो सकती है कि कल सिक्योरिटी कौंसिल

[श्री रक्षपालसिंह]

या उसके सेक्रेटरी जेनरल श्री यू० थॉट के कहने पर अमेरिका हमें राशन देना ही बन्द कर दे जैसा कि मिलिटरी एड के संबंध में अमेरिका ने घोषणा की है, आज किसान वर्ग में एक निश्चिन्तता की स्थिति पैदा करनी चाहिये जिससे हमारे प्रदेश के किसान खाद्यान्न पूरा कर सकें, इसके लिये उसे सारी सुविधायें दी जानी चाहिये। माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इस संकट काल में जिसके जिम्मे जो भी काम हो उसे वह समय पर पूरा कर दे तभी इस प्रदेश का शासन चल सकता है और उसमें एक निश्चितता पैदा हो सकती है। और उससे अन्य लोगों में भी बल और शक्ति पैदा हो सकती है। इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं।

श्री झारखंडे राय---

मान्यवर, मौजूदा बजट जो अतिरिक्त अनुदानों के लिये पेश किया गया है वह रांग बर्जटिंग का एक नमूना है। इसकी शिकायत बराबर की गयी कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का अनुमान और योजनाओं के ऊपर कोई पकड़ नहीं है। पहले जो खर्च मांगे जाते हैं उससे अधिक खर्च कर दिया जाता है और वह इतना अधिक खर्च हो जाता है जिसका कोई थोड़ा बहुत अन्तर हो, इससे तालमेल नहीं बैठता। यह जो रांग बर्जटिंग है तथा प्रशासन में ऊपर से नीचे तक जो गड़बड़ियां हैं उसका भी यह अतिरिक्त बजट एक दर्पण है जिसको हम इस शासन में ऊपर से नीचे तक भलीभांति देख सकते हैं। वरना ४ साल पुराना खर्चा जो किया जा चुका है उसे अब सदन के सामने पेश किया जाय, इसका मतलब क्या है। मैं यह नहीं कहता कि पहले इस तरह से बजट नहीं पास होता रहा है लेकिन मेरा कहना है कि जो भी व्यय आप करें उसकी स्वीकृति एक वर्ष अथवा दो वर्ष में हो जानी चाहिये। दूसरे वर्ष भली भांति स्पष्ट हो जाता जाता है कि कितनी आय हुई और कितना व्यय हुआ। किसी विशेष विभाग में किस मद पर कितना खर्चा हुआ पूरा तखमीना २ साल का स्पष्ट होना चाहिये था लेकिन चार चार साल बाद पेश किये जाने का और कोई कारण नहीं है। इसलिये आज की स्थिति में जो देश ने विकास के अपने लक्ष्य बनाये हैं और जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य इस समय विकास के हैं और जो यहां विकास योजनायें चालू हैं ऐसे समय में योजनाओं में इतना असामंजस्य और उनका अनकंट्रोल्ड होना एक घातक प्रभाव का परिचायक है। खर्च में मितव्ययिता भी नहीं होती। ऐसा लगता है कि अधिकारियों और प्रशासन के कर्णधारों को कोई भी चीज जो आती है उसको स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती और यह खयाल नहीं होता कि कैसे किसी खर्च को कम करने की कोशिश की जा सकती है। कोई भी मांग आती है झट मंजूर हो जाती है और ग्रान्ट का खर्च चालू हो जाता है। जरा भी सरकार का ध्यान किफायतशारी की तरफ नहीं है जब कि इस काम के लिये सरकार ने एक कमेटी भी कायम की थी और जिन मुख्य नारों को लेकर गुप्ताजी ने अपनी सरकार बनाई थी कि एकनामी की जायगी लेकिन उनके जमाने में भी किसी चीज में कोई मितव्ययिता दिखाई नहीं पड़ी। मुझे मालूम है कि किसी जमाने में श्री चरण सिंह जी भी वित्त मंत्री रह चुके हैं और इस समय भी वह एक मिनिस्टर हैं लेकिन यह कई साल पहले की बात है जब कि डा० सम्पूर्णानन्द जी यहां मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि यहां १५ से ३० करोड़ तक की बचत हो सकती है। माननीय नवल किशोर जी यहां मौजूद नहीं हैं, वह सरकार के प्रमुख प्रवक्ता हैं और एक समझदार और अध्ययनशील आदमी हैं और जब वह एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन थे तो उन्होंने भी यह बात स्वीकार की थी कि खर्च में ७-८ करोड़ की बचत सूबे में की जा सकती है। लेकिन इन तमाम नारों के बावजूद गुप्ता जी के जमाने में भी बचत का कोई नमूना नहीं पेश हो सका। असिल में यहां नीचे से ऊपर तक अधिकारियों और शासकों में से किसी की प्रवृत्ति ही किफायतशारी की नहीं है बचत तभी हो सकती है कि जब एक-एक पैसे के खर्च पर ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, यह अतिरिक्त अनुदान का बजट इस बात का परिचायक है कि अंग्रेजी के जमाने में के सड़े गले कानून अभी तक लागू हैं, जो रद्दी कूड़े और धूरे पर फेकने वाले थे वह अभी तक यहां चालू हैं। जैसे टेस्ट वर्क के वही नियम अब भी हैं जो बाबा आदम के जमाने में अंग्रेज

बहादुरों ने बनाये थे उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। महंगाई बढ़ गई कीमतें कहीं से कहीं पहुंच गई लेकिन कोई जरूरत नहीं है मजदूरी के रेट या नियमों को बदलने की। इन बजट मेनुअल और फाइनेंशियल रूल्स को रिवाइज करने के लिये एक हाई पावर कमेटी की जरूरत है जो कि देखे आज की जरूरत के हिसाब से उन में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है। वर्ना आज तो वह किसी अजायबघर की लाइब्रेरी में रखने की चीज रह गये हैं। जिस देश में डेवेलपिंग एकनामी चल रही हो, जहां की अर्थ व्यवस्था विकसित हो रही हो वहां यह पुराने नियम और मेनुअल जरूरत के अनुरूप नहीं हैं।

जहां तक कि पुलिस प्रशासन का संबंध है उस के बारे में पांडेय जी ने बहुत कुछ कहा। मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि जब तक श्री हरगोविन्द सिंह के हाथ में यह विभाग रहेगा तब तक कोई कल्याण नहीं हो सकता, कोई विकास नहीं होगा। माननीय चरण सिंह भी उन-के ही दल के आदमी हैं, नागनाथ और सांपनाथ में कोई फर्क मेरे लिये नहीं है लेकिन पुलिस मनोवृत्ति में उनकी जहनियत और मजबूती से एक परिवर्तन हुआ था जब वह इस विभाग के मंत्री थे। जब तक वे इस विभाग के मंत्री थे एक-एक कर्मचारी को और हम लोगों को भी ऐसा महसूस होता था कि कोई ऐसा आदमी ऊपर बैठा है जिसके मजबूत हाथ हैं, जो किसी भी बात को सहन नहीं करेगा लेकिन माननीय हरगोविन्द जी को इस विभाग को देकर कुछ अच्छा काम नहीं किया है। आज यहां इस समय माननीया मुख्य मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं परन्तु मुझे आशा है कि माननीय बंशीधर पांडेय जी, जो यहां पर उपस्थित हैं, हमारी आवाज उन तक अवश्य पहुंचा देंगे कि कम से कम यह विभाग किसी सक्षम आदमी के हाथ में दिया जाय, जिसमें नम्रता हो, धीरज हो। जिस आदमी से यहां पर और उसके दफ्तर में बात करने में भी डर लगता है, उसके हाथ में, विशेषकर इस समय जब कि हमें सिक्योरिटी मेजर्स की विशेष आवश्यकता है, पुलिस विभाग नहीं रहना चाहिये।

आखिर में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैंने इस बजट को देखा कि शायद जेल के बारे में भी कुछ हो। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। आज हमारे प्रदेश में ७५–८० आदमी नजरबन्द किये गये हैं। वे वे लोग हैं जिन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर अलग अपनी एक पार्टी बनायी थी। वे लोग ३१ दिसम्बर से गिरफ्तार किये गये थे और वे नजरबन्द हैं। हाई कोर्ट के, कुछ मामलों में दिये हुए रिट और हेबियत पेटीशन के फैसलों को बाईपास करने के लिये इनको छोड़ दिया गया लेकिन फिर लगभग ५५–६० को पकड़ लिया गया है। उनके बारे में मैंने आज ही तकरीर की और नन्दाजी से अपील की कि मैं उनके पकड़े जाने की डिटेल्स में तो नहीं जाता लेकिन मानवता के (ह्यू मैनिटेरियन ग्राउन्ड्स पर) आधार पर, जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं, उनको रिहा किया जाय जिससे हमारे प्रदेश का जो वातावरण है वह अच्छे ढंग से बदले। इस पर सरकार विचार कर ले कि जब तक वे रिहा नहीं होते, उस समय तक उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिये। हो सकता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं, उन्होंने कुछ अपराध किया हो लेकिन उनके परिवारों ने, उनके बाल बच्चों ने तो कोई अपराध नहीं किया है। उनके बाल बच्चों की स्थिति को बनाना होगा। मैं यह भी चाहता हूं कि उनके बच्चों को फेमली एलाउंस भी मन्जूर किया जाय और खास तौर से उन लोगों के परिवारों को जो उन पर पूरी तरह से आश्रित हैं। एक गाजीपुर के साथी राजनाथ सिंह जो राइवल कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, उनको इसी लखनऊ में १९४२ में जो कान्सपिरेसी हुई थी, उसमें २१ साल की सजा मेरे साथ और सहजनवां–षड़यंत्र में उनको डबल कालापानी की सजा हुई थी। इस वक्त कुछ ही ऐसे लोग, जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में इतना हिस्सा लिया हो, देखने को मिलेंगे जिन्हें डबल कालापानी की सजा हुई थी। उन्हें भी ३१ दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया। यह सरकार के अधिकार की बात है। वे बेचारे कुछ किताबें आदि बेचकर मुश्किल से डेढ़, या ढ़ाई सौ रुपया कमाते थे और इस प्रकार से खर्चा चला लेते थे लेकिन आज बार बार उनकी स्त्री के स्वयं प्रार्थना पत्र पर भी मेरे अनुरोध के बावजूद भी सरकार ने उनको कोई फेमिली एलाउंस नहीं दिया है। एक और

[श्री झारखंडे राय]

व्यक्ति सरकार की नाक के नीचे लखनऊ जिला निवासी लखनऊ जेल में हैं। जिनका नाम श्री जगदीश नारायण त्रिवेदी है। वे यहां के एक साधारण श्रेणी के वकील हैं। वे गिरफ्तार हैं। आज ८ महीने से। वे बेचारे यहां पर मकान लेकर शहर में रहते थे। उनके ७ बच्चे और उनकी धर्मपत्नी रोटी और कपड़े के लिये पूरी तरह से उन पर आश्रित थे। लेकिन आज तक उनके बारे में कुछ नहीं हो रहा है। कोई फेमिली एलाउन्स उनके बाल बच्चों को नहीं दी जा रही है। इसी तरह के बहुत से उदाहरण हैं। इसी प्रकार बहराइच जेल में कामरेड राम हर्ष त्रिपाठी विद्रोही नजर बन्द हैं उनको धर्म पत्नी प्रभावती देवी और उनका छोटा बच्चा दोनों बहराइच अस्पताल में बुरी तरह बीमार महीनों से पड़े हैं बारबार प्रार्थना-पत्र भेजने पर भी उन्हें पैरोल पर नहीं छोड़ा गया। उन की स्त्री का पत्र मेरे पास आया है। मैंने आज मुख्य मंत्री को लिखा है साथ में वह पत्र नत्थी कर दिया है, पत्र उसने रुग्ण शैया पर पड़े लिखा है। मेरी अपील है कम से कम उनको १ महीने की पैरोल पर छोड़ दिया जाय ताकि वे अपने परिवार की व्यवस्था कर सकें और इस प्रकार उनके आश्रितों की रोटी रोजी चल सके।

देवरिया के कामरेड शेर सिंह के बारे में मैंने एक सवाल भी किया था, जो बहुत बुरी तरह से अनेक प्रकार के भयंकर राज रोगों से पीड़ित, जेल में पड़े हुए हैं। जो लोग बीमार हैं उनको कम से कम ह्यूमेनीटेरियन ग्राउन्ड्स पर छोड़ दिया जाय और उनके परिवार वालों को भूखों मरने से बचाया जाय। जो लोग बीमार हैं उनको लम्बे पैरोल पर छोड़ दिया जाय। अभी नजरबन्दों के परिवार वालों को फेमिली अलाउन्स दिया जाय। मुझे मालूम है, जितने नजरबन्द हैं मुश्किल से १० फीसदी लोगों को फेमिली अलाउन्स मन्जूर हुआ है। साथी शिव वर्मा जो अमर शहीद सरदार भगतसिंह के अनन्य साथी रहे हैं, काले पानी की सजा पा चुके हैं, आज वह बन्दी हैं उनको टंग कैंसर हो गया। मैं चाहूंगा कि कम से कम ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात पर ध्यान करेगी और बजटिंग के बुनियादी सिद्धान्तों को बदलने के लिये एक हाई पावर कमीशन नियुक्त करके बजट मैनुअल और फाइनेंशियल रूल्स को बदल करके ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे बजट सीधा सादा और सरल हो और अनुमानों में इतना फर्क न हो।

श्री जयराम वर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के संबंध में माननीय सदस्यों को कुछ म हो गया है। यह अनुपूरक अनुदानों से भिन्न हैं। जबकि अनिवार्यतः अनुपूरक अनुदानों की मांग उन अनुदान के संबंध में होती है जिनकी आवश्यकता चालू वर्ष के भीतर ही प्रतीत होती है और उसी वर्ष के भीतर ही वह मांग प्रस्तुत की जाती है। लेकिन अतिरिक्त अनुदानों की मांग किसी गत वर्ष में व्यवस्थित धनराशि से अधिक खर्च को नियमित करने के लिये होती है। यह अतिरिक्त अनुदानों की मांग है, अनुपूरक अनुदानों की मांग नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर बिल्कुल ठीक ठीक देखा जाय तो किसी भी वर्ष में व्यवस्थित धनराशि से अधिक खर्च करना वित्तीय अनियमितता अवश्य है और उसके लिये सरकार बराबर यह प्रयास करती है कि ऐसी अनियमितता न होने पावे। लेकिन सिद्धान्त की बात दूसरी होती है, व्यवहार में कभी भी यह संभव नहीं हो पाता है और जिस धनराशि की व्यवस्था सदन की मंजूरी से की जाती है कभी कभी जरूरत पड़ने पर उससे ज्यादा खर्च करना पड़ जाता है। यह १९६०-६१ के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग पेश की गयी है। सचमुच उसकी धनराशि बहुत बड़ी मालूम पड़ती है। लेकिन माननीय सदस्यों ने उस तरफ सतर्कता से नहीं देखा है। १६ करोड़ २ लाख की धनराशि की जो अधिक मांग की गयी है उसमें से १५ करोड़ ८८ लाख की धनराशि टेक्निकल प्रकार से कम की है। १३ लाख ५४ हजार का खर्चा वास्तविक खर्चा है और बाकी सब अवास्तविक है। इसमें से ६ करोड़ २८ लाख की धनराशि इस वास्ते खर्चे में अधिक हो गयी है कि हमारा जो बजटिंग का तरीका रहा है उसमें कुछ तबदीली की गयी है। ५९-६० के पहले नेट बजटिंग का तरीका प्रयोग में लाते थे लेकिन ५९-६० से ग्रास

बजटिंग का तरीका प्रयोग में आने लगा। उसके परिणामस्वरूप यह ६ करोड़ २८ लाख का खर्च अधिक दिखाई पड़ता है जो कि वास्तविक नहीं है। उचन्त शीर्षक के अन्तर्गत पहले व्यवस्था यह थी कि साल भर में जो जो विभिन्न प्रकार की खरीद, स्टाक, पेशगियों के लेनदेन का अनुमान होता था और उसके परिणामस्वरूप शुद्ध जमा या नामे का जो अनुमान निकलता था केवल वही धनराशि बजट में रखी जाती थी। अब यह हो गया है कि सस्पेंस हेड में साल भर में जितना अनुमान व्यय का होता है उसको कुल का कुल रख दिया जाता है और पेशगियों अभी से जो पहले से आ चुकी हैं उनसे जो रुपया मिलता है या जो विभिन्न कामों के लिये जितने संक्रम होते हैं उनसे प्राप्त धन को प्राप्ति के हेड में रखा जाता है जिसे खर्चा बढ़ा दिखाई देता है हालांकि परिणाम दोनों का एक ही होता है। इसी कारण चूंकि इस तरीके में जो तब्दीली कर दी गयी है हमारे अधिकारियों ने उस तरीके को अपनाने में गल्ती की थी और ग्राम्स बजटिंग को ठीक नहीं अपनाया था, उनसे भूल हुई और अब जब उसे ठीक किया गया तो ६ लाख २८ हजार की रकम जो वास्तव में खर्चा नहीं है खर्चे में बढ़ती हुई दिखाई दी।

इसी तरह से ६ करोड़ ४१ लाख रुपये का खर्चा जो है वह सचमुच खर्चे में बढ़ता दिखाई दे रहा है लेकिन वह वास्तविक नहीं है। सन् ६०-६१ के मूल बजट में यह व्यवस्था की गयी थी कि भारत सरकार को विकास ऋणों की अदायगी के लिये उचन्त के विनियोग के अन्तर्गत पब्लिक डेट सेक्शन से रुपया अदा किया जाय लेकिन राजस्व की स्थिति सुधर जाने से सरकार ने तय किया कि वह रुपया पब्लिक डेट सेक्शन से अदा न करके राजस्व सेक्शन से अदा किया जाय और परिणाम यह हुआ कि ६ करोड़ ४१ लाख की रकम खर्चे में बढ़ गयी। बजटिंग का जो तरीका है वह यह है कि राजस्व से कोई रकम संक्रम करके अदायगी की जाती है तो राजस्व में उसकी कमी होती है लेकिन साथ ही साथ उचन्त विनियोग का जो पब्लिक डेट सेक्शन है उसके अन्तर्गत उतनी रकम की कमी की जाती है क्योंकि ऋण के संबंध में जो आमदनी होती है उसकी प्रविष्टि पब्लिक डेट में की जाती है तो उसमें जितना कर्ज कम किया गया उसको लिखना जरूरी होता है। इस तरह दोहरी डोकेंटिंग हो जाती है। इसके कारण यह रकम और बढ़ गई यद्यपि वह कोई खर्चा नहीं है, वास्तविक खर्चा नहीं है।

इसी तरह १९६०-६१ में एक अनुदान पेश करके यह व्यवस्था की गई थी कि भारत सरकार के कर्जे की अदायगी की जाय। उस समय एक प्रतीक अनुदान प्रस्तुत किया गया था और माननीय सदन से स्वीकृति ले ली गई थी कि कर्जे की अदायगी के लिये रुपये की व्यवस्था की जाय। हमारी जब स्थिति सुधरी तो तीन करोड़ रुपये की व्यवस्था राजस्व से ट्रांसफर करके की गई। इस तरह से तीन करोड़ रुपया सिंकिंग फंड में ट्रांसफर हुआ। इस तरह से ६ करोड़ २८ लाख ६ करोड़ ४१ लाख और ३ करोड़ रुपया यह वास्तविक खर्चा नहीं है महज अकाउंटिंग में करने की वजह से देखने में आया है।

इसी तरह से रिहन्द डैम प्रोजेक्ट सीमेंट सप्लाई की गई थी उसकी कीमत के संबंध में रिहन्द डैम प्रोजेक्ट को रिबेट मिलना था जो १९ लाख २० हजार रुपये होता था। यह सोचा गया था कि आडिटर जनरल के यहां से ट्रांसफर से उसका इंतजाम हो जायगा। लेकिन वर्ष खत्म होने पर आडीटर जनरल ने कहा कि इसका प्रबन्ध नहीं हो सकेगा, इसलिये इस रकम को देना होगा। इसलिये साल के आखीर में स्वीकृति की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी १९लाख २० हजार रुपये की व्यवस्था करके जो रिबेट देना था वह दे दिया गया। इस तरह से कुल १५ करोड़ ८८ लाख रुपया ऐसा आता है जो टैक्नीकल खर्चा है वास्तविक खर्चा नहीं है। केवल १३ लाख ५४ हजार रुपये का वास्तविक खर्चा है और वह विभिन्न मदों में खर्च हुआ है और थोड़ी थोड़ी रकमें हैं। माननीय सदन को इसके बारे में कि थोड़ी सी रकम किसी विभाग में ज्यादा खर्च हो गई तो आपत्ति की गुंजाइश नहीं है। जैसे रजिस्ट्रेशन विभाग में ज्यादा खर्चा हो गया है। साल के आखीर में देखा गया कि काम बहुत बढ़ गया है। उस समय गुंजाइश नहीं थी कि सदन के सामने अनुपूरक मांग प्रस्तुत की जाय और काम कराना जरूरी था। कुछ कर्मचारी रखे गये और बहुत

[श्री जयराम वर्मा]

से कर्मचारी छुट्टी पर चले गये, उनका छुट्टी वेतन देना पड़ा। इसलिये वेतन का रुपया बढ़ गया। इस तरह से कई विभागों में हुआ। इस रकम के लिये हम सदन की मंजूरी नहीं ले सकते थे। यह मांग तब प्रस्तुत की जाती हैं जब साल का सारा लेखा आडिट हो जाता है आडीटर जनरल के अधिकारी विनियोग लेखे को संकलित कर लेते हैं और वह लोक लेखा समिति के सामने प्रस्तुत होता है, वह मंजूरी दे देती है और सिफारिश करती है कि इसकी स्वीकृति सदन से ली जाय। इस तरह से यह खर्चा आडिट हुआ आडीटर जनरल के अधिकारियों द्वारा संकलित होने पर लोक लेखा समिति ने विचार किया। उसने देखा कि कहीं भूल नहीं हुई है और सारा खर्च ठीक हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है तब उसने सिफारिश की कि इसकी स्वीकृति सदन से ली जाय तो सदन की मंजूरी के लिये यह मांग पेश की गई, इसमें माननीय सदन को कोई शक की गुंजाइश नहीं है। वह तो इस सदन की कमेटी है, कमेटी ने उसको अपनी मंजूरी दे दी है और सिपारिश की है कि माननीय सदन से इसकी स्वीकृति ले ली जाय। इसलिये माननीय सदन के पास आया है। जो यह भ्रम है कि १६ करोड़ २ लाख रुपया ज्यादा खर्च हो गया ६०–६१ में, उसमें केवल १३ लाख ५४ हजार ज्यादा खर्च हुआ है बाकी लगभग १५ करोड़ ८८ लाख रुपये की रकम टेक्निकल खर्चा है। वास्तविक खर्च नहीं है। इस भ्रम निवारण के बाद सदन को कोई आपत्ति नहीं रह जायगी अपनी स्वीकृति देने में क्योंकि उन्होंने जिन धनराशियों की जिन सेवाओं के लिये मंजूरी दे दी है और उन धनराशियों को उन सेवाओं के लिये संहत निधि से निकाल कर प्रयोग में लाया जायगा उसी पर विचार के लिये माननीय सदस्यों से प्रार्थना की गयी है। इन शब्दों के साथ में सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस दृष्टि से विचार करके वह अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, २, ३, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ की बढ़तियों का विनियमन विधेयक, १९६५

३१ मार्च, १९६१ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में कतिपय सेवाओं पर उनके निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धनराशियों से बढ़ती (excess) व्यय हुई धनराशियों की पूर्ति के लिये राज्य की संहत निधि में से धन के विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के निमित्त

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०–६१ की बढ़तियों का विनियमन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

२—उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से अनुसूचित के स्तम्भ ३ में उल्लिखित धनराशियों के, जिनका कुल योग १६,०१,५३,८७२ रुपये (सोलह करोड़ एक लाख तिरपन हजार आठ सौ बहत्तर रुपया) होता है, ऐसे धन की पूर्ति के लिए जो ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुसूची के स्तम्भ २ में उल्लिखित सेवाओं से संबंधित परिव्ययों पर, उन सेवाओं के निमित्त और उस वर्ष के लिए स्वीकृत धन से अधिक व्यय हुआ, दिये और काम में लाये जाने के लिए प्राधिकृत किया गया समझा जायगा। — १९६०–६१ की कतिपय बढ़ती व्यय को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश संहत निधि में से १६,०१,५३,८७२ रुपया का दिया जाना

३—इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश की संहृत निधि में से जिन धनराशियों के लिये और काम में लाये जाने का प्राधिकार दिया गया, समझा गया है, उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा और किया गया समझा जायगा।

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

अनुदान, संख्या	सेवायें और प्रयोजन	बढ़ती: स्वीकृत भाग	बढ़ती: राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
१	२	३	४	५
राजस्व व्यय—		रु०	रु०	रु०
२	भू-राजस्व	३,४३,९३५	..	३,४३,९३५
६	निबन्धन	११,४७८	..	११,४७८
१०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य ..	३८,५६,०४०	..	३८,५६,०४०
१३	सामान्य प्रशासन के संबंध में व्यय	..	१५,३९६	१५,३९६
१६	न्याय प्रशासन ..	२,११,५९०	..	२,११,५९०
३३	खाद्य तथा रसद संगठन ..	६१,४९२	..	६१,४९२
४६	नियोजन तथा समन्वय ..	..	८८८	८८८
	भारित विनियोग (संख्या रहित)— ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..	..	९,४०,७६,००६	९,४०,७६,००६
	योग, राजस्व योग ..	४४,८४,५३५	९,४०,९२,२९०	९,८५,७६,८२५
पूंजी व्यय—				
४७	राजस्व लेखे से बाहर सिंचाई के निर्माण-कार्यों का सम्पादन ..	३,७९,३८,८३५	..	३,७९,३८,८३५
५०	राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर परिव्यय..	२,०९,६७,९९५	..	२,०९,६७,९९५
५१	विद्युत योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	२६,७०,२१७	..	२६,७०,२१७
	योग, पूंजी व्यय ..	६,१५,७७,०४७	..	६,१५,७७,०४७
	बड़ा योग ..	६,६०,६१,५८२	९,४०,९२,२९०	१६,०१,५३,८७२

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, २, ३ ,अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ की बढ़तियों का विनियमन) विधेयक, १९६५ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश पशुरोग विधेयक, १९६५ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९६५ ई० के उत्तर प्रदेश पशुरोग विधेयक को विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति के सुपुर्द किया जाय, जिसमें विधान परिषद् के ८ तथा विधान सभा के १६ सदस्य हों।

विधान सभा के १६ सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :--

१--श्री बलदेव सिंह आर्य, कृषि उपमंत्री
२--श्री बिशनलाल यादव
३--श्री सुरेन्द्र विक्रम
४--श्री दुर्योधन प्रसाद
५--श्री कैलाश
६--श्री गुप्तारसिंह
७--श्री महरामसिंह
८--श्री रघुवीरसिंह
९--श्री इन्द्रासनसिंह
१०--श्री त्रेपनसिंह
११--श्री रक्षपालसिंह
१२--श्री सुखदेवप्रसाद
१३--श्री रघुवीर
१४--श्री चन्दनसिंह
१५--श्री केशरीप्रसाद पांडेय
१६--श्री चिरंजीलाल जाटव

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९६५ ई० के उत्तर प्रदेश पशुरोग विधेयक को विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जिसमें विधान परिषद् के ८ तथा विधान सभा के १६ सदस्य हों। सूची में विधान सभा के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं--

श्री बलदेव सिंह आर्य, कृषि उपमंत्री, श्री बिशन लाल यादव, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री दुर्योधन प्रसाद, श्री कैलाश, श्री गुप्तार सिंह, श्री महराम सिंह, श्री रघुवीर सिंह, श्री इन्द्रासन सिंह, श्री त्रेपनसिंह, श्री रक्षपाल सिंह, श्री सुखदेव प्रसाद श्री रघुवीर, श्री चन्दन सिंह, श्री केशरी प्रसाद, पांडेय श्री चिरंजीलाल जाटव।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

रुड़की विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् द्वारा पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९६५ ई० क रुड़की विश्वविद्यालय विधेयक को उत्तर प्रदेश, विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसमें विधान परिषद् क ८ और विधान सभा के निम्नलिखित १६ सदस्य हों और जो अपना प्रतिवदन सदन के समक्ष तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करें।"

इसमें विधान सभा के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं--श्री ए० सी० ग्राइस, कुमारी श्रद्धादेवी, श्री जे० एन० सिनहा, डाक्टर राजेन्द्र कुमारी, बाजपेईश्री जमीलुर्रहमान किदवई, श्री राममूर्ति 'अंचल', राजा अवधेश प्रताप, श्री सूबेदार सिंह, श्री धर्म सिंह, श्री लाल बहादुर सिंह, श्री शारदानन्द, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री रामकिशोर त्रिपाठी, श्री खेमचन्द और श्री ख्यालीराम।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् द्वारा पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि सन् १९६५ ई० के रुड़की विश्वविद्यालय विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसमें विधान परिषद् के ८ और विधान सभा के १६ सदस्य हों और जो अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करें। विधान सभा के सदस्यों के नामों की सूची इस प्रकार है --

श्री ए० सी० ग्राइस, कु० श्रद्धादेवी, श्री जे० एन० सिनहा, डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई, श्री जमीलुर्रहमान किदवई, श्री राम मूर्ति 'अंचल', राजा अवधेश-प्रताप, श्री सूबेदार सिंह, श्री धर्म सिंह, श्री लाल बहादुर सिंह, श्री शारदानन्द, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री रामकिशोर त्रिपाठी, श्री खेमचन्द, श्री ख्यालीराम।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कानपुर के सूती मिल मजदूरों में निरन्तर बढ़ती हुई अशान्ति से उत्पन्न समस्या के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा--(क्रमागत)†

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

श्रीमन्, कानपुर के अन्तर्गत वहां की म्योर मिल में जो हड़ताल चल रही है, जिसका आज तीसवां या इकतीसवां दिन है, उसके सम्बन्ध में तथा वहां पर जो अन्य मिलें हैं जिनके वहां पर बन्दी की संभावना है और हजारों मजदूरों के सम्बन्ध में, उनके सामने जो भुखमरी और बेकारी की समस्या पैदा हो गयी है, बोलते हुये थोड़े में मैंने उस दिन उल्लेख किया था। आज फिर उसी बात को न दोहरा कर यह कहना चाहता हूं कि आज तो केवल एक ही मिल बन्द है किन्तु और भी मिलें बन्द हो सकती हैं और इस का क्या दुष्परिणाम हो सकता है उस की ओर भी म आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं और इसका जिक्र उस दिन भी मैंने किया था। उसी में मैंने संकेत किया था। दूसरी बात यह म्योर मिल क्यों बन्द हुई और उसका क्या परिणाम है, इसको न दोहरा कर इतना ही कहना चाहूंगा कि कानपुर के इस औद्योगिक नगर में साढ़े छः हजार मजदूर आज बेकार हैं और पिछले एक महीने से वे बेकार हैं। आज न तो सरकार उनको फिर से काम पर लगा सकने में समर्थ है और न मिल मालिक कुछ उनके लिये कर रहे हैं। सारे नगर के अन्दर साढ़े छः हजार मजदूरों के बेकार होने के कारण सब उद्योग क्षेत्र में एक बड़ा ही विशद वातावरण व्याप्त हो गया है। आज यह भी स्थिति है कि प्रदेश के अमुक मजदूर संगठनों के अनेक प्रयत्नों के बाद भी न मिल मालिक सुनने के लिये तैयार हैं और न सरकार ही हस्तक्षेप करके इस समस्या को सुलझाने के लिये अग्रसर हो रही है। ऐसी स्थिति में जब कि देश पर संकट हो और जब हमारी सेनायें बाहर लड़ रही हों, देश में उत्पादन की कमी हो तो सरकार को इस मिल को जल्दी से जल्दी चालू करने के लिये कंट्रोलर बैठाना चाहिये। सरकार ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली सरकार को लिखा है और जांच होने के बाद व्यवस्था की जायगी। परन्तु आज की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि इसमें देर की जायं। आवश्यकता है कि मजदूरों को काम पर लगाया जाय और सरकार मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में ले। मजदूर तो यहां तक तैयार हैं कि जुलाई और अगस्त का वेतन उन्हें दे दिया जाय लकिन वह वेतन भी उनको नहीं दिया गया और उनके सामने आज भुखमरी की समस्या है। प्राविडेंट फंड से ही कुछ पैसा देने की बात भी उठाई जा रही है। लेकिन जो कुछ करना है जल्द से जल्द कीजिये ताकि उन की भुखमरी की समस्या समाप्त हो सके।

जहां तक सूती मिलों में सम्पूर्णानन्द ऐवार्ड लागू होने की बात है वह ८० प्रतिशत अभी तक जो बात मजदूरों के हितों की हैं उसके लिये लागू नहीं हो पाया है और हालत यह है कि कुछ मिलों में उस पर बिलकुल, ध्यान ही नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में हालत विस्फोटक हो सकती है। इसलिये यह आवश्यक है कि मिल मालिकों का एक प्रतिनिधि,उस क्षेत्र में काम करने वाली यूनियन का एक, प्रतिनिधि और सरकार का एक अधिकारी बैठ कर विचार करें कि कैसे इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। हड़ताल को समाप्त करने के लिये, मजदूरों की बेकारी और भुखमरी की समस्या को समाप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि इस को सुलझाया जाय और अगर आवश्यकता पड़े तो मिल मालिकों के खिलाफ डी० आई० आर० का भी प्रयोग किया जाय और उस के प्रयोग में तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिये। औद्योगिक नगरी कानपुर में शान्ति व्यवस्था कायम रहे इसके लिये आवश्यक है कि सरकार इसे अपने हाथ में लेकर वहां कंट्रोलर बैठावे। अन्य मिलों में भी समस्या को हल करने के लिये सरकार को सक्रिय कदम उठाना चाहिये।

(इस समय २ बजकर २७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए।)

---

†९ सितम्बर की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, म्योर मिल के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत कई दिनों से चर्चा चल रही है। लेकिन मुझे खेद है कि जब इतने हजार मजदूर हड़ताल पर हैं.....

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विषय पर कितने समय के लिये विवाद निश्चित है?

श्री अधिष्ठाता--

एक घंटा चलेगा। १ घंटे विवाद हो चुका है।

*श्री एस० जी० दत्त--

म्योर मिल कानपुर में बड़ी मिल है और उसकी दो तिहाई मजदूरों की संख्या मेरे क्षेत्र में रहती है और मजदूरों के घरों में आज खाने को नहीं है। मान्यवर, म्योर मिल के मालिकों ने लेबर कमिश्नर से कहा कि हमारे पास मिल को चलाने के वास्ते पैसा नहीं है। इस वास्ते आप सरकार से इस्तदुआ कीजिये कि वह २० लाख रुपया हमको दे। जब यह नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ मजदूर नेतागण के साथ साजबाज कर के मिल को बन्द किया। मैंने इसलिये उस दिन कहा था कि मैं इसका भंडा फोड़ूंगा, क्योंकि मजदूर नेता अपने को अगर मजदूर नेता कहते हैं और वही अगर मजदूरों का नुक्सान कराये और मिल मालिकों का साथ दें तो वह मजदूर नेता नहीं हो सकता है, उसको भेड़ के लिबास में भेड़िया कहा जा सकता है। कायदा यह है कि अगर मिल मालिक मिल बन्द करे तो उसको १५ दिन की मजदूरी देनी पड़ेगी लेकिन अगर मजदूर हड़ताल करे तो फिर कोई मजदूरी नहीं है। मालिकों ने अपने आप को बचाने के लिये वहां के कुछ लेबर नेताओं से सांठ गांठ करके मजदूरों से हड़ताल करा दी जिसका नतीजा यह हुआ कि मजदूर बेचारे बेकार हैं। मजदूरों के बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं हमारे लेबर मिनिस्टर ने २७ अगस्त को कौंसिल हाउस में और ३ सितम्बर को असेम्बली में यह बयान दिया था कि मालिकों ने १९६३ में वाइन्डर के काम में हेरफेर किया, वर्क लोड बढाया। मैं आप से बतलाना चाहता हूं कि सम्पूर्णानन्द एवार्ड जो सितम्बर, १९६२ में हुआ उसके सफा १८३ में यह है कि कोई भी टैक्सटाइल मिल किसी मजदूर के वर्क लोड को नहीं बढ़ायेगा, मशीन नहीं बदलेगा बिना इजाजत लेबर एडवाइजरी कमेटी के। यह सम्पूर्णानन्द एवार्ड में है। लेबर कमिश्नर ने कहा १९६३ में मिल मालिक ने यह वर्क लोड बढ़ाया, वाइन्डर डिपार्टमट में हेरफेर किया है। तो मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि सम्पूर्णानन्द एवार्ड को लागू करने की किसकी जिम्मेदारी है। सरकार उस की निगहबान है। अगर कोई मिल मालिक उसको लागू नहीं करता है तो सरकार का यह फर्ज अव्वलीन है कि मिल मालिक के खिलाफ कार्यवाही करे। जब सन १९६२ में सम्पूर्णानन्द एवार्ड लागू हो चुका और १९६३ में लेबर मिनिस्टर के बयान के मुताबिक इन्होंने वाइंडर डिपार्टमेंट में म्योर मिल में हेरफेर की है तो लेबर कमिश्नर और सरकार ने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? ऐसा मालूम होता है कि यह जो हड़ताल हुई है मिलमालिक की सिम्पेथी में हमारे मजदूर नेतागण और मिल-मालिक और सरकार सब की कांस्प्रेसी से यह मिल बन्द हुआ है। सम्पूर्णानन्द एवार्ड के तहत में लेबर सुपरवाइजरी कमेटी मुकर्रर हुई जिसके मेम्बर हमारे दोस्त युसुफ साहब हैं, सूरजप्रसाद अवस्थी, एम० एल० सी० और प्रभाकर त्रिपाठी हैं। ये तीनों नेता वहां पर थे। इन लोगों को मालूम था कि मिल मालिक मिल बन्द करने वाले हैं मिलमालिकों ने उन को बुलाया, सलाह मशविरा किया। इन लोगों में कांस्प्रेसी हुई और इन्होंने ही हड़ताल करवा दी इसलिये कि अगर मिल अपने आप बन्द होती तो आधी मजदूरी उनको मिलती।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मैं यह व्यवस्था चाहूंगा कि समय केवल इसके लिये एक घंटे का है। इसलिये अच्छा होगा कि आप समय बांध दें।

श्री अधिष्ठाता--

मैं चाहूंगा कि दत्ता जी शीघ्र समाप्त करें। उस के बाद यह संभव होगा।

श्री एस० जी० दत्त--

मुझे श्रीमन्, केवल दस मिनट का समय और चाहिये। मुझे और कुछ भी कहना है। मैंने आज मुख्य मंत्री जी से बात की थी। उन्होंने कहा है कि और इजाजत दे दी है कि म्योर मिल को २० लाख रुपया दे दिया जाय उधार। तो यह मिल बहुत जल्द खुल जानी चाहिये, लेकिन इसके बाद जब मिल खुलती है तो मैं आप से यह इल्तजा करूंगा कि जो मजदूर हड़ताल पर रहे हैं उनकी छटनी न की जाय। दूसरे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो १९६० के लेबर ला जरनल वाल्यूम नं० १, पेज ५८० पर दिया हुआ है। यह नार्थ ग्रुप जूट कंपनी लिमिटेड आफ कलकत्ता के खिलाफ है। यही दशा इस मिल में भी थी। मिल मालिकों ने मजदूरों पर इंक्रीज्ड लेबर लोड दिया। मजदूर उसे चाहते नहीं थे। मालिकों ने कहा कि हमें वर्क लोड इंक्रीज कर लेने दो और फिर चाहे तो तुम लोग कोर्ट में जाओ। मजदूर माने नहीं और कोर्ट में चले गये। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मजदूरों को अनएप्रूव्ड रेशनलाइजेशन नहीं मानना और बढ़े हुये काम से इनकार करना यह न गो स्लो है और न हड़ताल है क्योंकि मालिक ऐसा हुक्म देने के कोई कानूनी हकदार नहीं हैं। यह चीज यहां भी लागू होनी चाहिये। म्योर मिल में जो वाइन्डर डिपार्टमेंट में वर्क लोड बढ़ाया गया उस की बात लेबर कमिश्नर तक गयी। यह ठीक है कि मजदूरों ने हड़ताल कर दी...

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

श्रीमन, सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी।)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर--)--

श्रीमन, यह दो घंटे का विवाद है और इस में कोरम की आवश्यकता नहीं होती।

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्य की सूचना के लिये बता दूं कि इस पर एक घंटा विवाद हो चुका है और अब केवल एक घंटा बाकी है। दूसरे विवाद चाहे नियम ५२ का हो अथवा नियम ५३ का, कोरम की आवश्यकता सब जगह है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री एस० जी० दत्त--

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि मिल मालिकों ने जब वर्क लोड बढ़ाया तब मजदूर अदालत में गये और अदालत ने यह फैसला दिया। उसके तहत में म्योर मिल के मालिक वाइंडरों का वर्कलोड नहीं बढ़ा सकते। अगर सन् १९५८ में २० मजदूरों की अपील के संबंध में जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ वह सन् १९५४ के फैसले को रद्द नहीं करता है वह वहीं मौजूद है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि लेबर कमिश्नर कैसे बैठा रखा है? यह लेबर कमिश्नर मिल मालिकों की मदद के लिये है या मजदूरों की मदद के लिये है। या तो उसका नाम लेबर कमिश्नर के बजाय मिल-मालिक कमिश्नर कर दीजिये तो ठीक है। मजदूर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत में अगर अपने वर्कलोड का काम नहीं करना चाहता, उसने इन्कार किया है तो वह हड़ताल नहीं हुई और आधी मजदूरी कानूनन उसको जरूर दिलवाई जाय, मिल-मालिक से।

में किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मौलाना यूसुफ के आदमी कह रहे हैं कि उन्होंने गो-स्लो वर्क किया, वर्कलोड से इन्कार नहीं था इसलिए उनको कुछ नहीं मिलेगा। मौलाना बैठे हैं, अगर यह गलत है तो तरदीद कर दें कि यह गो-स्लो नहीं हड़ताल थी। इसलिए सरकार को मिल मालिकों को मजबूर करना चाहिए और जितने दिन हड़ताल रही है उतने दिन की आधी मजदूरी उनसे दिलवाये।

श्री अधिष्ठाता--

बोलने वाले ज्यादा हैं, समय कम है इसलिए मैं समय निर्धारित करता हूं कि ७ मिनट और १० मिनट विशेष परिस्थिति में रहेगा। श्री संतसिंह यूसुफ, आप १० मिनट बोल लीजिये।

*श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस म्योर मिल के झगड़े में दो मुख्य चीजें हैं। एक तो मिल-मालिकों का मिस्मैनेजमेंट है और दूसरी उन की करप्ट प्रैक्टिस है। इन्हीं दो चीजों ने मिल की हालत खराब की है। आज से नहीं, ६ महीने से यह गड़बड़ी चल रही है। २-३ बार असेम्बली में सवाल हो चुके हैं। इस मिल ने गरीब मजदूरों को १,८०,००० रुपया नहीं दिया। कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। एरियर नहीं दिये, सरकार के ड्यूज नहीं दिये। उन को रिअलाइज करने के लिए सरकार ने उन के माल-गोदाम पर ताला डाल दिया। वह कहते हैं कि ८६ लाख रुपया प्राफिट हुआ और एक करोड़ हमने कर्जा लिया। इस मिल का तो एक-एक पुरजा बैंक में गिरवी पड़ा है, इसलिये यह हालत हुई है। मालिकों ने सरकार पर दबाव डालने के लिये नोटिस दिया लेबर डिपार्टमेंट को कि हम ३० तारीख से मिल बन्द कर देंगे। उसी दौरान में वर्कलोड वाला झगड़ा खड़ा हो गया। उनका मेम्बर भी तो सुपरवाइजरी कमेटी में था, वहां यह मामला लाना चाहिए था।

बहुत गैर-जिम्मेवार आदमी अगर कोई असेम्बली में है तो यह दत्ता साहब हैं....

श्री अधिष्ठाता--

यूसुफ साहब, किसी को गैरजिम्मेवार कहना शोभा नहीं देता है, यह असंसदीय है। (व्यवधान) आप इसे वापस ले लें।

श्री एस० जी० दत्त--

यह हारा हुआ है मुझसे, इसलिये यह ऐसी बात करता है .... (व्यवधान)

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

सुपरवाइजरी कमेटी में किसी को इसे लाना चाहिये था। यह क्या जाने मजदूरों की बात। मिल मालिक बन्द करना चाहते थे, इसलिये उन्होंने यह सब किया। इस झगड़े का तो उनको एक बहाना मिल गया। वह खुद बन्द करना चाहते थे लेकिन चूंकि बन्द जमाने का उनको पैसा न देना पड़े, उनको यह बहाना मिल गया। दूसरे वे इस बात से यह प्रेशर सरकार पर डालना चाहते हैं कि कुछ पैसा सरकार से इसी बहाने मिल जाये।

श्री एस० जी० दत्त--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो सुपरवाइजरी लेबर कमेटी है उसके मौलाना यूसुफ साहब मेम्बर हैं। १० मेम्बर और हैं। क्या वे इसको नहीं ला सकते थे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री प्रेमसिंह—

यूसुफ साहब ने जो गैरजिम्मेदार शब्द कहा है। उसे उन्हें वापस लेना चाहिये था ?

श्री अधिष्ठाता—

मैंने कह दिया वह असंसदीय है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

सुपरवाइजरी कमेटी में दो कांग्रेस के भी मेम्बर हैं। लेबर कमिश्नर को चाहिये था कि वे कमेटी को बुलाते। फिर उसके बाद यह प्रश्न उसमें लाया जाता।

इस समय मेरी दो प्रार्थनायें हैं। पहली तो यह कि मिल मालिक जो यह प्रेशर डाल रहे हैं कि उनको २०–२५ लाख रुपया मिल जाय वह नहीं मिलना चाहिये। म्योर मिल के लोगों का एक डेपुटेशन उनसे मिला भी था। एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने की बात है। मैं चाहता हूं कि सरकार अपना एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर बिठाये। दूसरी प्रार्थना यह है कि सरकार को उसे डी० आर० आई० में लेकर उस मिल को चलाना चाहिये। यह डी० आई० आर० किस काम आयेगा ? अगर सरकार ने रुपया दिया तो झगड़ा और बढ़ जायेगा। अगर सरकार ने रुपया दिया तो मजदूरों का दो साल का बोनस खटाई में पड़ जायेगा। हर साल मिल मालिक प्राफिट कमा रहे हैं। उसका इलाज यही है कि सरकार अपना एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करे। रुपया हरगिज न दें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मैं पहिले चाहता हूं कि जो मूल प्रश्न है यह इस सदन के सामने आ जाय कि प्रश्न क्या है ? श्रीमन्, मूल प्रश्न है वर्कलोड का और वर्कलोड के बारे में सन् ६४ में फैसला हुआ था, एक अवार्ड हुआ था। उसमें यह था कि जो वाईन्डर्स हैं वे ५४ पाउन्ड सूत प्रतिदिन लपेटेंगे। श्रीमन्, आज वे मजदूर १२५ पाउन्ड सूत लपेट रहे हैं। मजदूरों ने यह मांग की कि जब वर्कलोड ५४ पाउन्ड रहा और आज जबकि वे १२५ पाउन्ड लपेट रहे हैं तो इसके मुताबिक या तो हमारी तनख्वाह में बढ़ोत्तरी की जाय या ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे हम इसका मुआवजा पा सकें। असली सवाल यह है और इस सवाल के ऊपर ८ जुलाई को मजदूरों ने मिल मालिकान को नोटिस दिया कि अगर आप बीस दिन के अन्दर इस बात का फैसला नहीं कर देते हैं तो हम २९ तारीख को रिवर्ट टु कान्ट्रेक्ट हो जायंगे यानी सन् ५४ में जो सूत लपेटा जाता था हम उसी पर चले जायंगे। मिल मालिकान ने इस बात को नहीं माना इसलिये मजदूर अपने फैसले के मुताबिक काम करने लगे। इससे दो परिस्थितियां पैदा हुईं। एक तरफ यह हुआ कि मजदूरों ने मिल मालिकान से कहा कि हम ऐसी प्रोजीशन में नहीं कि हम मजदूरों के फैसले के विरुद्ध जायं। इसलिये लाक आउट मिल में हो गया। अब सवाल यह है कि यह गो स्लो जो किया गया क्या वह कानून के अन्दर है ? दूसरा प्रश्न यह है कि श्रम मंत्री ने तीन सितम्बर को अपना बयान दिया कि मजदूर और मिल मालिकान में फैसला हो गया है। वर्क लोड के सम्बन्ध में ? तो प्रश्न है कि क्या सम्पूर्णानन्द एवार्ड के ७५ से ७८ पैरा को पढ़ा जाय तो उसमें इसकी साफ तौर से व्यवस्था है कि अगर मिल मालिकान कोई राशनेलाईजेशन करना चाहते हैं मैनुअल या नान मैनुअल के बारे में तो वे नहीं कर सकते हैं ? इस मामले को सुपर वाइजरी कमेटी कर सकती है। श्रीमन् मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस समय वाईन्डर्स के रेशनलाईजेशन के बारे

में कोई स्कीम मिल मालिकान ने नहीं रक्खी चुनाचें सम्पूर्णानन्द ने यह व्यवस्था कर दी कि चूंकि मिल मालिकान और मजदूरों ने इस तरह का कोई प्राविधान वाईन्डर्स के रैशनलाईजेशन के बारे में नहीं रक्खा इसलिये जब वर्कलोड का मामला आयेगा तो सेक्शन ३ के अनुसार बनाई हुई सुपरवाईजरी कमेटी, जिसका लीगल कोर्स एवार्ड की तरह है, लीगल कमेटी होगी और वह फैक्ट्स के ऊपर डिसाइड करेगी । अतः वर्क लोड घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है । इसके मुताबिक जब यह स्थिति पैदा हुई तो इस स्थिति के मुताबिक मिल मालिकान ने जो कदम उठाये वह यही कि लाक आउट कर दिया । माननीय मंत्री ने बयान दिया कि एक समझौता हो गया है। मैं कहता हूं कि सम्पूर्णानन्द जी का यह एवार्ड मिल मालिकान को या सरकार को बन्धित करता है कि वह कोई भी रेशनलाईजेशन नहीं कर सकती, कोई भी वर्कलोड किसी मजदूर का सन् ५४ के खिलाफ नहीं बढ़ा घटा सकती जब तक कि सुपरवाईजरी कमेटी उस पर कोई फैसला नहीं कर देती । और आज सवाल यह हो गया है, सुपरवाइजरी कमेटी के सदस्य माननीय यूसुफ जी मजदूर नेता हैं और मजदूरों के बहुत बड़े हिमायती भी हैं, हम समझ सकते थे अगर संत-सिंह यूसुफ उस मामले को एडवाइजरी कमटी में लाकर के उसको डिस्क्स किये होते, मजदूरों की मांग को प्रेस किये होते, और सन् ५४ के फैसले के मुताबिक जो मजदूरों का वर्कलोड बढ़ गया है, उसको कम कराते, या कम्पेनसेशन दिलवाते । यह सब काम उनको एक मजदूर नेता की हैसियत से करना चाहिए था । लेकिन वहां चाहें कांग्रेस के सदस्य हों, चाहे संतसिंह युसूफ हों, चाहे कोई और हों, उन्होंने यह नहीं किया ? क्यों नहीं किया ? क्या बीच में बारीकी पड़ गई ? यह मजदूर, उनके नेता और सुपरवाइजरी कमेटी के मेम्बरान जान सकते हैं । लेकिन स्थिति यह है कि उसके बाद अब हो क्या रहा है ? सम्पूर्णानन्द एवार्ड के मुताबिक कोई भी वर्कलोड रिवाइज नहीं किया जा सकता है सुपरवाइजरी कमेटी की परमीशन के बिना, मिल मालिकों को क्या हक है इल्लीगल लाक आइट का बहाना बनाकर यह कहने का कि यह तो मजदूरों की गलती है इसलिए मजदूरों की छंटनी कर देनी चाहिए ? इस एवार्ड के द्वारा कुछ रेस्ट्रिकशन्स भी इम्पोज किये गये हैं । पैरा १८३ में लिखा हुआ है इसका सारांश है कि—

"Without the permission of the Supervisory Committee, Work load could not be revised."

वर्कलोड रिवाइज नहीं किया जा सकता पैरा १८३ के मुताबिक बिना सुपरवाइजरी कमेटी को परमीशन के और १८६ में लिखा हुआ है सारांश यह है कि—

"The primary responsibility of the Government is to implement the award."

गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि एवार्ड को इम्प्लीमेंट करें । मिल मालिक तो बहाना कर गये कि हम तो बड़े कर्जदार हो गये हैं । पदमपतिसिंहानियां साहब एक नये फैसले के साथ आये और उन्होंने कहा कि जब तक हमको ३० लाख रुपया नहीं दिया जाता तब तक हम इस मामले को अब आगे नहीं बढ़ा सकते । और उसके बाद श्रीमन्, गो स्लो का नतीजा क्या हुआ कि १५ हजार रुपया फी दिन के हिसाब से मजदूरों की तनख्वाह से कटने लगा । इस गो स्लो की जिम्मे-दारी अगर किसी पर है तो मिल मालिकान के ऊपर है और सरकार के ऊपर है इसलिए कि वे सम्पूर्णानन्द एवार्डको इम्पलीमेंट नहीं करा सकें और कोई भी फैसला या एवार्ड जो मिल मालिकान और मजदूरों के बीच में हुआ वह सम्पूर्णानन्द एवार्ड के खिलाफ हुआ ? और अगर सम्पूर्णानन्द एवार्ड के खिलाफ हुआ तो उसकी जांच होनी चाहिए ? इस सम्बन्ध में मैं सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग का एसेंस भी सुना देना चाहता हूं । केस है नार्थ ग्रुप जूट कम्पनी १९६०—कलकत्ता—एल०एल०जे० वाल्यूम १, पेज ५८० । उसमें दिया है :—

"The Supreme Court has held that refusal of the workmen to do the additional workload of unapproved rationalisation scheme does not constitute go slow or strike."

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

मेरा कहना यह है कि यह गो स्लो और स्ट्राइक जो हुआ और यह जो इल्लीगल लाक आउट करके इतना नुकसान किया गया, अगर सरकार अपनी जिम्मेदारियों को समझती, सुपरवाइजरी कमेटी के लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते तो देश का इतना बड़ा नुकसान न होता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कानून के नाम पर कायदे के नाम पर इन्टरवीन कीजिए इल्लीगलिटी को दूर कीजिए। मैंने एसेन्स आपको बतला दिया, यही है सारा मसला। यदि मालिकान न माने तो एथराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त किया जाय।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय नरसिंहनारायण पाँडेय का व्यक्तिगत रूप से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कामरेड यूसुफ और दत्त साहब के बोलने के बाद उग्रसेन का भार बहुत हलका कर दिया। यह बड़ी दर्दनाक बात है यह जो सम्पूर्णानन्द एवार्ड और कानपुर के मजदूरों का किस्सा है यह उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर बड़ा भारी कलंक है। सम्पूर्णानन्द जी अभी हैं, राजस्थान के महामहिम हैं। उस हथियार और उस तोप पर सम्पूर्णानन्द जी का नाम लिख दिया गया। और उसी तोप से हमें माननीय बनारसीदास जी की सरकार उड़ा रही है। तो हमें बड़ा दुख होता है। मैं तो उन दिनों भी कहा करता था कि आप, मुख्य मंत्री जी, प्रोफेसर हैं, आप एवार्ड इत्यादि के झगड़े में कहां पड़ गये इन मिल मालिकों को चाहिये कि जरा बुद्धि से काम लें और देश के हित और अहित का इस समय तो कुछ ख्याल करें। नरसिंहनारायण पांडेय जी हमारे नेता हैं। बिन्द वासिनी प्रसाद की कमेटी बैठी थी। सन् ४७ में मिलों के अभिनवीकरण की झलक मुझे मिली। नरसू मिल में जो सिंहानिया की है, हड़ताल हुई। नन्दा जी उस समय बम्बई में मंत्री थे। एक प्रतापगढ़ के नन्द सिंह जी थे। उन्होंने उनसे कहा कि ५० सौ टन की गाड़ी चलती है और अगर वह मैरीन ड्राइव की सड़क पर चलने लगे तो सड़क टूट जाय। हम एक बाजू चलाते है, और नन्दा जी ने कहा कि डबल बाजू नहीं चलेगा। बड़ी-बड़ी हड़तालें इसमें हुईं। यह सही है, बिलकुल सही है, कि अगर सम्पूर्णानन्द एवार्ड का निफाज हुआ तो मिल मालिकों ने अपने लिये किया। चूंकि यह मिल मालिकों की चेरी सरकार है, इसलिये इसने मजदूरों के हित का कभी ख्याल नहीं किया। अगर मेरी ताकत होती तो इनको उधर से उठाकर इधर फेंक देता।

मैं कानपुर के मजदूर नेता से कहना चाहता हूं और उन मजदूरों से कहना चाहता हूं हम जानते हैं कि आज एमर्जेन्सी है, मगर जब तक मजदूर हड़ताल करके मिल मालिकों को मजबूर नहीं कर देंगे तब तक उनकी मांगें कभी भी मिल नहीं सकती हैं। नरसिंहनारायण पांडेय, आपने ७५, ७६ कहा। म्योर मिल में स्कीम बनाकर दी और सम्पूर्णानन्द अवार्ड में लिखा है कि चूंकि आपने विवरण पूरा नहीं दिया इसलिये हम इस पर कोई ख्याल नहीं करते हैं। ७६–७७ सब हो गया। उन पर जांच भी नहीं हुई। फिर उन पर वर्क लोड बढ़ा दिया गया। कायदा है कि जब ट्रिब्युनल का फैसला उनके बारे में हो चुका है और इंडास्ट्रियल डिसप्यूटस् ऐक्ट की धारा ४ (ई) में नोटिस आफ चेंज नहीं दिया जाय तब तक मिल मालिकों को चेंज करने का अधिकार नहीं है। क्या म्योर मिल के मालिकों ने धारा ४(ई) में कोई नोटिस दिया? नहीं दिया। तब यह क्यों कहते हैं कि बदलते हैं? सुपरवाइजरी कमेटी को कहा कि ३० तारीख से मिल मालिकान मिल बन्द कर देंगे। यह कामरेड यूसुफ ने कहा और २९ तारीख को उनके पास एक नोटिस पहुंच गयी। हमने मिल मालिकान को जब नोटिस दिया तो उसकी एक कापी लेबर कमिश्नर को भेजी। जब समाजवादी मजदूर सभा और सूती मिल मजदूर सभा ने नोटिस दिया तो कंसिलिएशन बोर्ड क्यों नहीं बना और अगर नहीं बना तो क्यों नहीं उसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हस्तक्षेप किया ? मगर यह सरकार तो मिलमालिकों की चेरी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर मजदूर गैर कानूनी लादे हुए काम से इनकार करता है तो कोई गलती नहीं करता है। मंत्री जी कुछ नहीं कर सके। मुझे एक शेर याद आता है। बागबां ने एक नया सितम ईजाद किया, आशियां फूंक कर पानी को याद किया। बाबू बनारसीदास जी आशियां फूंक कर पानी को मत याद कीजिये। ये कांग्रेस के लोग सिंहानिया से सांठ-गांठ करके चन्दा लेंगे। सुपरवाइजरी कमेटी क्या है ? मैंने दादा बाजपेयी से भी पूछा। वह सूती मिल के मजदूरों में हैसियत रखते हैं। मदन पांडे से हमने पूछा कि क्यों भाई, तुम भी तो बिन्दवासनी कमेटी के मेम्बर थे, फिर क्यों नहीं न्याय हुआ ? दादा बाजपेयी से पूछा। जवाब मिला कि यह तो वह लांच बाडी है कि जिस पर चढ़े बिना इंडिया गेट के जहाज पर नहीं चढ़ सकते हैं। कानपुर के सूती मिल मजदूरों को जो तकलीफ हुई है उसकी जिम्मेदारी है इस सरकार की। मैं कोई लम्बा चौड़ा भाषण नहीं करना चाहता हूं। मगर मैं फिर पूछना चाहता हूं कि लेबर डिपार्टमेंट ने क्या किया। लेबर डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से हमारी बात हुई। वह कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसा यूसुफ साहब ने कहा, बन्द कीजिए इन मिल वालों को डी० आई० आर० में। जे० के० जूट मिल ने भी लाखों रुपया मजदूरों को नहीं दिया। अगर हम उनके नेता होते तो ठीक कर देते। हमने बम्बई में हड़ताल कराई और सब कुछ ठीक करा दिया। मजदूरों का दिमाग कमजोर करके, माननीय सुचेता जी, अगर ये मिल मालिकान हमको दबाना चाहेंगे, मजदूरों के संगठन कमजोर करने को सोचेंगे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम म्योर मिल को ठीक करेंगे। माननीय सुचेता जी, आज म्योर मिल का मजदूर ३१ दिन से भूखा है, उसके बच्चे भूखे हैं, आप तुरन्त काम चालू कराइये। डी० आई० आर० में उत्तर प्रदेश की सारी सूती मिलों का राष्ट्रीयकरण कीजिये। इन्होंने कितना कमाया है, यह हम जानते हैं, इनकी फर्जी बहियां हम जानते हैं।

श्री जे पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

मान्यवर....

श्री अधिष्ठाता--

इनके बाद श्री ग्राइस बोलेंगे।

श्री जे० पी० मिश्र--

मुझे ज्यादा बातें नहीं कहनी हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में किसी कारखाने को बन्द रखना, हजारों मजदूरों को जिनसे देश को शक्ति मिलती है, बेरोजगार छोड़ देना और उनकी रोटी रोजी का प्रबन्ध न करना--मैं कोई कड़े शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं मगर मैं प्रार्थना करूंगा सरकार से कि उन हजारों मजदूरों को काम दे और रोटी दे। मिल मालिक मिल को नहीं चलाता है तो सरकार उसे खुद चलाने का प्रबन्ध करे। यह समय की मांग है। देश और प्रदेश आज यही चाहता है, इस विधान सभा के कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी सदस्य यही चाहते हैं कि बजाय बन्द रखने के इन मिलों का, २४ घंटे चलना उत्पादन के लिये अत्यन्त आवश्यक है। हमारी सरकार प्रतिज्ञाबद्ध है, कल ही हमने प्रस्ताव पास किया है कि जितनी सैनिक शक्ति, उत्पादन और अन्न बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ावें। मुझे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि यह म्योर मिल बन्द रहे और इस युग में। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आज वह मिलों को खुद चलाया, मिल मालिकों को उनके खोलने के लिये पाबंद करे। हजारों मजदूरों को रोटी-रोजी दिला कर आपको प्रदेश की जनता के मनोबल को ऊंचा करना है।

माननीय उग्रसेन जी ने कुछ चंदे आदि की बात भी कही, तो यह तो उनके भाषण देने का एक तरीका ही हो गया है। सरकार इस मिल को २४ घंटे के लिये खुलवाये और उत्पादन को बढ़ाये। गरीब मजदूर भूखे मर रहे हैं उनको बेकार न रहने दिया जाय। यही मेरा निवेदन है।

श्री ए० सी० ग्राइस (जिला कानपुर)—

माननीय चैयरमैन साहब मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस मिल की थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहता हूं। पहले इस मिल को बागला ने लिया था फिर यह जे० के० के हाथ में आयी। सम्पूर्णानन्द एवार्ड में एक खास बात है कि मशीनों की मरम्मत वगैरह होनी चाहियें जिससे प्रोडक्शन में कमी न आने पाये लेकिन जब से जे० के० ने इस मिल को लिया है उसने न तो इसका मेन्टेनेन्स किया, और न रिपेयर किया है फिर भला प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ सकता है। मजदूर कैसी ही एफीशियेन्टली काम क्यों न करें उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। मैं अपने एक्सपीरियेन्स से कहता हूं कि अगर मशीनों का ओवरहालिंग और रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो कोई भी मजदूर ठीक से उस पर काम नहीं कर सकता है। वर्क लोड बढ़ सकता है लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह मिल जे० के० के अधिकार में आ गयी है या म्योर मिल अलहदा है। मैंने सुना है कि जे० के० को इन्तजाम करने का २ लाख रुपया मिलता है। अगर यह सही होता है तो बहुत गलत बात है। यह भी सुना है कि उसने सरकार से रुपया मांगा है २० लाख। जे० के० के पास तो बहुत रुपया है, वह उसकी मशीनरी को रिप्लेस करके उसको चला सकता है। अगर वह मांगता ही है तो सरकार को उसको एडमिनिस्ट्रेटर लगा कर चलाना चाहिये मैं चाहता हूं कि सरकार उस मिल को किसी तरह जल्दी से चलाये। उसके न चलने से ६५०० मजदूर काम करते हैं जो बेकार हैं। यही नहीं उनके फेमिलीज भी। करीब २५ हजार लोगों की रोजी का सवाल है, भूखो मर रहे हैं। इस बात को एक महीने से ज्यादा हो गये। आज कल की कास्ट क्या हो रही है यह तो सभी को मालूम है। उन बेचारों की क्या हालत होगी। मैं कोई पोलीटिकल आदमी नहीं हूं और न लेबर यूनियन का ही हूं, मैं खाली मजदूरों को जानता हूं, मंत्री जी को जल्दी से जल्दी कोई पांव उठाकर इस मिल को चालू कराना चाहिये। एक सुझाव मैं पेश करना चाहता हूं कि अगर आज म्योर मिल में जल्दी से सुधार नहीं हुआ तो जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा मुमकिन है कि यह बात दूसरी मिलों में भी फैल जाय। ऐडवाइजरों कमेटी को चाहिये कि वह म्योर मिल से अपनी बात मनवा ले तथा दूसरी मिलों का भी ख्याल रखें जहां यही हो रहा है। कैपिटलिस्टों के चक्कर में ऐडवाइजरी कमेटी को नहीं आना चाहिये। अगर नयी ऐडवाइजरी कमेटी इस काम को नहीं करवा सके तो उसको तुरन्त ही बर्खास्त कर देना चाहिये।

*श्री प्रेमसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, अपका मैं आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मजदूरों का जहां तक सम्बन्ध है, आजकल मजदूरों की इतनी वकत है जितनी शायद संसार का कोई व्यक्ति वकत नहीं रखता है। इन मजदूरों के सम्बन्ध में मेरा पहला सुझाव है—"इस भारी दुनिया में मेरा कोई सहारा न हुआ, गैर तो गैर अपनों का सहारा न हुआ। खिलाफ अक्ल है अपनों से फायदा पाना, सदफ के काम कभी बहीधूर नहीं आत"। यानी सीप के काम कभी मोती नहीं आता। अगर मिल मालिक उस मिल को नहीं चलाते हैं तो सरकार द्वारा ही उस मिल को चलाया जाय क्योंकि आज मजदूर भूखों मर रहे हैं और उनकी भूख की आग मिल मालिकों को बेहोश कर देगी। मैं चाहता हूं कि इस झगड़े का फैसला जल्दी से जल्दी हो तथा मिल मालिकों ने जो बहाने से लाक आउट कर रखा है, उसे समाप्त कर मिलों को खोला जाय। कम से कम मजदूरों के खाने का ख्याल रखा जाय। आज मजदूर एक महीने से भूखों मर रहे हैं जब कि इतनी महंगाई है। दूध एक रुपया सेर है, फिर वे बेचारे अपने बच्चों को कहां से दूध देंगे और कहां से खाना देंगे। मैं सबकी तफसील में नहीं जाता लेकिन जब कि आज हमारे देश के सामने इतना गम्भीर संकट है और हमें इतनी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है तो आज आप हमारे मजदूरों में जरा जान डालें क्योंकि भूखों मरते हुए आपका गुणगान नहीं कर सकते हैं। जब उनका पेट भरा होगा तभी वे आपका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गुण गायेंगे । एक बात मैं और जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि बांकी मिलें बिना मुआवजा के ही बन्द कर दी जायेंगी । अगर यह सही है तो सन् १९५४ में म्योर मिल ने मजदूरों का वर्क लोड बेज तय किया था । वर्क लोड जब बदला गया तो नोटिस आफ चेंज मिल-मालिकों की तरफ से मजदूरों को नहीं दी गयी, तो गवर्नमेंट ने इन मिल मालिकों पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया ? आखिर में मैं एक अंग्रेजी का शेर पढ़ देता हूं जो इस प्रकार है :

"The hands that lift the fallen are mightier than the lips that pray."

मैं चाहता हूं कि मजदूर जो गिरे हुए हैं, कुचले हुए हैं उनको सरकार ऊपर बढ़ावे । मुझे भी अभिमान होगा अगर मजदूरों की स्वतंत्रता का भी खयाल इस स्वतंत्र राज्य में किया जाय । मेरा यह भी सुझाव है कि मजदूरों का इस लाक आउट से जितना नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा उन्हें दिया जाय ।

मुख्य मंत्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

अधिष्ठाता जी, ऊपर एक दो बार मैंने तथा शायद एक बार श्रम मंत्री जी भी यहां पर म्योर मिल तथा माहेश्वरी मिल के सम्बन्ध में यह विस्तृत रूप से बयान दे चुके हैं । मैं माननीय सदन से स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय रक्षपालसिंह जी ने बहुत सी बातों की यहां पर चर्चा की है । अभी श्री उग्रसेन जी ने, श्री यूसुफ ने और श्री पांडेय जी ने ज्यादातर बातें म्योर मिल और माहेश्वरी मिल के सम्बन्ध में कहीं । जब मैंने सदन में बयान दिया था उसी वक्त मैंने माहेश्वरी मिल के सम्बन्ध में संकेत किया था कि ऐसा है कि मजदूरों के साथ सेवायोजकों की ज्यादती है और वह नहीं मानते हैं और अगर वह लेबर कमिश्नर और अधिकारियों का कहना नहीं मानते हैं तो सरकार को विचार करना चाहिये कि अथौराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त किया जाय या कोई और कदम उठाया जाय । सरकार कभी नहीं चाहती कि मजदूरों का नुकसान हो । जहां तक स्टेंडर्डाइजेशन, रेशनेलाइजेशन या आधुनीकरण की बात है मजदूरों का नुकसान हम किसी तरह से नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उत्पादन पर बुरा असर न पड़े और इस सबको ध्यान में रखकर हम इस काम को करेंगे । म्योर मिल में जब हड़ताल की नोटिस हुई तो बताया गया कि समाजवादी मजदूर सभा के सभापति को दो बार बुलाया गया लेकिन वह नहीं आये ।

श्री उग्रसेन--

गलत है, उन्होंने बुलाया ही नहीं ।

श्री बंशीधर पांडेय--

ठीक है, बहुत सी बातें हैं जिन पर हम बातें कर लेंगे । लेकिन अधिकारियों का कहना है कि कोई नहीं आया वह सब सदन में न कहा जाय तो अच्छा है । ग्रेचुटी के सम्बन्ध में आप देखें कि उन्होंने लिखा है कि ५० लाख ग्रेचुटी का बकाया है लेकिन हमारा जो चार्ट यह इस संबंध में है । ३१-७-६५ तक ग्रेचुटी की पोजीशन क्या थी वह मैं बता दूं । पेंडिंग केसेज थे ५२३१ जिन की एप्लीकेशन्स आई थी, इस में से ५५३ वह केस थे जिन के केस बनते नहीं थे, जिन को कि ग्रेचुटी पेएबिल नहीं थी और बाकी ४१३२ का पेमेंट कर दिया गया है । ७ केसेज २८-२-६३ के पहले के थे, जिन में ९० दिन एक्सपायर नहीं हुए थे वह २०७ थे और ३३२ ऐसे हैं जिनका समय बीत चुका है । इस तरह से स्वदेशी काटन मिल में १६,५०,८९४ रुपया ग्रेचुटी का पे किया गया, कानपुर टैक्सटाइल मिल ने १,९४,०४४ रुपया पे किया और एलगिन मिल नं० १ ने ५,१८,३३८ रुपया पे किया । एलगिन मिल नं० २ में अभी ५ साल पूरे नहीं हुए हैं इसलिये वहां की ग्रेचुटी की पोजीशन नहीं आई है । इसके अलावा जे० के० काटन स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स ने १,६७,६४९ रुपया दिया, जे० के० मेनुफैक्चरिंग मिल ने ५३,१६१ रुपया दिया, म्योर

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

मिल ने २,१४,४१३ रुपया दिया, एथर्टन वेस्ट मिल ने १,७०,५६५ रुपया दिया, न्यू विक्टोरिया ने ५,०२,५९३ रुपया दिया और लक्ष्मी रतन काटन मिल ने ९१,२९५ रुपये ग्रेचुटी में दिया। इस तरह से कुल ग्रेचुटी में ३५,६२,९९५ रुपया दिया गया। इसी तरह से बोनस की पोजीशन यह है कि कानपुर टेक्सटाइल मिल में ६१–६२, ६३–६४ में ३ करोड़ ३३ हजार ५३० रुपया दिया गया। एलिगन मिल नं० १ में ७,२३,५१५ रु०, १९६२ में ९,२४,२१९ रु०, १९६३ में ७,८१,०८७ रु० और १९६४ में ६,४९,४१०.३३ रु०। इसके अलावा सैन्चुरी बोनस भी एलिगन मिल नं० १ में ३,२५,४६६ रु०, एलिगन मिल न० २ ने २२ नये पैसे की दर से उन्होंने भी दिया है। १९६२ में २,२९,८७७ रुपया और सैन्चुरी बोनस में १,९८,६३२ रु० ९ प्रतिशत के हिसाब से। जे० के० काटन मिल्स ने १२ नये पैसे के हिसाब बेसिक पे का ४ प्रतिशत के हिसाब से दिया है। जे० के० मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड १९६१ में १,६७,२६० रु०, १९६२ में २,१९,३१७ रु० और १९६३ में २,२८,८५५ रु०। लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड ने १९६१ में १,२९,००० रु० दिया है। एक बात उन्होंने और कही है कि २३ सितम्बर तक पे कर देंगे। म्योर मिल्स ने १९६३ में २,९९,३१०.५६ रु० दिये हैं। न्यू विक्टोरिया मिल्स कम्पनी लि० ४ प्रतिशत के हिसाब से दे रही हैं। स्वदेशी काटन मिल कम्पनी लिमिटेड ने १९६३ में ६,००,००० और सर्वश्री आर्थरटन वेस्ट कम्पनी लिमिटेड ने १९६२ में, १,३९,४४९ और १९६३ में १,४७,२९८ रु० दिया।

श्रीमन्, बोनस के बाद जो ऐग्रीमेंट है, कितने ही केसेज में झगड़े हुए। ऐग्रीमेंट में भी करीब-करीब १६ मिलों में आपस में मालिकों और मजदूरों में तय हुए। उसके बाद में वर्कर्स की परमानेन्सी का प्रश्न आता है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ---

यह जो आप बता रहे हैं, हम नहीं जानना चाहते हैं। हम तो केवल यह जानना चाहते हैं कि आप म्योर मिल में फलां एडमिनिस्ट्रेटर को बैठा रहे हैं या डी० आई० आर० में ले कर चलाने जा रहे हैं, या नहीं।

श्री अधिष्ठाता---

आप कृपया बैठ जाय।

(इस समय ३ बजकर २७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुये।)

श्री बंशीधर पांडेय---

तो आपने मुझसे सिर्फ यह प्रश्न पूछा होता। आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें बोनस और ग्रेचुटी आदि सभी बातें सम्मिलित हैं। म्योर मिल में मजदूरों और मालिकों दोनों की तरफ से त्रुटि है। हमारा विभाग काफी प्रयास कर रहा है कि म्योर मिल में मालिकों और मजदूरों में समझौता हो जाय लेकिन हुआ यह कि कभी वह नहीं आये, कभी यह नहीं आये। उनके यहां पर करोड़ों रुपये का माल जमा हो गया है और सरकार ने स्टेट बैंक को और रिजर्व बैंक को और केन्द्रीय सरकार को भी लिखा है कि वे इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि हमारी सरकार, मैं नहीं बताना चाहता क्या करेगी, लेकिन जो भी उचित कदम होगा, उसे उठायेगी जिस से मजदूरों का हित होगा। महालक्ष्मी मिल में समझौता हो गया है। हमने कह दिया है कि अगर मालिक तैयार नहीं होता है तो सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि अथाराइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर हो। मुझे आशा है माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे। सरकार मजदूरों के लिये हर संभव प्रयत्न करेगी।

श्री एस० जी० दत्त--

मेरी यह भी प्रार्थना है सरकार से कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुये म्योर मिल के कर्मचारियों को मजदूरी दिलायी जाय।

श्री उग्रसेन--

माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं, उस से यह विदित होता है कि इस कार्य में समय लगेगा। इस समय ६,५०० मजदूर भूखों मर रहे हैं। अतः जो भी प्रयत्न किया जाय वह शीघ्र हो, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

एडमिनिस्ट्रेटर बैठाने में समय लगेगा और ४० दिन हो गये, मजदूर भूखा मर जायगा। इसका एक ही इलाज है कि डी० आई० आर० में मिल को टेक ओवर करके सरकार इसको चलवाये, हम सरकार का साथ देंगे।

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी विचार करेंगे।

श्री उग्रसेन--

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा कि मंत्री जी विचार करेंगे, तो यह आपने कैसे कह दिया ?

श्री अधिष्ठाता--

आपकी बातें मंत्री जी ने सुन लीं और मुझे विश्वास है कि मंत्री जी अवश्य कुछ करेंगे।

श्री प्रेमसिंह--

कुछ थोड़ा सा आपकी आज्ञा से मैं पूछना चाहता हूं .....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय टम्बेश्वरप्रसाद बोल लें उसके बाद कहियेगा।

गल्ले का बफर स्टाक बनाने तथा गांव की दूकानों को देने के संबंध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

श्री अधिष्ठाता--

अब एजेन्डा को आइटम नं० १६ पर विचार होगा।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

अधिष्ठाता महोदय, युद्ध के कारण इसका महत्व और अधिक हो गया है। उस दिन माननीय सदस्यों ने नेगी जी से दो बातें निश्चित रूप से जानना चाहीं। एक बात तो यह कि क्या वह इस प्रदेश में गल्ला इतना खरीद चुके हैं जिस से कि वह इतना बफर स्टाक बना सके हों कि यहां के मूल्यों पर नियंत्रण रख सकें और दूसरी चीज यह थी कि क्या वह पूरे प्रकार से सस्ते गल्ले की दुकानें प्रदेश भर में खोल कर इस समय जो सामान्य जनता को कष्ट हो रहा है गल्ले के अभाव में उस से उसको ऋण दिलायेंगे या नहीं। आप जानते हैं कि एक निश्चित प्राइस पालिसी या मूल्यों पर नियंत्रण न होने के कारण इस प्रदेश में मुनाफाखोरी को बल मिला है। और उसके साथ जनता को गल्ले की अभावग्रस्त स्थिति समय-समय पर आती रही। इन दोनों बातों को देखते हुये आज की स्थिति में यह निरन्तर आवश्यक हो गया है कि हमारी जनता खाद्यान्न के अभाव न से पीड़ित हो। इसके लिये हमारे पास समुचित मात्रा में बफर स्टाक रहने चाहिये। लेकिन इस सरकार ने घोषणाओं के बावजूद उनको आज तक नहीं बनाया और इसलिये यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

प्रश्न चर्चा के लिये रखा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कितना गल्ला इकट्ठा किया है। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी गल्ले की दूकानें प्रदेश में खोलना चाहते हैं। और जब तक प्रत्येक ग्राम सभा में एक दुकान आज की स्थिति में उन क्षेत्रों में जो असिंचित क्षेत्र हैं विशेष रूप से तथा संचित क्षेत्रों में सीमित मात्र में दुकानें नहीं खोली जायेंगी प्रदेश की ७० फीसदी जनता आप को हल चलाकर गल्ला नहीं दे पायेगी। और जहां आपने यह उत्तर दिया कि हम ३० हजार से ऊपर वाली आबादी को गल्ला देंगे और वह इसलिये देंगे कि आप को केन्द्र से गल्ला कम मिलता है और वहां खेती नहीं होती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने गल्ला देने वालों का पेट नहीं भरा तो दोनों ही मरेंगे, पैदा करने वाला भी और दो खाने वाला भी। इसमें आवश्यक है कि मूल्यों पर नियंत्रण हो और दूसरे गल्ला सबके पास पहुंचाना। इस समय एक और स्थिति से मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं, उनके विचार में दो बात जड़ कर गयी हैं। एक तो यह है कि भाव के कारण किसान अपना गल्ला बाजार में नहीं लाना चाहता और दूसरे यह है कि काश्तकार को बहुत अप्रत्याशित लाभ हो रहा है। यह दो बात उनके दिमाग में घर कर गयी हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, काश्तकार को भोजन की ही जरूरत नहीं होती है। जिस तरह शहर के लोगों को बच्चों की फीस देनी होती है, कपड़ा खरीदना होता है, दवायें लेनी होती हैं, रेल की यात्रा करनी होती है, उसी तरह देहात के आदमी की भी जरूरतें होती हैं और उसकी आय का एक बहुत बड़ा भाग इन चीजों पर खर्च होता है। आपको ज्ञात होगा कि इन चीजों के भाव बढ़ते जाते हैं और आज ग्रामीण लोग फीस न देने के कारण अपने बच्चों का नाम कटवा लेते हैं। अगर उनके पास अन्न हो तो वे शहर वालों के समान अपने बच्चों की फीस दे कर सुशिक्षित बना सकते हैं। आप केन्द्रीय सरकार का बहाना न लें। अपने सीमित साधनों के अन्दर अपनी योजना सदन के सामने प्रस्तुत करें ताकि सभी लोगों का आपको सहयोग प्राप्त हो सके। आज यह प्रश्न नहीं है कि हम जबरदस्ती गल्ला खींचने वाले हैं। इस प्रश्न को छोड़कर मेरा निवेदन यह है कि मुनाफाखोरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जगह-जगह व्यापारियों ने स्वयं यह निश्चय किया है कि वे गल्ले के व्यापार पर मुनाफा नहीं लेंगे, यह उनकी भावना का द्योतक है फिर भी कोई गल्ले के व्यापार पर अनिश्चित रूप से मुनाफा करना चाहे तो उसके लिये आपके पास समुचित साधन होने चाहिये, दंड व्यवस्था होनी चाहिये। अगर आप कमजोर पड़ेंगे तो निश्चित रूप से असफल होंगे। इन तमाम नीतियों को प्रतिपादित करते हुये आप आज की स्थिति को देखते हुए कोई योजना हमारे सामने रखेंगे, चाहे वह एक छटांक कम देने की हो, ताकि वह उनके लिये सहायक हो सके।

*खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने जो चर्चा उठाई है ऐसा मालूम पड़ता है कि वह यह मान कर चले हैं कि सरकार ने इस हाउस को और जनता को मुगालते में रखा है, ऐसी बात नहीं है क्योंकि समय-समय पर प्रशासन द्वारा जो उत्तर दिये गये, जो स्टेटमेंट दिये गये उनसे यह सिद्ध किया गया क्या स्थिति है बफर स्टाक बनाने की? खरीदारी किस प्रकार की जाय, डायरेक्ट किसान से की जाय या खुले बाजार में की जाय यह प्रश्न भी हमारे सामने था। तब यह सोचा गया था कि खुले बाजार में खरीदेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मानोपोली द्वारा खरीद के विरुद्ध बहुत से क्वार्टर्स थे। माननीय सदस्य भी उसके विरुद्ध थे और जब उसकी बात सोची जा रही थी तब भी यह आसार नजर आ रहे थे कि इसका विरोध होगा। ऐसी स्थिति में खुले बाजार में खरीफ और रबी की फसलों में १ लाख ९५ हजार टन गल्ला खरीदा गया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

यह पुराना इतिहास है। अब का बतलाइये कि आपने अब क्या इन्तजाम किया है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

उग्रसेन जी, आपको स्पष्टीकरण मांगने का मौका मिलेगा। आप बैठिये।

श्री हरीदत्त कांडपाल--

माननीय सदस्य बहुत अधीर हो रहे हैं। उनकी अधीरता बनी रहेगी। मैंने इस सम्बन्ध में जो सही स्थिति है उसे माननीय सदस्यों के सामने रख दिया है। यह सोचना गलत होगा कि सरकार भ्रम में रखती आई है। फिर यह तो संकट काल की स्थिति है। आगे की जो स्थिति होगी उसके लिये विरोधी पक्ष के सदस्यों को माननीय मुख्य मंत्री ने आमंत्रित किया है और लड़ाई से जो बातें सम्बन्धित नहीं हैं उनमें खाद्य समस्या तो प्रमुख है और संकट-काल होने के कारण तो और भी अधिक प्रमुख समस्या वह बन जाती है।

दूसरी बात उन्होंने दूकानें खोलने की कही। अधिष्ठाता महोदय, केवल दुकान खोलने से नाम कमाने की बात नहीं है। पंचायतों में दुकान तो खोल दें लेकिन उनमें रखने के लिये सामान भी तो चाहिये और इस राज्य के पास इतना स्टाक नहीं है कि हर एक पंचायत में दुकान खोल कर उसमें सामान रखा जा सके। दुकान खोल दी जायं और उनमें सामान न हो तो स्थिति और खराब होगी। सरकार की नजर है कि कमी न होने दी जाये जिस से भुखमरी फैल जाय। और एक भी घटना ऐसी नहीं हुई जिसको भुखमरी कहा जाय। लेकिन लोगों को तकलीफ है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। जब गल्ले की कमी होती है तो उस पर सरकार का ध्यान रहता है। थोड़े दिन पहले जब कमी की खबर आई तो सरकार ने एडहाक कोटा २४/२५ जिलों के लिये दिया और जिलाधीशों को आदेश दे दिये गये थे कि कमी के क्षेत्रों में इस गल्ले को दुकानों के जरिये बंटवा दिया जाय और जरूरत समझी जाय तो नई दुकानें खोल दी जायं।

श्री उग्रसेन--

अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि जब गल्ले की कमी है और केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, फरवरी के बाद कोटा कम कर दिया, इसको आपने और मुख्य मंत्री ने कहा है तो ऐसी स्थिति में सहारनपुर का चावल बाहर क्यों भेजा गया? जब गल्ले की कमी थी तो २१ करोड़ रुपये की योजना को क्यों खत्म कर दिया और जो चना वगैरह मोटा अनाज मध्य प्रदेश को क्यों भेज दिया और जिस अधिकारी ने भेजा उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई।

श्री हरीदत्त कांडपाल--

श्रीमन्, जो चावल भेजना माननीय सदस्य कहते हैं वह मेरी जानकारी में नहीं है कि इस वर्ष कोई चावल भेजा गया। उसकी सूचना मेरे पास नहीं है। जहां तक मोटे अनाज का ताल्लुक है इस पर रोक लगाने का सरकार को अखतियार नहीं है। केन्द्रीय सरकार रोक लगा सकती है कि वह बाहर जाने दे या न जाने दे।

श्री उग्रसेन--

जब आपको कोटा देने से इंकार कर दिया गया केन्द्रीय सरकार द्वारा तो आपने फिर अपने यहां की बेझड़ बाहर क्यों भेजी?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी। जो बात माननीय सदस्य बता रहे हैं उसकी जांच करानी पड़ेगी। मुझे इसकी जानकारी नहीं है?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे जौ, चना और बेझड़ आदि में जो मोटा अनाज है उसको बाहर क्यों जाने दिया और इनका समुचित स्टाक क्यों नहीं बनाया जिनको प्रदेश के ८० प्रतिशत लोग खाते

[श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय]

हैं ? आपने जो देहात में गल्ला दिया है वह २००/३००/४०० टन दिया है और सस्ते गल्ले की दूकान की हालत यह हो गई है कि . . .

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न पूछिये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जब गल्ले की कमी आपने अप्रैल के महीने में महसूस की तो गल्ले को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्रीमन्, मैं अर्ज कर चुका हूं कि मोटे अनाज को बाहर भेजने का अधिकार सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का है, उसको प्रदेशीय सरकार नहीं कर सकती है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मैंने स्पैसिफिक सवाल किया है कि जब इनको मालूम हो गया था कि मोटा अनाज बाहर जा रहा है और इसकी सदन में भी चर्चा हुई थी तो आपने बफर स्टाक बनाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया और केन्द्रीय सरकार से क्यों नहीं आदेश प्राप्त किया कि गल्ला बाहर न जाये ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अधिष्ठाता महोदय, केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया गया लेकिन वह नहीं मानी । अब सूचना यह है कि वह मान गई है और इस बात को ध्यान में रखा जायगा । जहां तक गेहूं और चने का सम्बन्ध है, ओपेन बाजार में जितना खरीद सकते थे, उतना खरीदा गया और स्टाक में जमा किया गया ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार ने शहरों में जो होलसेलर्स नियुक्त किये हैं क्या उनको आश्वासन दिया है कि गेहूं, जौ, चने की कीमतें बढ जायंगी तो जो भी कमीशन आपका होगा वह लेंगे ही, उसके साथ ही जो डिफरेंस आयेंगे प्राइस में वह भी आप लेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी नहीं । ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस समस्या के निराकरण के लिये उन्होंने अपनी नीति निश्चित मूल्य पर बिक्री की बनायी है या सीमित वितरण की बनायी है, या दोनों बनायी हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मैं समझा नहीं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

एक नीति तो यह है कि मूल्य तय कर दिया कि होलसेल में १६ रुपये में बिकेगा और रिटेल में १८ रुपये में मिलेगा । यह निश्चित मूल्य की नीति है । दूसरे सीमित मूल्य की नीति है कि आपने कहा कि छः छटाक गल्ला मिलेगा । तो आपने अपनी नीति निश्चित मूल्य की बनायी है या सीमित वितरण की बनायी है या दोनों की बनाई हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

राज्य सरकार के पास जो इम्पोर्टेड गेहूं आता है, और जो अपना स्टाक होता है, उसको नियंत्रित दामों पर बेचते हैं। शेष पर नियंत्रण नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

जो कुछ उपलब्ध है इस प्रदेश में उसके वितरण के सम्बन्ध में....

श्री अधिष्ठाता--

उसके सम्बन्ध में कहा है कि जो केन्द्रीय सरकार से आता है और जो बफर स्टाक में रहता है उसकी निश्चित कीमत है और सब फ्री है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

आज की जो स्थिति है उसमें क्या करने वाले हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जैसी स्थिति है उसमें विचारणीय प्रश्न है ही। इसके लिये माननीय नेता विरोधी दल कल माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि वह इस समस्या पर भी बात करेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जो अन्य प्रदेशों में गल्ला बिकता है, वहां किसी प्रदेश में सरकार ने अपने टेंडर भेजे, यदि हां, तो किन-किन प्रदेशों में और किस भाव पर ? जैसे पंजाब गल्ला प्रोक्योर करके टेंडर से गल्ला बेचता है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है कि किन्हीं प्रदेशों ने टेन्डर काल किये गल्ला बेचने के लिये ?

श्री जगन्नाव राव (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो गांवों में दुकानें खोलने के लिये जिलाधीशों को आदेश दिये हैं, उसमें दस न्याय पंचायतों के बीच में एक दूकान खोली है ? यह गल्ला किस हिसाब से बिकने का आदेश अथवा कोई डाइरेक्शंस दिये हैं कि किन को यह गल्ला दिया जाय ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

आदेश यह हैं कि जो एडहौक कोटा दिया गया है कमी वाले इलाकों में उसको जिलाधीश बटवायें अगर वह दूकान खोलना चाहेंगे तो खोलें। लेकिन दूकान खोलने के आदेश नहीं हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्री निश्चित तरीके से बतायेंगे कि आज की स्थिति को देखते हुये गल्ले की जो हालत है, भविष्य के लिये क्या कार्यक्रम तैयार किया है जिससे मोटे गल्ले का बफर स्टाक बनाया जा सके जिस से समयानुकूल जरूरत पूरी हो सके ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

इस समय जैसी स्थिति है उसमें मौलिक रूप से सोचना ही पड़ेगा। इसमें सभी लोगों का सहयोग आवश्यक होगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

इस सहयोग के लिये वह क्या कार्यक्रम लेने वाले हैं तथा गल्ले का सीमित कंजम्प्शन हो, इसके लिये क्या सुझाव रखने वाले हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि अभी आपस में बैठ कर मीटिंग में तय करेंगे ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या करने वाले हैं ? सदन में बुलायेंगे या अपने कमरे में बुलायेंगे, कुछ मालूम तो हो जाय । मुख्य मंत्री तो केवल सुरक्षा के बारे में बैठक करेंगी ।

श्री हरीदत्त कांडपाल--

यह सब सुरक्षा से सम्बन्धित ही बातें है । खाद्य समस्या तो प्रमुख समस्या है और मैं समझता हूं मुख्य मंत्री के साथ जब सब आप सदस्यों की बात होगी तो यह बात तो वहां अवश्य डिस्कस होगी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मंत्री जी मेरे इस सुझाव पर विचार करने की कृपा करेंगे कि जो देश की स्थिति है इसमें जो आपने देश में बफर स्टाक बनाये हैं या जो भी डिस्ट्रिब्यूशन की पालिसी बनायी है । उसमें जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करके, जखीरेबाजी करके अनुचित मुनाफा कमाने वाले व्यापारी हैं या जो अन्न को छिपा कर निश्चित मूल्य पर नहीं बेचना चाहते हैं उसके सम्बन्ध में इन अनुचित कार्यों के लिये आपने क्या नीति अख्तियार की है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

यह तो अभी ही है, जो मुनाफाखोरी करने के लिये गल्ले को रोकते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होती है । पिछले साल तो मैंने एक सवाल के जबाव में कहा है कि एक लाख क्वींटल गल्ला जखीरेबाजों के पास से पकड़ा गया है । कुछ व्यापारियों के खिलाफ मुकदमें भी चलाये गये हैं । यह लोग जो समाज विरोधी कार्य करें वह तो क्षम्य अपराध नहीं है, उस पर तो उन्हें सख्त सजा दी जायगी ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

प्रदेश में ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर गल्ले की बहुत कमी हो गयी है वहां के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

अधिष्ठाता महोदय, एक आध हफ्ते पहले २५ जिलों से सूचना इस प्रकार की आयी थी तो उनको एडहाक रूप में गल्ला भेजा गया है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या आपके पास जो केन्द्रीय गल्ला है, तो उसकी सुरक्षा के लिये आपने कोई विशेष व्यवस्था की है या ऐसा कोई पग उठाया है जिससे उसके लिये कोई खतरा न पैदा हो ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

उसकी सुरक्षा के लिये तो पग उठाये ही जाते हैं, चूहे न खायें, कीड़ों से नुकसान न पहुंचे और अन्न की ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा हो ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे प्रश्न का औचित्य इससे ही सिद्ध होता है, माननीय मंत्री जी ने आज की स्थिति में उसका कोई विवरण न देकर केवल एक बात का बहाना लिया है कि हमारे जो नेताओं की बैठक होने वाली है, उसमें वह (मुख्यमंत्री) विचार विमर्श करेंगी। इस प्रदेश की विधान सभा ने इसके पहले भी दो दिन इस पर विचार किया था। मैं समझता हूं कुछ उन विचारों से अवगत होने के बाद आज मंत्री जी के पास, यह हमला होता या न होता, एक निश्चित नीति होनी चाहिये थी। यह इस बात का द्योतक है कि हमारा खाद्य विभाग इसको कितनी उपेक्षा की नीति से देखता है। मैं समझता हूं कि इसके पहले कि मैं उनकी इस विषय में किसी योजना को देखूं और जानूं, विरोधी दल के किसी भी सदस्य को अपनी राय देना सम्भव नहीं होगा। इसलिये जहां भी वह चाहें इसी खाद्य स्थिति पर विचार करें और एक सप्ताह के अन्दर और इसके पहले कि अपनी आने वाली फसल फिर से किसी अन्य चक्कर में चली जाय, एक निश्चित योजना प्रभावी रूप से बनायें। नहीं तो देश की गरीब जनता जो पैदा करती है या जो खाती है, उसको मूल्य के रूप में और उसकी उपलब्धता की दृष्टि से उसे काफी क्षति उठानी पड़ेगी। इन परिस्थितियों में आवश्यक है कि जो हमारे औद्योगिक नगर हैं उनकी आवश्यकता को केन्द्रीय सरकार की सीमित कैपिसिटी में ही न रखा जाय। उसके सम्बन्ध में हमें एक अलग से योजना बनानी होगी कि हम कहां-कहां से गल्ला उपलब्ध कर सकते हैं और कितना-कितना कहां कहां हमें अतिरिक्त रूप से भेजना है। और साथ ही साथ हमें जनता में भी सुरक्षा की भावना कैसे पैदा हो इस प्रकार की व्यापक योजना लानी चाहिये जिससे कि गल्ला बाजार भाव पर बिके, वह किसान से सीधे सरकार के हाथ में या अगर मध्यवर्ती के हाथ में जाय लेकिन उसको यह आदेश रहे कि वह नामीनल मुनाफे पर व्यापार करे। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई प्रभावकारी योजना अगर सरकार बनावेगी तभी इस प्रदेश का हित हो सकेगा। मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें अपनी योजनाओं से अवगत करावें जिससे हम उसमें उनकी सहायता कर सकें।

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

मैं माननीय टम्बेश्वरप्रसाद जी और अन्य सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता---

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
९ सितम्बर, १९६५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२७ पर)

अभियुक्तगण राम आसरे, सीताराम, झिनकाम के जमानत की प्रार्थना-पत्र पर पुलिस की रिपोर्ट:—

रिपोर्ट थाना कप्तानगंज

श्रीमान् जी, निवेदन है कि प्रार्थीगण मुकदमा अपराध संख्या ३१ धारा १४८/३०२ भा० दं० वि० में मतलूब है जिसकी रिपोर्ट थाना पर २१:-५-६५ को हुई जो कि प्रार्थीगणों का नाम प्रथम सूचना में नहीं है लेकिन उनके खिलाफ बहुत जबरदस्त परायनर सहादत मौजूद है ज जाहिर करता है कि दो और आदमी के साथ राम भवन यादव, निवासी ग्राम उमरिया की हत्या की है मृतक एक बलवे के मुकदमे की पैरवी करता था जो प्रार्थी झिनकान के खिलाफ था जो अभी अदालत में जेरे तजबीज है। अन्य दो प्रार्थी उपरोक्त झिनकान से संबंधित हैं। मृतक के शरीर पर १८ भोके हुये चोटें पहुंचाई गई हैं जमानत के कड़ाई के साथ विरोध किया जाता है।

(हस्ताक्षर) एस० एम० जहीर
थानाध्यक्ष ११-६-६५

ए० डी० एम० (जे)

श्रीमान् जी, थानाध्यक्ष, कप्तानगंज की उपरोक्त रिपोर्ट को पढ़ा जाय। अभियुक्तगण के विरुद्ध बड़ा ही कड़ा करायनरी शहादत है। ये घटनास्थल पर घटना के ठीक पहले गवाहान द्वारा देखे गये थे और घटना के ठीक बाद संघातिक हथियारो से सुसज्जित गवाहान द्वारा भागते हुए देखे गये। जुर्म सेशन अदालत से तजबीज होगी अतः जमानत का विरोध किया जाता है।

(हस्ताक्षर) ए० पी० पी०,
११-७-६५

अभियुक्त बाबू राम के जमानत के प्रार्थना-पत्र पर पुलिस की रिपोर्ट की नकल

ए० डी० एम० (जे)

श्री मान् जी, अभियुक्त प्रार्थी मुकदमा अपराध संख्या ३१ धारा ३०२ भा० दं० वि० थाना कप्तानगंज में मतलूब है कहा जाता है कि वह और अभियुक्तगण के साथ मृतक की हत्या की। अभियुक्त के विरुद्ध शहादत यह है कि वह घटनास्थल के नजदीक घटना के ठीक पूर्व गवाहान द्वारा देखा गया था और घटना के बाद घटनास्थल से भागते हुये गवाहान द्वारा देखा गया था। उसका धोती व गमछा घटनास्थल पर पाया गया था जिसको गवाहों ने पहचाना। मुकदमा अभी जेरे तफतीश है वह भागा हुआ था और उसके खिलाफ वारन्ट के अन्तर्गत धारा ८७/८८ जा० फे० जारी हुआ था इसकी काफी सम्भावना है कि इस मुकदमे के गवाहों को तोड़े। जुर्म सेशन अदालत से तजवीज के काबिल है अतः जमानत का विरोध किया जाता है।

(हस्ताक्षर) ए० पी० पी०-
२२-६-६५

अभियुक्त रामदास के जमानत के दरख्वास्त पर पुलिस की रिपोर्ट की नकल

रिपोर्ट थाना कप्तानगंज

श्रीमान् जी, निवेदन है कि अभियुक्त मुकदमा अपराध नं० ३१ धारा १४८/३०२ भा० दं० वि० में मतलूब है गोकि इसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है लेकिन इसके खिलाफ बहुत जबरदस्त करायन की शहादत जुर्म में भाग लेने की है इसके खिलाफ बड़ी शहादत है जो सीताराम, झिनकान और राम आसरे के खिलाफ थे जो जमानत पर छूट चुके हैं। जमानत का विरोध किया जाता है, रिपोर्ट प्रेषित है।

(हस्ताक्षर) एस० एम० जहीर,
थानाध्यक्ष।
२६-६-६५

सेवा में ए० डी० एम० (जे) के प्रेषित थानाध्यक्ष के रिपोर्ट के साथ जो पुस्त पर है।

(हस्ताक्षर) पी० पी०
२८-६-६५

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२९ पर)

अभियुक्तगण सहती वगैरह के जमानत के दरख्वास्त पर जबरदस्त रिपोर्ट

थाना छावनी में उनके खिलाफ मुकदमा धारा ३९४ भा० दं० वि० कायम हुआ कि जब ये विक्रमजीत में पेट्रोल ड्यूटी पर थे तो एक केवट से एक घड़ी व एक सोने की अंगूठी को जबरदस्ती ले लिया कहा जाता है कि ये सामान एक बच्चन लाल, एडवोकेट जो लकड़मंडी घाट में सरजू में डूब कर मर गये थे, का था।

तफतीस से मालूम हुआ कि अभियुक्तों ने केवट को न मारा, न जबरदस्ती सामान छीना बल्कि ये केवट दयाराम से ये सामान पाये और बजाय पुलिस मालखाना में दाखिल और जनरल डायरी में इन्द्राज करने के अपने पास रख लिया और बाद में मांगने पर दे दिया।

उपरोक्त बाकयात से मुकदमा धारा ४०९/४११ भा० दं० वि० अभियुक्त के खिलाफ बनता है जुर्म बिना जमानती है जमानत का विरोध किया जाता है।

(हस्ताक्षर) : क० फ० रहमान
१४-४-६५

संसद भवन पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३२ पर)

वर्ष १९६३–६४, १९६४–६५ व १९६५–६६ में नये सिनेमाओं को लाइसेन्स दिये जाने के संबंध में सूचना

क्रम सं०	जिले का नाम	सिनेमा का नाम	लाइसेंसी का नाम
		वर्ष १९६३–६४	
१	इलाहाबाद	पुष्पराज सिनेमा	महाराजाधिराज भारतण्ड सिंह जू देव, रीवा।
२	कानपुर	१—नारायण थियेटर, बेकनगंज कानपुर।	श्री एस० एन० गुप्ता, मेसर्स सिंह ब्रदर्स,
		२—नटराज थियेटर, गोविन्द-नगर, कानपुर।	
		३—हिमांचल थियेटर, कानपुर	ठा० शंकर सिंह तोमर
३	वाराणसी	१—पुष्पराज सिनेमा, शिवपुर	श्री शीलभद्र शाह,
		२—इक्जीक्यूटिव कमिटी, रेलवे सिनेमा, मुगलसराय।	
४	गोरखपुर		श्री लक्ष्मन दास
		वर्ष १९६४–६५	
१	मुजफ्फरनगर	बसन्त सिनेमा, खतौली	श्री बी० के० सिंह
२	बिजनौर	शरण टाकीज, नहटौर	सर्वश्री गोविन्द सरन गंगासरन।
३	इलाहाबाद	अशोक टाकीज, नैनी	श्री बिहारी लाल अग्रवाल
४	वाराणसी	मजदा पिक्चर पैलेस, वाराणसी	सर्वश्री जी० डी० गांधी तथा एस० डी० गांधी
५	गोरखपुर	,,	श्री नवनीत प्रिय दास
६	पिथौरागढ़	नटराज सिनेमा	सीमांचल प्राइवेट लिमिटेड
७	फैजाबाद	टांडा (पुराना बन्द सिनेमा)	सर्वश्री हजारी लाल भगवान बंसल।
		वर्ष १९६५–६६	
१	मुजफ्फरनगर	चन्द्रा टाकीज, मु० नगर (पुराना रायल टाकीज)	श्री जनार्दन स्वरूप आदि
२	वाराणसी	१—कन्हैया टाकीज, मुगलसराय	श्री राजाराम पाल
		२—आनन्द मंदिर, वाराणसी	श्री दामोदर दास सर्राफ
३	देवरिया	विजय टाकीज	,, ,,
४	उन्नाव	सुन्दर टाकीज, (पुराना राज कुमारी टाकीज)	,, ,,

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३५ पर)

१९६५–६६ में देवरिया, आजमगढ, जौनपुर तथा गाजीपुर के विकास के लिये स्वीकृत धनराशि

विकास की मदें	तीसरी योजना के अन्तर्गत	अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि	कुल स्वीकृत धनराशि
			(लाख रुपयों में)
१—कृषि कार्यक्रम ..	१३५.८९८	२६७.०००	४०२.८९८
२—सामुदायिक विकास सहकारिता तथा पंचायत ..	१३१.४०८	७.९९०	१३९.३९८
३—सिंचाई तथा बिजली	३७०.८२०	७०.०००	४४०.८२०
४—ग्रामीण तथा लघु उद्योग	२५.७११	४०.०००	६५.७११
५—सड़कें ..	२२.५६७	७५.०००	९७.५६७
६—सामाजिक सेवायें ..	१७७.८०४	१०.०००	१८७.८०४
योग ..	८६४.२०८	४६९.९९०	१,३३४.१९८

अस्थायी प्रतिलिपि

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३७ पर)

तालिका

चूंकि बकाया धनराशि को वसूल करने के लिये कोर्स विशेष स्टाफ (Staff) की स्वीकृति नहीं थी, अतएव गवर्नमेंट य० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के निम्नलिखित कर्मचारियों से अपने काम के अलावा वसूली का काम भी करवाया गया ।

कर्मचारियों के नाम

१--श्री मनमोहनलाल,
२--श्री फजलुर रहमान,
३--श्री एस० एन० सेठ,
४--श्री राममूर्ति लाल ,
५--श्री जे० एन० मिश्रा,
६--श्री ए० के० भटटाचार्य,
७--श्री जिया लाल,
८--श्री राम रघुबीर सिंह मेही,
९--श्री चतुरानन जोशी,
१०--श्री सुन्दरलाल राय,
११--श्री रमेशचन्द्र बेतली,
१२--श्री हरदेव राम,
१३--श्री वी० के० जैन,
१४--श्री सरन प्रसाद शुक्ला,
१५--श्री अब्दुल खालिक,
१६--श्री सदानन्द पांडे,
१७--श्री अजहर हुसेन,
१८--श्री नियामत उल्लाह,
१९--श्री यू० एन० खान आरसी,
२०--श्री ज्ञानेन्द्रचन्द्र जोशी,

अब इस काम को केवल ४ कर्मचारी कर रहे हैं जिनके नाम क्रम-संख्या १७-२० तक दिये हुये हैं । अब तक २,३१,८३० रु० ७९ पैसे वसूल किया जा चुका है तथा १,८४.१७१ रु० ८४ पैसे वसूल करना शेष हैं ।

संसद पुस्तकालय विधान सभा

नत्थी 'ब'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३९ पर)

बस्ती जिले में अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, १९६४ और जनवरी, फरवरी, १९६५ में हुई चोरी, डकैती, राहजनी, कत्ल की कुल घटनाओं का विवरण

क्रम-संख्या	नाम थाना	किस्म अपराध	घटनाओं की संख्या	जिनमें जांच नहीं की गई	जो चालान किये गये	जो लापता रहे अंतिम रिपोर्ट लगी
१	२	३	४	५	६	७
१	बांसी	चोरी	१२	३	४	५
		डकैती	—	—	—	—
		राहजनी	—	—	—	—
		कत्ल	—	—	—	—
२	छावनी	चोरी	११	२	४	५
		डकैती	—	—	—	—
		राहजनी	—	—	—	—
		कत्ल	—	—	—	—
३	चिल्हिया	चोरी	१५	३	५	७
		डकैती	१	—	१	—
		राहजनी	—	—	—	—
		कत्ल	—	—	—	—
४	बनघटा	चोरी	१४	—	५	९
		डकैती	—	—	—	—
		राहजनी	—	—	—	—
		कत्ल	१	—	१	—
५	ढ़ेबरुआ	चोरी	—	—	—	—
		डकैती	—	—	—	—
		राहजनी	—	—	—	—
		कत्ल	—	—	—	—
६	डुमरियागंज	चोरी	१९	२	८	९
		डकैती	—	—	—	—
		राहजनी	—	—	—	—
		कत्ल	—	—	—	—
७	दुधारा	चोरी	५	२	१	२
		डकैती	—	—	—	—
		राहजनी	१	—	१	—
		कत्ल	—	—	—	—

विधान सभा सचिवालय

क्रम-संख्या	नाम थाना	किस्म अपराध	घटनाओं की संख्या	जिनमें जांच नहीं की गई	जो चालान किये गये	जो लापता रहे अंतिम रिपोर्ट लगी
१	२	३	४	५	६	७
८	इटावा	चोरी	१	—	१	—
		डकैती	—	—	—	—
		राहजनी	—	—	—	—
		कत्ल	१	—	१	—
९	कलवारी	चोरी	९	३	३	३
		डकैती	—	—	—	—
		राहजनी	—	—	—	—
		कत्ल	—	—	—	—
१०	कप्तानगंज	चोरी	१२	४	४	४
		डकैती	—	—	—	—
		राहजनी	—	—	—	—
		कत्ल	२	—	१	१
११	कोतवाली	चोरी	५९	९	१९	३१
		डकैती	—	—	—	—
		राहजनी	१	—	१	—
		कत्ल	१	—	१	—
१२	खलीलाबाद	चोरी	३३	४	१२	१७
		डकैती	—	—	—	—
		राहजनी	—	—	—	—
		कत्ल	२	—	१	१
१३	लोधन	चोरी	७	—	४	३
		डकैती	—	—	—	—
		राहजनी	—	—	—	—
		कत्ल	१	—	..	१
१४	महुली	चोरी	८	१	५	२
		डकैती	—	—	—	—
		राहजनी	—	—	—	—
		कत्ल	१	—	१	—
१५	मेंहदावल	चोरी	१५	१	९	५
		डकती	१	—	१	—
		राहजनी	—	—	—	—
		कत्ल	—	—	—	—
१६	मुन्डेरवा	चोरी	१२	५	१	६
		डकैती	—	—	—	—
		राहजनी	—	—	—	—
		कत्ल	—	—	—	—

सत्यमेव जयते विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम थाना	किस्म अपराध	घटनाओं की संख्या	जिनमें जांच नहीं की गई	जो चालान किये गये	जो लापता रहे अंतिम रिपोर्ट लगी
१	२	३	४	५	६	७
१७	पैकोलिया	चोरी	९	१	२	६
		डकैती	—	—	—	—
		राहजनी	—	—	—	—
		कत्ल	१	—	१	—
१८	परसराम-पुर	चोरी	१३	--	७	७
		डकैती	—	—	१	—
		राहजनी	१	—	—	—
		कत्ल	४	—	४	—
१९	रूदौली	चोरी	११	१	४	६
		डकैती	१	--	—	१
		राहजनी	२	--	२	—
		कत्ल	१	--	१	—
२०	सोनहा	चोरी	६	--	१	५
		डकैती	१	--	१	—
		राहजनी	—	--	—	—
		कत्ल	१	--	१	—
२१	त्रिलोकपुर	चोरी	१	--	१	—
		डकैती	—	--	—	—
		राहजनी	—	--	—	—
		कत्ल	—	--	—	—
२२	उस्का	चोरी	११	१	४	६
		डकैती	१	--	१	—
		राहजनी	—	--	—	—
		कत्ल	—	--	—	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४२ पर)

उत्तर प्रदेशीय भूतपूर्व अपराधशील एवं पासी जाति सम्मेलन दिनांक २९ मार्च, १९६५ में पारित प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही का विवरण

प्रस्तावों में की गई मांग	प्रस्तावों के प्रति की गई कार्यवाही
१—विमुक्त जातियों के लिये पहले की तरह अलग विभाग की स्थापना होनी चाहिये। जिससे कार्य में प्रगति लाई जा सके।	विचाराधीन।
२—विमुक्त जातियों के सुधार हेतु तेजी से कार्य करने के लिये विशेष अभियान चलाया जाय।	विचाराधीन।
३—हरिजन सहायक विभाग के अन्तर्गत ही एक अलग सेक्शन स्थापित किया जाय, जबतक कि अलग से विभाग स्थापित न हो जाय।	विचाराधीन।
४—विमुक्त जातियों के उत्थान कार्य के अनुदान को कई गुना बढाया जाय।	विचाराधीन।
५—आश्रम टाइप स्कूल हर एक जिले में जहां विमुक्त जातियों की आबादी हो खोले जायं। इसके अतिरिक्त उनके लिए हायर सेकेंड्री व डिग्री कालेज की स्थापना भी की जाय।	विचाराधीन।
६—पुनर्वास योजना में घुमन्तू (खानाबदोश) जातियों को प्राथमिकता दी जाय।	विचाराधीन।
७—विमुक्त जातियों के लिये स्वीकृत अनुदानों के वितरण के लिए जिलों में अलग समितियां बनाई जायें। जिसके सदस्य व अध्यक्ष विमुक्त जाति के लोग हों।	विचाराधीन।
७—बस्ती जिले के मेंहदावल कस्बे तथा बहराइच के जरवल रोड में विमुक्त जातियों के लिये इंटर कक्षा तक शिक्षा दिलाने हेतु आश्रम टाइप स्कूल खोले जायं।	विचाराधीन।
९—विमुक्त जातियों के लिये भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की जाये।	विचाराधीन।
१०—विमुक्त जातियों के घुमन्तू समुदायों का पुनर्वास किया जाय।	इनके लिये पुनर्वास योजना में प्राविधान है।
११—भृगुवंशी व पासियों को अनुसूचित जाति की सूची से निकाला न जाय।	शासन की ओर से इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्तावों में की गई मांग	प्रस्तावों के प्रति की गई कार्यवाही
१२—सन् १९४७ से अब तक विभिन्न सरकारी नौकरियों में जितने लोगों की नियुक्ति हुई उनमें अनुसूचित जातियों को आरक्षित स्थान मिले या नहीं। यदि नहीं तो इस कमी को पूरा कराया जाय एवं सम्बन्धित अन्य सुझाव।	शासन इस विषय पर विशेष रूप से प्रयत्नशील है।
१३—हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों को निर्माण कार्यों के पुष्टि करण के लिए ग्राम सेवकों की तरह के अधिकार दिये जायें।	विचाराधीन।
१४—अनुदानों का वितरण विकास क्षेत्रों द्वारा न कराकर जिलास्तर की समिति द्वारा किया जाय।	विचाराधीन।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६८ का उत्तर पीछे पष्ठ ३४४ पर)

विवरण

दिनांक–५–५–६५ को थाना कोंच, जिला जालौन पर श्री श्याम मनोहर नामक एक व्यक्ति ने धारा ४५२/३२३/५०४, भा० द० के अन्तर्गत एक रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें भगवान दास का नाम भी अभियुक्तों में अंकित कराया । दिनांक ६–५–६५ को पुलिस ने भगवान दास को गिरफ्तार किया । भगवानदास के मामा तातीराम ने उसकी गिरफ्तारी में बाधा डाली और पुलिस को धमकी दी । अतः उनका धारा १८६ भा० द० वि० के अन्तर्गत चालान किया गया । भगवान दास तथा अन्य अभियुक्तों का धारा ४५२/३२३/५०४ के अन्तर्गत चालान किया गया ।

मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं । पुलिस द्वारा भगवानदास और तातीराम की कोई पिटाई नहीं की गई ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४४ पर)

देवरिया जिले में १ फरवरी, सन् १९६५ से ३१ जुलाई, १९६५ तक दर्ज हुए अपराधों का विवरण

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	योग
चोरियां	७३	४३	६६	५०	५३	७१	८०	४३६
डकैतियां	२	३	२	३	१	२	२	१५
राहजनी	२	—	२	१	२	१	—	८
कत्ल	—	३	३	२	३	६	५	२२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४६ पर)

सन् १९६३–६४ तथा १९६४–६५ में थाना कोतवाली एटा के अन्तर्गत हुई चोरी, डकैती, राहजनी, कत्ल व लड़कों की चोरी की घटनाओं का विवरण

अपराध	१९६३–६४		१९६४–६५	
	घटनायें हुईं	चालान हुए	घटनायें हुईं	चालान हुए
चोरी ..	३८८	७८	३७५	६४
डकैती ..	७	७	४	४
राहजनी	३	३	७	५
कत्ल	६	३	२	१
लड़कों की चोरी	३	३	१	– लापता रहा।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४७ पर)

सूची नियुक्ति सब-इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस थानावार जिला गोन्डा

नाम थाना	नाम सब-इन्सपेक्टर	पद	तारीख नियुक्ति	विवरण
१—कोतवाली	१—श्री चन्द्रभाल त्रिपाठी	थानाध्यक्ष	२६—११—६४	..
	२—श्री अब्दुल समद	द्वितीय स०इं०	२०—५—६५	..
	३—श्री सुखनन्दनपांडे	,,	१२—३—६५	..
	४—श्रीहरिहरप्रसाद यादव	,,	३०—७—६५	..
	५—श्री चन्द्रभाल दत्त शर्मा	,,	२५—१—६५	..
२—बलरामपुर	१—श्री मुनेश्वर प्रसाद सिंह	थानाध्यक्ष	१६—७—६५	..
	२—श्री सभापति त्रिपाठी	द्वि०स०इं०	६—१—६५	..
	३—श्री राम भवन पांडेय	,,	३०—७—६५	स्थानापन्न स० इ०
३—करनैलगंज	१—श्री मुहम्मद हुसेन	थानाध्यक्ष	११—९—६४	..
	२—श्री जयभूति पांडे	द्वि०स०इं०	३०—५—६५	..
	३—श्री फहीमुल हक	,,	३१—५—६५	स्थानापन्न स० इ०
४—उत्तरौला	१—श्री हृदयानन्द पांडे	थानाध्यक्ष	२८—४—६५	..
	२—श्री रामअक्षैवर मिश्र	द्वि०स०इं०	३—३—६५	..
५—इटियाथोक	१—श्री अवधबिहारी सिंह	थानाध्यक्ष	२०—७—६४	..
	२—श्री रामशंकर सिंह	द्वि०स०इं०	३०—१२—६४	..
६—नवाबगंज	१—श्री प्रेमनारायणसिंह	थानाध्यक्ष	२३—८—६५	..
	२—श्री राजनारायण सिंह	द्वि०स०इं०	२८—६—६५	..
७—तुलसीपुर	१—श्री देवशरण त्रिपाठी	थानाध्यक्ष	२८—४—६५	..
	२—श्री कौशल किशोर सिन्हा	द्वि०स०इं०	२७—४—६५	..
८—पचपेड़ा	१—श्री गयापालसिंह	थानाध्यक्ष	७—६—६५	द्वि० ४-७-६५ से पी०टी०सी०।
	२—श्री दयाशंकर पांडेय	द्वि०स०इं०	३०—१२—६४	मुरादाबाद स्टाफ कोर्स में गये।
९—ललिया	१—श्री रमाशंकर सिंह	थानाध्यक्ष	२०—५—६५	..
१०—कोडिया	१—श्री कुशलपालसिंह	थानाध्यक्ष	१७—८—६४	..
	२—श्री जयशंकर राय	द्वि०स०इं०	१२—३—६५	..

नाम थाना	नाम सब इंस्पेक्टर	थानाध्यक्ष	तारीख नियुक्ति	विवरण
११--त्रजीरगंज	१-श्री हृदयानन्दसिंह	थानाध्यक्ष	२६-११-६४	..
	२-श्री बिक्रम सिंह	द्वि०स०इं०	१९-७-६५	स्थानापन्न स० इं०
१२--तरबगंज	१-श्री ऋषीदेव दुबे	थानाध्यक्ष	२८-६-६५	
	२-श्री निसार अहमद	द्वि०स०इं०	३१-७-६५	स्थानापन्न स० इं०
१३--सादुल्लानगर	१-श्री जगदीशनारायणसिंह	थानाध्यक्ष	२८-३-६४	..
१४-छपिया	१-श्री उदयराजसिंह	थानाध्यक्ष	१८-६-६५	..
१५--मकापुर	१-श्री सूबेदारसिंह	थानाध्यक्ष	६-६-६४	..
	२-श्री नरेंद्र मोहन सिंह	द्वि०स०इं०	२७-४-६५	..
१६--थानेपुर	१-श्री रणभद्रसिंह	थानाध्यक्ष	१७-९-६४	..
	२-श्री अयोध्याप्रसाद शाही	द्वि०स०इं०	१२-३-६५	..
१७--परसपुर	१-श्री रामानन्द सिंह	थानाध्यक्ष	१७-९-६४	..
	२-श्री जगन्नाथ सिंह	द्वि०स०इं०	५-५-६५	